द्वितीय माला, खण्ड ५४—अंक ४६

सोमवार, १७ अप्रैल, १९६१
२७ चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५४ में अंक ४१ से अंक ५० तक ह)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में) चार शिलिंग (विदेश में)

द्वितीय माला खण्ड ५४--अंक ४१ से ५०--११ से २१ अप्रैल, १९६१/२१ चैत्र से १ वैशाख १८८३ (शक)

पृष्ठ

अंक ४१--मंगलवार, ११ अप्रैल, १९६१/२१ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १४३३ से १४३६, १४३८ से १४४१, १४४४ से १४४७ और १४५१ से १४५४ . . ४८३५-६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १४३७, १४४२, १४४३, १४४८, १४४९ और १४५५ से १४५८ . ४८६२-६८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०३६ से ३०७१ . . . ४८६८-८३

नागा विद्रोहियों द्वारा भारतीय वायुसेना के कर्मचारियों को पकड़ लेने के बारे में ४८८३-८४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ४८८४

प्राक्कलन समिति--

एक सौ पचीसवा प्रतिवेदन . . ४८८४

वित्त विधेयक, १९६१, के बारे में याचिका . ४८८४

अनुदानों की मांगें ४८८५-४९२३

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . ४८८५-९४

प्रतिरक्षा मंत्रालय . ४८९५-४९२३

कृषि आयोग के बारे में आधे घंटे की चर्चा ४९२३-२६

दैनिक संक्षेपिका ४९२७-३०

अंक ४२--बुधवार, १२ अप्रैल, १९६१/२२ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर --

तारांकित प्रश्न संख्या १४५९ से १४६२, १४६५ से १४७६ १४७० से १४७७ . . . . . ४९३१-५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १४६३, १४६४, १४६८, १४६९ और १४७८ से १४८१ . . ४९५५-५८

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०७२ से ३१४४ और ३१४६ से ३२१७ ४९५८–५०२६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

एस० एस० दारा जहाज में आग . ५०२७--२८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ५०२८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति---

ब्यासीवां प्रतिवेदन ५०२८

प्राक्कलन समिति---

एकसौ सत्ताइसवां तथा एक सौ इकतीसवां प्रतिवेदन ५०२९

अनुदानों की मांगें ५०२९–६९

प्रतिरक्षा मंत्रालय ५०२९–५९

सामुदायिक विकास तथा सहकार-मंत्रालय . ५०५९–६९

उड़ीसा-भूमि सुधार अधिनियम के बारे में आधे घंटे की चर्चा ५०७०–७१

दैनिक संक्षेपिका ५०७२–७८

अंक ४३---गुरुवार, १३ अप्रैल, १९६१ /२३ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ---

तारांकित प्रश्न संख्या १४८२ से १४९०, १४९२ और १४९४ . ५०७९–५१०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या १४९१, १४९३, और १४९५ से १५१८ ५१०२–१४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२१८ से ३२९३ . ५११४–४६

दिनांक ९-३-६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९२२ में शुद्धि

निधन संबंधी उल्लेख . ५१४६–४७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना---

कोलार की राष्ट्रीयकृत सोने की खानों के बंद हो जाने की संभावना ५१४७–४८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ५१४८–४९

प्राक्कलन समिति---

एक सौ उन्तीसवां और एक सौ बत्तीसवां प्रतिवेदन . . ५१४९–५००

पृष्ठ

समिति के लिए निर्वाचन--

विश्व-भारती . . ५०१०

अनुदानों की मांगें ५१५०–६४

सामदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय ५१५०–६४

कार्य मंत्रणा समिति . ५१६५

त्रेसठवां प्रतिवेदन . ५१६६–५२०२

दैनिक संक्षेपिका

अंक ४४--गुरुवार, १४ अप्रैल, १९६१/२४ चैत्र, १८८३ (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १५१९, १५२१ से १५२५, १५२८, १५३० से १५३५ और १५३७ ५२०३–२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १५२०, १५२६, १५२७, १५२९, १५३६ और १५३८ से १५५२ ५२२९–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२९४ से ३३४५ . ५२३७–५८

स्थगन प्रस्ताव--

१३ अप्रैल, १९६१ को दिल्ली में बिजली की व्यवस्था का भंग हो जाना । ५२५८–५९

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५२५९–६०

प्राक्कलन समिति--

एक सौ चौथा और एक सौ अठारहवां प्रतिवेदन ५२६०

कार्य मंत्रणा समिति--

त्रैसठवां प्रतिवेदन ५२६१

अनुदानों की मांगें ५२६१–७७

इस्पात, खान और इंधन मंत्रालय

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति---

व्यासीवां प्रतिवेदन . . . ५२७८

कोयला खानों के राष्ट्रीकरण के बारे में संकल्प---अस्वीकृत . ५२७८–८६

धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म स्वीकार करने वालों के बारे में संकल्प . ५२८६–९४

दैनिक संक्षेपिका . ५२५९–५३००

पृष्ठ

अंक ४५––शनिवार, १५ अप्रैल, १९६१ / २५ चैत्र, १८८३ (शक)

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ५३०१–०२

सभा का कार्य . ५३०२–०३

अनुदानों की मांगें . ५३०३–६३

इस्पात खान और ईंधन मंत्रालय ५३०३–४५

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . . ५३४५–६३

पूर्वोत्तर रेलवे पर खतरे की जंजीरों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ५३६३–६९

दैनिक संक्षेपिका ५३७०–७१

अंक ४६––सोमवार, १७ अप्रैल, १९६१ / २७ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १५५३ से १५५५, १५५८, १५५९, १५६२ से १५६७, १५६९, १५७०, और १५७२ से १५७५ ५३७३–९८

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १५५६, १५५७, १५६०, १५६१, १५६८, १५७१ और १५७६ ५३९९–५४०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३४६ से ३४१६ और ३४१८ से ३४२० ५४०२–३६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५४३७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ५४३७

प्राक्कलन समिति

एक-सौ-चौतीसवां प्रतिवेदन ५४३७

अनुदानों की मांगें

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . ५४३८–९१

केरल राज्य में नारियल की फसल को क्षति के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ५४९१–९३

दैनिक संक्षेपिका ५४९४–९८

अंक ४७––मंगलवार, १८ अप्रैल, १९६१ / २८ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १५७७ से १५८०, १५८२, से १५८५, १५८७ से १५८९, १५९१, १५९३ से १९५९५ और १५९९ से १६०२ ५४९९–५५२५

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर --

तारांकित प्रश्न संख्या १५८१, १५८६, १५६०, १५६२, १५६६ से १५६८ और १६०३ से १६१० . . . ५६१५-३१

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४२१ से ३४६१, ३४६३ से ३५०२ और ३५०४ से ३५१३ ५५३१-७२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . ५५७१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५५७१-७२

अनुदानों की मांगें . . . ५५७२-५६२४

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . ५५७२-८५

वित्त मंत्रालय ५५८५-५६२४

डिग्री कालेजों के अध्यापकों के वेतन क्रमों के बारे में आधे घंटे की चर्चा ५६२४-२७

दैनिक संक्षेपिका . . . ५६२८-३३

अंक ४८--बुधवार, १६ अप्रैल, १६६१ / २६ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्य १६११ से १६१५, १६१८, १६२०, १६२१ और १६२३ से १६२६ . ५६३५-५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १६१६, १६१७, १६१६, १६२२ और १६३० से १६३५ . . . . . ५६५६-६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५१४ से ३५२३, ३५२५ से ३५५८ और और ३५६० से ३५७१ . ५६६४-६१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ५६६२

राष्ट्रपति से सन्देश . . . ५६६२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति--

तिरासीवां प्रतिवेदन ५६६२

अनुदानों की मांगें ५६६३-५७३०

वित्त मंत्रालय ५६६३-५७२७

अणु-शक्ति-विभाग . ५७२८

संसद् कार्य विभाग . . ५७२८-३०

विनियोग (संख्या २) विधेयक--पुरस्थापित ५७३०

वित्त विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . ५७३०-३३

दैनिक संक्षेपिका . . . ५७३४-३८

अंक ४६—गुरुवार, २० अप्रैल, १६६१/३० चैत्र, १८८३ (शक)

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६३६ से १६४०, १६४२ से १६४६ और १६४६ से १६५४ . . . ५७३६—६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४१, १६४७, १६४८, १६५५ और १६५६ . . . . . . ५७६३—६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५७२ से ३६३८ . . . ५७६६—६३

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . ५७६३—६४

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . . . . ५७६४—६५

स्थगन प्रस्ताव—

ओटावा में भारतीय उच्च आयोग के प्रथम सचिव की गोली लगने से मृत्यु . . . . . ५७६५—६६

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर सिलीगुडी के निकट रेलवे दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

श्री शाहनवाज खां . . . . . ५७६६—६७

विनियोग (संख्या २) विधेयक, १६६१—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ५७६७—६८

खण्ड २, ३ और १ . ५७६८

पारित करने का प्रस्ताव ५७६८

वित्त विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ५७६६—५८३२

सभा का कार्य . ५८३२

दैनिक संक्षेपिका . . . ५८३३—३७

अंक ५०—शुक्रवार, २१ अप्रैल, १६६१/१ बैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५७ से १६५६, १६६१ से १६७५ और १६७५—क . ५८३६—६६

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६० और १६७६ से १६८३ . ५८६६—७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३६, से ३७०१ ३७०३ से ३७२५ ५८७२—५९०५

स्थगन प्रस्ताव

बेला रोड पर डेरी किशनचंद में आग लग जाना . . ५९०५—०७

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य—

क्यूबा की स्थिति . . . . ५९०७—०९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ५९०९—११

वित्त विधेयक, १९६१—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ५९११—६१

दैनिक संक्षेपिका . . ५९६२—६७

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—543 (Ai) LS—23-6-31—126

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

सोमवार, १७ अप्रैल, १९६१

२७ चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

फसलों के मूल्य-निर्धारण सम्बन्धी समिति

+

†*१५५३. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री पांगरकर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती मंजुला देवी : }

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** २८ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गन्ने सहित सभी फसलों के मूल्य निर्धारित करने और अन्य सम्बद्ध मामलों पर विचार करने के लिये एक समिति/तालिका बनाने की योजना के बारे में क्या प्रगति हुई है?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** अभी इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार समिति नियुक्त करने की प्रस्थापना पर विचार कर रही है अथवा नहीं, और क्या इस के निर्देश पद और अन्य बातों को अन्तिम रूप से तय कर लिया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** जिस समिति का उल्लेख किया गया है, वह कृषि मूल्य-निर्धारण करने वाली समिति नहीं है । यह उस समिति का एक सीमित कार्य है । किन्तु, जैसा कि मैं ने कहा है कि यह वह समिति है जिस का नाम कृषि सलाहकार समिति होगा । हम ने इस का विचार नहीं छोड़ा, इस की आवश्यकता तो अब पहले से भी अधिक हो गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

510 (Ai) LSD—1.

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का ऐसे कदम उठाने का विचार है जिन से चीनी के विशाल भंडार जमा हो जाने के कारण चीनी की कीमतों पर असर न पड़े ?

†**श्री स० का० पाटिल** : यह बात इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती । मैं अनुदानों की मांगों पर हुए वाद-विवाद का उत्तर देते समय इस प्रकार की सभी बतों का स्पष्टीकरण करूंगा ।

श्री खुशवक्त राय : क्या मैं जान सकता हूं कि इस कमेटी की नियुक्ति में क्या कठिनाइयां आ रही हैं ?

श्री स० का० पाटिल : मैं ने बार बार कहा है कि यह सवाल बड़ा पेचीदा है । ऐसा नहीं है कि एक कमेटी नियुक्त कर दी गई और दूसरे दिन से काम करने लगी यह देखना है कि उस के टर्म्स आफ रेंफरेंस क्या हों, वह क्या क्या करे। किस तरह से प्राइसेज फिक्स करे। तो इस तरह की बहुत सी कठिनाइयां हैं जिन पर सम्बन्धित मिनिस्ट्रीज में विचार हो रहा है । इस के बाद वह कमेटी नियुक्त होगी।

श्री खुशवक्त राय : वे सम्बन्धित मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी हैं जिन में इस पर विचार हो रहा है? क्या आप की ही मिनिस्ट्री में विचार हो रहा है या किसी और मिनिस्ट्री में भी ।

श्री० स० का० पाटिल : सम्बन्धित मिनिस्ट्रीज में फाइनेन्स आती है। हो सकता है कि प्राइस सपोर्ट वगैरह देना पड़ेगा और उस के लिये करोड़ों नहीं बल्कि अरबो रुपये की जरूरत होगी। तो यकायक यह चीज नहीं बन सकती । कमेटी बने गी तो उस को बहुत बातों को देखना होगा। इस लिये थोड़ी देर हो रही है ।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार**: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह प्रस्तावित समिति न केवल वाणिज्यिक फसलों की जांच करेगी बल्कि अन्य खाद्य फसलों के बारे में भी जांच करेगी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं तो सभी फसलों की बात कर रहा हूं, समूची कृषि का उल्लेख कर रहा हूं । इस समिति की नियुक्ति करना केवल खाद्यान्न फसलों के कारण नहीं हो रही, किन्तु इस का कारण वाणिज्यिक फसलें भी हैं । इस समिति की नियुक्ति तो देश की समूची कृषि भूमि के लिये हो रही, जिस का कुल क्षेत्र लगभग ३५ करोड़ एकड़ है ।

श्री खादीवाला : क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि खाद्य पदार्थों का मूल्य दिन प्रति दिन बढ़ता जाता है और यह कमेटी अगर जल्दी से जल्दी कोई हल नहीं निकालेगी तो कीमतें बढ़ती चली जायेंगी। जैसे कि तेल का भाव तीन रुपये सेर है, अनाज का भाव, दालों का भाव, तिलहन का भाव सब बढ़ रहे हैं।

श्री स० का० पाटिल : मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं। तेल के भाव का तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मुझे तो डर है कि भाव कम हो जायेगा और किसान को सफर करना पड़ेगा । आज गेहूं और चावल का जितना भाव है उस से नीचे बिल्कुल नहीं जाना चाहिये ।

†**श्री बासप्पा** : चावलों के बारे में अध्ययन करने से पता चला है कि ७१ से ७७ प्रतिशत कीमत उत्पादक के पास चली जाती है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अन्य अनाजों के बारे में भी इस प्रकार का अध्ययन किया जायेगा ?

†**श्री स० का० पाटिल** : हमारा जिस सलाहकार समिति की स्थापना करने का विचार है, उस का उद्देश्य यही है ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कालिका सिंह** : खाद्यान्न जांच समिति ने, जिस के अध्यक्ष श्री अशोक मेहता थे, एक मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड बनाने का सुझाव दिया था। क्या यह प्रस्तावित समिति मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड जैसा संगठन है अथवा इस से भिन्न है ?

†**श्री स० का० पाटिल**: उस रिपोर्ट के पेश होने के पश्चात काफी समय बीत चुका है। आज हम अन्य बातों पर विचार कर रहे हैं जो उन से बिल्कुल भिन्न हैं।

†**श्री कासलीवाल** : माननीय मंत्री महोदय ने मूल्यों को तय करने की बात कही है। क्या मैं जान सकता हूं कि जो मूल्य निर्धारित किये जायेंगे, क्या वह न्यूनतम मूल्य होंगे अथवा उच्चतम मूल्य? मैं जानना चाहता हूं कि किस किस्म की कीमतें तय की जायेंगी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं ने अभी बताया था कि यह एक अलग चीज है। मैं ने यह कभी नहीं कहा कि हम कीमतें निर्धारित करना चाहते हैं। प्रश्न कीमतों को तय करने वाली समिति के बारे में था। मैं ने यह कहा था कि इस समिति की नियुक्ति केवल मूल्यों का निर्धारण करने के लिये नहीं की जा रही किन्तु कृषि के समूचे ढांचे का निर्धारण करने के लिये की जा रही है और मूल्यों का निर्धारण तो उस का केवल एक अंग है।

बिजली के उत्पादन के लिये कम शक्ति वाले टर्बाइन

*१५५४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री ८ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २४१५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों के सुदूरस्थ स्थानों में बिजली पैदा करने के लिये कम शक्ति वाले टर्बाईन स्थापित करने के प्रस्ताव के बारे में जिस पर विचार किया जा रहा था, क्या निश्चय किया गया है एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : केन्द्र शासित प्रदेशों तथा कुछ राज्यों में छोटे छोटे जल-विद्युत यन्त्र स्थापित करने के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था की गई है। इन से सम्बद्ध योजनाओं की जांच पड़ताल हो रही है। जम्मू और काश्मीर में द्वितीय योजना के अन्त तक २०-२० किलोवाट के दो यन्त्र स्थापित किये गये थे। हिमाचल प्रदेश प्रशासन १५ किलोवाट के एक और यन्त्र को स्थापित कर रहा है। वहां छलिया में एक यंत्र आगे ही कार्य कर रहा है।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने दूसरी योजना में किए गए कुछ कार्यों का विवरण दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में तीसरी योजना में क्या व्यवस्था की जा रही है ? उसके लिए कोई रकम निर्धारित की गयी है ?

श्री हाथी : तीसरी योजना के लिए रकम निर्धारित की गयी है, और उम्मीद है कि छोटे छोटे एक सौ सैट हम अलग अलग जगहों पर लगायेंगे।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने कहा कि केन्द्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त कुछ राज्यों में भी इस बारे में काम किया जा रहा है। मैं खास तौर से उत्तर प्रदेश के पर्वतीय इलाके के बारे में जानना चाहता हूं। क्या उत्तर प्रदेश सरकर ने कोई योजनाएं भेजी हैं और क्या इस सम्बन्ध में कोई काम किया जा रहा है ?

श्री हाथी : उत्तर प्रदेश सरकार को हमने लिखा है। उत्तर प्रदेश, आसाम, मैसूर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और वैस्ट बंगाल स्टेटों को लिखा है, वे इनवेस्टीगेशन कर रही हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुनाथ सिंह :** क्या मैं जान सकता हूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य रखा गया था? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की सम्पूर्ण अवधि में केवल चार उपकरण ही क्यों लगाये गये, और क्या काश्मीर राज्य में यह योजना लाभप्रद और सफल रही है?

†**श्री हाथी :** दूसरी पंचवर्षीय योजना के शुरू में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। १९५९ में केवल एक जांच विभाग स्थापित किया गया था। जम्मू और काश्मीर राज्य में दो सैट लगाये गये हैं। एक से हिमाचल प्रदेश में लगाया जा चुका है और दूसरा लगाया जा रहा है। किन्तु दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। हमने १९५९ में यह कार्य शुरू किया था।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह योजना लाभप्रद एवं सफल रही है अथवा नहीं?

श्रीमती कृष्णा मेहता : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में जम्मू और काश्मीर में और भी कोई सैट दिए जायेंगे क्योंकि वहां तो बहुत पहाड़ी इलाका है ?

श्री हाथी : जी हां, जम्मू और काश्मीर में और भी सट लगेंगे।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : माननीय उपमंत्री महोदय ने कुछ राज्यों का उल्लेख किया है जिन्हें निर्देश किया गया है और जिन्होंने अपनी योजनाएं भेजी हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि बिहार जैसे अन्य राज्यों को क्यों छोड़ दिया गया है?

श्री हाथी : बिहार में भी ५५ लाख का प्रावीजन किया गया है। इसे छोड़ा नहीं गया।

श्री पद्म देव : माननीय मंत्री जी ने कहा कि हिमाचल में एक इस किस्म की योजना चल रही है। लेकिन पांच साल से जो नोगली हाइड्रोइलेक्ट्रिक योजना चल रही है वह पूरी नहीं होती। क्या मैं जान सकता हूं कि वह कब तक चालू हो जाएगी ?

†**श्री हाथी :** जैसा मैं ने बताया, छैला में जो योजना है वह तो चल रही है। मैं ने उसको देखा है। उससे पावर जनेरेट हो रही है और गांवों में बिजली भेजी जा रही है। मैं ने देखा है कि वह तो चल रही है।

श्री पद्म देव : मैं ने तो नोगली के बारे में पूछा था।

अध्यक्ष महोदय : नहीं जी, शर्मा जी को पूछने दीजिए।

†**श्री दी० चं० शर्मा:** क्या मैं जान सकता हूं कि इन राज्यों की, विशेषत: पहाड़ी इलाकों की, आवश्यकताओं का अनुमान लगाया गया है; यदि हां, तो इन क्षेत्रों में कितने किलोवाट बिजली की आवश्यकता है और इन छोटे टर्बाइन जनेरेटरों से इसमें से कितनी आवश्यकता की पूर्ति होगी ?

†**श्री हाथी :** वास्तव में, इस बात की आवश्यकता केवल पर्वतीय राज्यों में ही नहीं है। हम ऐसे विभिन्न स्थानों का चुनाव कर रहे हैं, जहां पर इस प्रकार के सैट लगाये जा सकते हैं। जांच-कार्य जारी है। हमने इसके लिए १.६ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। विभिन्न राज्यों में २०

---

†मूल अंग्रेजी में

से लेकर ४० किलोवाट तक के छोटे सैट लगाये जायेंगे । उदाहरणत :, हिमाचल प्रदेश में १३ सैट लगाये जा सकते हैं और जम्मू तथा काश्मीर राज्य में ३० सैट लगाने की व्यवस्था की जा सकती है ।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही कर रहीं हैं, उसमें केन्द्रीय सरकार उन्हें क्या सहायता दे रही है, या देना चाहती है ?

श्री हाथी : राज्यों को जो कुछ टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, केन्द्रीय सरकार वह जरूर देगी। हम ने इस बारे में लिखा है। उस में कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पानी का कितना सवाल है, जगह कैसी है, इस के बारे में इन्वस्टीगेशन करना है। उस के बाद जो भी टेक्निकल सहायता चाहिए, वह ज़रूर दी जायेगी ।

भाखड़ा बांध

*१५५५. **श्री पद्म देव** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा बांध के बनने के कारण उजड़े हुये बिलासपुर और कागड़ा के सब लोग बसाये जा चुके हैं ;

(ख) यदि हां, तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में अलग अरग कितन परिवार बसाय गये हैं; और

(ग) क्या नकद मुआवज़ा पाने वाले सब लोगों को पूरा मुआवज़ा मिल चुका है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : जी, हां। उन लोगों को छोड़ कर जिन्होंने कि नई जगहों के लिये अपने पहले विचार को बाद में बदल दिया था सभी विस्थापितों को या तो बसा दिया गया है या उन्हें मुआवजा दे दिया गया है ।

(ख) जिला हिसार (पंजाब)–२२४४ परिवार । जिला बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश)-१७८० परिवार ।

(ग) ३२,४८८ दावेदारों में से २७,२४७ दावेदारों को पूरा मुआवजा दे दिया गया है ।

श्री पद्म देव : क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस प्राजक्ट की वजह से कुल कितनी फैमिलीज़ विस्थापित हुई थीं ?

श्री हाथी : हिमाचल प्रदेश में कुल ३९१५ फैमिलीज़ ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : माननीय उपमंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह कहा है कि सभी विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास हो चुका है अथवा उन्हें मुआवज़ा दिया जा चुका है। क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसे कितने परिवार हैं जिन्हें मुआवज़ा नहीं दिया गया, किन्तु जिन्हें अन्य सुविधाएं प्रदान की गयी हैं ;

†**श्री हाथी** : जैसा कि मैंने बताया था, ३२,४८८ दावेदारों में से २७,२४७ दावेदारों को पूरा मुआवज़ा दिया जा चुका है ।

†**श्री पद्म देव** : जो लोग बिलासपुर शहर में किराये के मकानों में रह कर अपना व्यापार करते थे, क्या सरकार ने उन के सम्बन्ध में कुछ व्यवस्था की है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री हाथी : जिन लोगों की खुद की ज़मीन नहीं थी, उन को ज़मीन देने का सवाल नहीं है, लेकिन जो टाउनशिप बनने वाला है, वहां व जा सकेंगे ।

†श्री दी० चं० शर्मा : विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए बिलासपुर नामक एक नया नगर बसाया गया है । क्या मैं जान सकता कि वहां पर कितन व्यक्तियों को बसाया गया है और यह नयी बस्ती कब पूरी बन जायेगी ?

†श्री हाथी : मेरे पास इस बात की जानकारी नहीं है कि बिलासपुर टाउनशिप में किन लोगों को बसाया जाना है ।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया है कि पंजाब के हिसार जिले में लगभग २,००० परिवार बसाये गये हैं । क्या मैं जान सकता हूं उन लोगों को लगभग कितनी जमीन बांटी गयी है ?

†श्री हाथी : मेरे पास इस बारे में आंकड़ नहीं हैं । मेरा ख्याल है कि कांगड़ा में लगभग १३,५४६ एकड़ भूमि जलमग्न हुई है ।

श्री पद्म देव : जिन अनाथों और विधवाओं को सरकार ने कम्पेन्सेशन तो दिया है, किन्तु जो उस थोड़ से पैसे से अपने मकान वग़ैरह नहीं बना सके हैं, क्या उन के सम्बन्ध में कुछ और सहायता का सरकार ने प्रबन्ध किया है, ताकि वे बस सकें ?

श्री हाथी : भाखड़ा कंट्रोल बोर्ड ने इस के लिये एक कमेटी बनाई है । अगर कुछ और देना हो, तो वह इस बारे में तय करेगी ।

ग्रामीण सहकारी व्यवस्था

†*१५५८. श्री कालिका सिंह : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में क्रियान्वित किये जाने के लिए अन्तिम रूप से निश्चित की गयी सहकारी व्यवस्था की मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ख) इस का वित्तीय पहलू क्या है;

(ग) क्या सहकारिता आन्दोलन को सक्रिय बनाने के लिए कोई नयी योजना चालू की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) ग्राम स्तर पर सेवा सहकारी समितियां होंगी जो ऋण देने, संभरण और अन्य सेवायें (उर्वरकों, बीजों और कृषि उपकरणों आदि का संभरण) करने का कार्य हाथ में लेंगी । सेवा सहकारी समितियां ग्राम्य समुदाय के प्राथमिक एकक के आधार पर संगठित की जायेंगी । यदि गांव बहुत

†मूल अंग्रेजी में

छोटे होंगे तो समिति का संगठन करने के लिए एक से अधिक गांवों का एक आत्मनिर्भर एकक बना लिया जायेगा किन्तु इन गांवों की जनसंख्या कुल मिलाकर ३,००० से अधिक नहीं होनी चाहिए और वे गांव उस गांव से, जहां पर मुख्य कार्यालय स्थित हो, ३ अथवा ४ मील से अधिक दूरी पर स्थित नहीं होने चाहिएं ।

यह विचार किया गया है कि २८,७५० नई सेवा सहकारी समितियां बनायी जायें ताकि दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त तक जिन गांवों में ऐसी समितियां न बन पायी हों, उन सभी गांवों में इस प्रकार की समितियों की स्थापना हो जाये ।

जिला और राज्य स्तर पर जो मौजूदा ढांचा है, उसे अर्थात् केन्द्रीय सहकारी बैंकों और शीर्षस्थ (एपक्स) सहकारी बैंकों को दृढ़ किया जायेगा ।

दीर्घकालीन ऋण देने के लिए, भूमि बन्धक बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जायेगा और २६० नये प्राथमिक भूमि बन्धक बैंक खोले जायेंगे ।

मंडी-केन्द्रों में मौजदा विपणन समितियों के लिए अतिरिक्त हिस्सा-पूंजी और भांडागार-स्थान की, जहां पर आवश्यकता हो, व्यवस्था करके इन समितियों को सुदृढ़ बनाया जायेगा और शेष मंडी-केन्द्रों में नयी समितियां (लगभग ६००) स्थापित की जायेगी । इन नई समितियों के लिए, उनके मुख्यालयों में और ग्राम्य क्षेत्रों में चुने हुए स्थानों पर, भांडागार की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी ।

(ख) अनुमान है कि सेवा सहकारी समितियों, केन्द्रीय बैंकों, एपक्स बैंकों और भूमि-बन्धक बैंकों के कार्यक्रम पर लगभग २६ करोड़ रु० और विपणन तथा भांडागार सम्बन्धी कार्यक्रम पर लगभग १७ करोड़ रु० का व्यय होगा । योजना के अन्तिम रूप से तैयार होने पर इन आंकड़ों में परिवर्तन भी हो सकता है ।

(ग) ग्रामों की शिथिल सहकारी समितियों का पुनर्गठन करने और उन्हें सुदृढ़ बनाने की जो योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में शुरू की गयी थी, उसे जारी रखा जायेगा और उसे तीसरी योजना की अवधि में पूरा किया जायेगा ।

(घ) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में गांवों की ५२,००० शिथिल समितियों को सुदृढ़ बनाने के कार्यक्रम को मंजूरी दी जा चुकी है ।

†**श्री कालिका सिंह** : २७ मार्च, १९६१ को 'संयुक्त कृषि' और 'सामूहिक कृषि' के अन्तर के बारे में एक अनुपूरक प्रश्न के सिलसिले में आपने यह कहा था कि क्योंकि आजकल हम लोग सामूहिक कृषि और सहकारी कृषि के बारे में बड़ी चर्चा सुन रहे हैं, इसलिए यह अच्छा होगा कि यदि माननीय मंत्री के पास कुछ विवरण हो, तो वह उसे पुस्तकालय में रखवा दें ताकि सदस्यगण इनके बीच जो अन्तर है उसे समझ सकें । इसके अनुसार माननीय उपमंत्री महोदय ने 'सहकारी कृषि—नीति और कार्यक्रम' नामक एक पुस्तिका का वितरण सदस्यों में करवाया था । इस पुस्तिका के पृष्ठ ५ पर यह लिखा है, "सामूहिक कृषि में भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त हो जाता है" । अब मैं यह बात . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कालिका सिंह :** मेरा प्रश्न यह है । पिछले वर्ष प्रधान मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि भूमि का स्वामित्व किसी भी स्थिति में छीना नहीं जायेगा । किन्तु 'नीति और कार्यक्रम' वाली इस नई पुस्तिका में, जो हमें माननीय उपमंत्री महोदय द्वारा दी गयी है, यह कहा गया है कि यदि बहुमत की इच्छा होगी, तो समिति भूमि का स्वामित्व ग्रहण कर सकती है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारी नीति में कोई परिवर्तन हुआ है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह बात मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती ।

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति :** हमारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल अपने विचार का विस्तार किया गया है ।

†**श्री कालिका सिंह :** इस पुस्तिका में संयुक्त कृषि और सामूहिक कृषि को इकट्ठा कर दिया गया है और केवल उन समितियों की, जो कार्य कर रही हैं, संख्या बतायी गयी है । क्रियान्विति के मामले में भी यही स्थिति है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह बात इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती । माननीय सदस्य महोदय अपने प्रश्न का उत्तर अथवा उसकी व्याख्या किये जा रहे हैं । यह प्रश्न तो सीमित है ।

†**श्री कालिका सिंह :** क्या मैं जान सकता हूं कि इस समय कितने सामूहिक फार्म काम कर रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य प्रश्न किसी विषय पर पूछ रहे हैं और अनुपूरक प्रश्न सर्वथा भिन्न विषय पर पूछ रहे हैं । मूलतः वह केवल यही जानना चाहते थे ग्राम्य सहकारी व्यवस्था का वित्तीय पहलू क्या है और क्या सहकारी आन्दोलन को सक्रिय बनाने के लिए कोई नयी योजना चालू की जा रही है । बस इतनी सी बात थी ।

†**श्री रघुबीर सहाय :** क्या मैं जान सकता हूं कि यदि देश में ग्राम्य सहकारी व्यवस्था सम्बन्धी आन्दोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं, तो वे क्या हैं और इस आन्दोलन का संचालन करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारियों को अपेक्षित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति :** जी हां ।

†**श्री रघुबीर सहाय :** क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति:** मौजूदा सेवा सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने के लिए और नई समितियों की स्थापना करने के लिए बहुत से कदम उठाये गये हैं । इसके इलावा, सहकारिता का प्रशिक्षण सरकारी कर्मचारियों और गैर-सरकारी लोगों को देने के लिए पृथक पृथक कार्यक्रम तैयार किये गये हैं ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या नवयुवकों में इस आन्दोलन की भावना का संचार करने के लिए प्राथमिक और हाई स्कूल के विद्यार्थियों की पाठ्यपुस्तकों में सहकारी आन्दोलन सम्बन्धी पाठ शामिल किये गये हैं ?

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति :** मंत्रालय इस प्रस्थापना पर भी विचार कर रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : विवरण से पता चलता है कि तीसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में ५२,००० ग्राम्य सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने के कार्यक्रम को मंजूरी दी गयी है। क्या मैं जान सकता हूं कि दृढ़ीकरण की उस योजना पर कितना व्यय होगा और क्या इन समितियों को कुछ पूंजीगत सहायता भी दी जायेगी, क्योंकि इनमें से अधिकांश समितियां धन के अभाव में मृतप्राय हो चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी धनराशि व्यय कर दी है ?

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति** : इस कार्य के लिए और नई समितियों के लिए १०.९९ करोड़ रु० का आवंटन किया गया है।

†**श्री बासप्पा** : क्या मैं जान सकता हूं कि जहां तक सरकार द्वारा इन समितियों की हिस्सा-पूंजी में भाग लेने का सम्बन्ध है, क्या ग्राम्य समितियों के आकार के बारे में कोई अन्तिम निश्चय किया जा चुका है ?

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति** : हिस्सा पूंजी में भाग लेने की बात सेवा-सहकारी समितियों के लिए उपलब्ध है और यह विचार किया जाता है कि लगभग ३,००० व्यक्ति मिल कर एक समिति बनायेंगे।

†**श्री बासप्पा** : क्योंकि योजना आयोग और मंत्रालय में इस बात के बारे में मतभेद है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या समिति की आत्म-निर्भरता के बारे में दोनों में मतैक्य है ?

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति** : जहां तक मेरे आंकड़ों का सम्बन्ध है, उन पर योजना आयोग और सहकार मंत्रालय दोनों में सहमति है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : सहकारी आन्दोलन के प्रसार में एक सब से बड़ी बाधा यह है कि इन समितियों के रजिस्ट्रेशन में बड़ी देर लगती है। इस विलम्ब को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति** : मंत्रियों के सम्मेलन में इस प्रश्न पर विचार किया गया था और सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि, जहां तक संभव हो, प्रक्रिया सम्बन्धी देर को समाप्त किया जाये।

पश्चिम बंगाल—आसाम राजपथ

†*१५५९. **श्री न० रं० घोष** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल को आसाम से मिलाने वाला राष्ट्रीय राजपथ कई स्थानों पर टूट गया है और दूआर्स, जलपाइगुरी में कई पुल बह गये हैं जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के छः महीने यातायात अव्यवस्थित हो जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि टूटे हुए संचार-मार्ग को पुनः चालू करने के लिए, जो पश्चिम बंगाल और आसाम दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण संचार मार्ग है, कई अभ्यावेदन किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गयी है और इस संचार-मार्ग को पुनः चालू करने के लिये टूटे हुए पुलों का निर्माण किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां । राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३१ के उस हिस्से में, जो जलपाइगुरी जिले के दूग्रर्स क्षेत्र में पड़ता है, सिल तोरसा और चार तोरसा नामक स्थानों में दरारें पड़ गयी हैं और सड़क टूट गयी है । ये दरारें १९५० और १९५४ में आयी बाढ़ के परिणामस्वरूप पड़ी हैं । इन स्थानों पर प्रति वर्ष लट्ठों के अस्थायी पुल बनाये जाते हैं और बाढ़ के दौरान यह अस्थायी पुल नाकारा हो जाते हैं तो सरकार द्वारा नौका-सेवा चला कर इस सड़क के दोनों हिस्सों में सम्पर्क कायम रखा जाता है ।

(ख) और (ग). जी हां । भारतीय चाय सन्था, भारतीय चाय उत्पादक संथा और कांग्रेस, कमेटी, जलपाईगुरी के सचिव से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और उनके उत्तर में उन्हें इस बात की सूचना दी गयी है कि समय समय पर इस सम्बन्ध में क्या जांच की गयी और क्या कदम उठाये गये और कदम उठाय जाने का वचार है । तोरसा नदी पर एक स्थायी सड़क-पुल बनाने के उद्देश्य से हाशीमारा में स्थित रेलवे के मौजूदा पुल से नदी के बहाव की ओर १२,०० फुटके फासले पर स्थान का चुनाव कर लिया गया है । पश्चिम बंगाल लोक निर्माण विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं । इस कार्य को मंजूरी दिये जाने और इसे किसी उपयुक्त ठकेदार को सौंपे जाने के बाद, इसके पूरा होने में अनुमानतः तीन वर्ष लगेंगे । माता भंगा के रास्ते से एक वैकल्पिक मार्ग भी है और सड़क यातायात के लिय उसका इस्तेमाल भी किया जाता है ।

†**श्री न० रं० घोष** : पुल के नर्माण में लगभग ३ वर्ष लग जायेंगे, इसलिय क्या सरकार इस विवरण में उल्लिखित पुल अर्थात् हांशीमारा में तोरसा नदी पर स्थित रेलव पुल के 'डैकिंग' के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : इस बात पर पिछले काफी समय से विचार किया जा रहा है । किन्तु इसके निर्माण के बारे में कुछ कठिनाइयां हैं । पहले हमारा विचार था कि इसका निर्माण रेलव पुल के साथ किया जाय । इसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि यह स्थान उपयुक्त नहीं है । इसके पश्चात् पश्चिम बंगाल के चीफ इंजीनियर ने एक स्थान का सुझाव दिया, जिसके बारे में विचार किया गया । किन्तु इसका विचार भी छोड़ दिया गया । अब एक तीसरे स्थान का सुझाव दिया गया है जिस पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री न० रं० घोष** : मेरा प्रश्न यह नहीं है । मेरा प्रश्न यह है कि पुल के बनाने तक क्या सरकार हांशिमारा के मौजदा रेलव पुल के 'डैकिंग' के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : जी नहीं । हमने इस प्रश्न पर भी विचार किया था किन्तु हमने देखा कि इससे काम नहीं चलेगा ।

†**श्री न० रं० घोष** : क्या वह लकड़ी के अस्थायी पुलों के सुधार के बारे में भी विचार करेंगे ताकि वह ज्यादा देर तक चल सकें और वर्षाकाल के प्रारम्भिक प्रभाव से ही बैठ न जायें ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : इन पुलों का निर्माण हर वर्ष किया जाता है किन्तु जब बाढ़ आती है तो व पुनः बह जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे स्टेशनों पर महात्मा गांधी की मूर्त्तियां

†*१५६२. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर महात्मा गांधी की कांसे की मूर्तियां लगाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो कितने स्टशनों पर और कहां कहां पर ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां । कुछ चुने हुए रेलवे स्टेशनों पर महात्मा गांधी की संगमरमर की मूर्तियां लगाने का विचार है ।

(ख) अभी तक, जिन स्टशनों पर मूर्त्तियां लगाने का विचार है, इसका अन्तिम निश्चय नहीं किया गया ।

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान :** इस तथ्य को देखते हुए कि हम जिन राष्ट्रीय नेताओं की मर्त्तियां लगायें, व उनकी आकृति के अनुरूप हों और कला एवं कौशल का नमूना हों, सरकार को बड़ा सावधान रहना चाहिए यह कार्य किस कलाकार को सौंपा गया है, इस कलाकार की विशेष अर्हताएं क्या हैं और इस कार्य के बारे में उसने इससे पहले क्या काम किया है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** जयपुर में श्री गोपीचन्द मिश्र नामक एक सज्जन को यह काम सौंपा गया है । उनसे यह कहा गया है कि वह पहले प्लास्टिक आफ पेरिस के नमूने बना कर मंजरी के लिये पेश करें । जब नमुना (माडल) मंजूर कर लिया जायेगा तो इस बारे में आगे कार्यवाही की जायेगी ।

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार इस प्रस्थापना पर विचार करेगी कि देश भर के कलाकारों से नमूने मंगवाने के लिये एक समिति नियुक्त की जाय और उसके पश्चात सर्वोतम माडल का चुनाव किया जाय ? उसी कलाकार को यह काम देना चाहिए, जिसका माडल सबसे बढ़िया हो क्योंकि यह वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण काय है ।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** विचार यह है कि मंजूरी के लिये कुछ मूर्त्तियां मंगवायी जायें । जब देखा जायेगा कि यह एक अच्छी मूर्त्ति है, तभी उसकी प्रतिष्ठापना को जायगी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्या का यह कहना है कि देश के विभिन्न कलाकारों को प्लास्टिक आफ पेरिस के नमूने की मूर्तियां भेजने के लिये क्यों नहीं किया गया और इस प्रकार आये नमनों में से उसको चुना जाना चाहिए जो मूल आकृति के सर्वाधिक निकट हो ।

†**श्री जगजीवन राम :** यह कदम भी उठाया जायगा, किन्तु पहले पहले हमने वही किया है जिसका उल्लेख उपमन्त्री महोदय ने किया है ।

†**श्री त्यागी :** क्या माननीय मन्त्री महोदय को यह स्मरण है कि महात्मा गांधी अपने जीवन-काल में इस किस्म के फिजूलखर्ची के कार्यों पर सार्वजनिक धन का अपव्यय करने के बहुत विरुद्ध थे ? इस कार्य पर कितना धन खर्च किया जा रहा है ?

†**श्री जगजीवन राम :** अभी तक कोई धन व्यय नहीं किया गया । विचार यह है कि कई स्थानों पर जहां के स्टशनों पर काफी खुला स्थान है, जनता द्वारा रेलव विभाग से इस बात की अनुमति मांगी

---

†मूल अंग्रेजी में

गयी है कि जनता को उन स्टेशनों पर महात्मा गांधी की मूर्त्तियां लगाने दी जायें । मैंने सोचा कि यदि हम सामान्य अनुमति दे देंगे तो विभिन्न किस्म की मूर्त्तियों की स्थापना हो जायेगी । अतः यह अच्छा होगा कि यदि महत्वपूर्ण स्थानों पर रेलवे स्वयं ही महात्मा गांधी की अच्छी मूर्तियां लगाये और उन पर महात्मा गांधी के उद्देश्यों और उद्देश्यों को उत्कीर्ण किया जाये । अभी तक तो इस बात पर विचार ही किया जा रहा है अतः इस बात का अनुमान नहीं लगाया गया कि कितना धन व्यय होगा अथवा कितनी मूर्त्तियां स्थापित की जायेंगी ।

†श्री च० द० पांडे : इस बात को देखते हुए कि महात्मा गांधी एक बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता थे, क्या यह उचित है कि बिना अच्छी प्रकार से विचार किये उनकी मूर्ति हर स्टेशन पर लगायी जाये ?

† कुछ माननीय सदस्य : क्यों नहीं ।

†श्री जगजीवन राम : मेरे माननीय मित्र को विदित है कि महात्मा गांधी की बहुत सी मूर्त्तियां देश में लगायी गयी हैं ।

†श्री बलराज मधोक: यदि अन्य लोगों द्वारा अन्य नेताओं की मूर्तियां स्थापित करने की पेश-कश की जाये तो क्या उसे स्वीकार किया जायेगा ?

†श्री जगजीवनराम : जी नहीं ।

†श्री स० मो० बनर्जी : माननीय उपमन्त्री महोदय ने यह कहा है कि महात्मा गांधी की मर्त्तियों की स्थापना के लिए कुछ स्टशनों को चुना जायेगा । इन स्टेशनों के चुनाव का क्या आधार होगा ?

†श्री शाहनवाज खां : नगर के नाते उनका महत्व ।

†श्री विभूति मिश्र : अभी माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि कुछ खास खास स्टेशनों पर ये स्टेचू लगाये जायेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि अगर छोटे छोटे स्टेशनों पर स्टेचू लगाने के लिए वहां की जनता इनको आफर करे तो क्या माननीय मंत्री जी उनको कबूल करेंगे और क्या देखेंगे कि महात्मा गांधी के स्टेचू हर उस स्टेशन पर लग जायें, जहां की जनता इनको आफर करे ?

†श्री जगजीवन राम : लोगों की तरफ से दी गई मूर्त्तियों को स्वीकार करना मुनासिब नहीं समझा गया क्योंकि न मालूम कितनी तरह के स्टेचू आ जायें ।

बगमार के निकट गाड़ी की टक्कर

†*१५६३. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम शंकर लाल :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री तंगामणि :
श्री धर्मलिंगम् :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री प्र० गं० देव :
श्री सम्पत :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १३ मार्च, १९६१ अथवा उसके आसपास इटारसी-भुसावल सवारी गाड़ी मध्य रेलवे के डोंगर गांव और बगमार स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी के पिछले हिस्से से टकरा गयी ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे ; और

(ग) इस दुर्घटना से जान या माल की कितनी हानि हुई ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) रेलवे के सरकारी इन्सपेक्टर इस की तहकीकात कर रहे हैं ।

(ग) किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई । यह अनुमान लगाया गया है कि रेलवे को लगभग पन्द्रह सौ रुपये के मूल्य की क्षति पहुंची है ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस दुर्घटना का कारण श्रमिकों अथवा पदाधिकारियों की लापरवाही अथवा गलती है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : हम रेलवे के सरकारी इन्सपेक्टर की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कोई घायल व्यक्ति बाद में मर गया था ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : कोई नहीं ।

पाकिस्तान को चीनी का सम्भरण

†*१५६४. { +श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मुहम्मद इलियास : }

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने पाकिस्तान को चीनी का भारी मात्रा में सम्भरण करने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पेशकश को स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ग) इस प्रस्थापना का ब्योरा क्या है ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार का विनियमन भारत-पाकिस्तान व्यापार करार द्वारा होता है । मार्च, १९६१ के अन्तिम सप्ताह में इस समझौते पर किये गये अन्तिम पुनर्विचार के समय पाकिस्तानी व्यापार प्रतिनिधिमंडल को यह सुझाव दिया गया था कि भारत से पाकिस्तान को निर्यात की जाने वाली चीजों में चीनी को भी शामिल कर लिया जाये । उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पाकिस्तान को निर्यात की जाने वाली चीनी के बारे में हमारे प्रतिनिधि मंडल अथवा पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल द्वारा कोई अस्थायी अनुमान लगाया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० म० थामस : अनुमान यह है कि उन्हें ३ लाख टन चीनी की आवश्यकता पड़ सकती है । वहां पर दो लाख टन चीनी का उत्पादन होता है और वे १ लाख टन चीनी हम से ले सकते हैं ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस बात का निश्चय किया जा चुका है कि उनसे क्या कीमत ली जायेगी ? क्या पाकिस्तान को उसी दर पर चीनी बेची जायेगी, जिस दर पर पश्चिमी देशों को बेची जा रही है अथवा किसी अन्य दर पर ?

†श्री अ० म० थामस : अभी इस बात पर विचार नहीं किया गया । मार्च, १९६१ के प्रथम सप्ताह में पाकिस्तान और भारत के व्यापार प्रतिनिधिमंडलों की एक बैठक हुई थी । हमारे प्रतिनिधिमंडल ने यह प्रश्न उठाया था और पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के नेता ने कहा था कि वह इस सुझाव की जांच करायेंगे अर्थात् व्यापार समझौते में चीनी को शामिल करना आदि विस्तृत की बातें हैं और अभी उनकी जांच नहीं की गयी है ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : हमारे देश में चीनी की उत्पादन लागत क्या है और हम आम तौर चीनी का निर्यात किस दर पर करते हैं ?

†श्री अ० म० थामस : इस सभा में इस बात का उत्तर कई बार दिया जा चुका है । हमारी उत्पादन लागत काफी अधिक है । यह लगभग ७०० रु० प्रति टन है ।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : क्या यह करार बहुत से वर्षों के लिए होगा अथवा सरकार इस पर प्रतिवर्ष पुनर्विचार किया करेगी ?

†श्री अ० म० थामस : अभी यह बात प्राथमिक अवस्था में है । अभी तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि क्या वह चीनी का आयात करने के लिए तैयार हैं । उन्होंने यह वायदा किया है कि वह हमारे सुझाव पर विचार करेंगे । हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

†श्री ब्रज राज सिंह : क्या पाकिस्तान को चीनी का निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार द्वारा विनियमित होगा और यदि हां, तो क्या पाकिस्तान द्वारा भारत को दी जाने वाली कीमतों के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है अथवा विचार किया जा रहा है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : वह अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार द्वारा प्रशासित होगा क्योंकि हम असोसिएशन के सदस्य हैं । दो देशों के बीच करार के अनुसार चीनी का निर्यात होता है और मूल्य भी तय किये जाते हैं । इसी तरह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार उसका केवल एक बहुत छोटा भाग है ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या पाकिस्तान को चीनी के निर्यात से हमें नुकसान होगा ?

†श्री स० का० पाटिल : मुझे ठीक ठीक आंकड़े नहीं मालूम हैं । लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में चीनी की उत्पादन लागत उतनी ही होगी जितनी भारत में । यदि उस आधार पर यह किया गया हो तो लाभ हानि का कोई सवाल नहीं पैदा होगा ।

†श्री रघुनाथ सिंह : हिन्दुस्तान में जो भाव चीनी का है अगर पाकिस्तान को उससे कम भाव पर चीनी सप्लाई की जायगी तो पाकिस्तान से वही चीनी फिर हिन्दुस्तान में चीप प्राइस में स्मगल होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० का० पाटिल : वह सम्भव है ।

†श्री दी० चं० शर्मा : यह करार कब तक परिपक्व हो जायेगा और क्या पाकिस्तान को चीनी के निर्यात से उस देश के साथ हमारे सम्बन्ध मधुर हो जायेंगे ?

†श्री स० का० पाटिल : यह बातचीत हमारे मंत्रालय के साथ नहीं की जा रही है । वह वैदेशिक मंत्रालय के साथ हो रही है ।

स्थायी सिन्धु आयोग

†*१५६५. श्री आचार : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्धु जल सन्धि के अन्तर्गत स्थापित स्थायी सिन्धु आयोग की एक बैठक अभी हाल में दिल्ली में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई और क्या निश्चय किये गये ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां । स्थायी सिन्धु आयोग की पहली नियमित वार्षिक बैठक २८ से ३० मार्च, १९६१ तक हुई थी ।

(ख) इस बैठक में मुख्यतः सिन्धु जल सन्धि सम्बन्धी मामलों पर प्रारम्भिक चर्चा और विचार विनिमय हुआ । इन में निम्न विषयों पर चर्चा हुई : स्थायी सिन्धु आयोग के लिये प्रक्रियाओं का निर्धारण, १९६०–६१ की पहली वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, पश्चिमी पाकिस्तान को बाढ़ संबंधी समाचार भेजने के लिये भारत में वायरलेस स्टेशन स्थापित करना, बहती लकड़ी और दूसरी सम्पत्ति की प्राप्ति और मालिकों को उस का लौटा दिया जाना, दोनों देशों के बीच नदियों और नहरों में पानी निकासी के आंकड़ों का आदान प्रदान, पाकिस्तान को दी जाने वाली सप्लाई का विनियमन तथा संधि-कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में अन्य विषय ।

आयोग की अगली बैठक में विभिन्न मदों के बारे में बातचीत करने से पहले दोनों आयुक्तों ने उन की छानबीन करना मंजूर कर लिया है ।

†श्री आचार : क्या भारतीय और पाकिस्तानी प्रतिनिधियों के बीच किन्हीं खास बातों पर मतभेद था और यदि हां, तो यह किस तरह दूर किया गया ?

†श्री हाथी : बैठक में कोई निर्णय नहीं किये गये । दोनों आयोगों ने सिर्फ अपनी अपनी बातें पेश कीं और यह तय हुआ कि दूसरी बैठक में इन पर बहस की जायेगी ।

†श्री आचार : मेरा सवाल था कि दोनों शिष्टमंडलों के बीच कोई मतभेद था और यदि हां, तो वह क्या था ?

†श्री हाथी : वास्तव में यह सिर्फ एक प्रारम्भिक बैठक थी जिस ने अगली बैठक की कार्यसूची निर्धारित की । उन्होंने केवल वे विषय प्रस्तुत किये जिन पर अगली बैठक में चर्चा होगी । गुण-दोष पर कोई नियमित चर्चा नहीं हुई और न कोई निर्णय किया गया ।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : माननीय मंत्री ने बताया कि एक विषय पाकिस्तान को पानी की सप्लाई के बारे में था । क्या पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने इस बारे में कोई योजना रखी थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हाथी : ये विषय अगली बैठक में चर्चा के लिये कार्यसूची के तौर पर थे । गुणदोषों पर कोई चर्चा नहीं हुई ।

भाखड़ा में विद्युत उत्पादन

†*१५९९. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा में विद्युत् उत्पादन और उपयोग का क्या कार्यक्रम है; और

(ख) क्या यह सच है कि नंगल उर्वरक कारखाना, उस कारखाने के लिये विशेष रूप से उत्पन्न की गयी बिजली नहीं ले सकेगा ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) भाखड़ा बांध किनारा बिजली घर के पांच एककों में से ९०,०००/५३,००० किलोवाट का पहला और दूसरा यूनिट क्रमशः १४ नवम्बर, १९६० और १ फरवरी,१९६१ को चालू किया गया था। तीसरा, चौथा और पचवां यूनिट सभवतः क्रमशः ३० जुलाई, १अक्तूबर, और १ दिसम्रबर, १९६१ को चालू किया जायेगा ।

६ दिसम्बर, १९६० से ३१ जनवरी, १९६१ तक नंगल उर्वरक कारखाने ने १५०० से ७२०० किलोवाट बिजली का उपयोग किया, फरवरी, १९६१ में उस कारखाने की मांग के अनुसार बिजली की खपत, ५०,००० किलोवाट बढ़ा दी गई । मार्च में यह और आगे ७०,००० किलोवाट तक बड़ा दी गयी । वह कारखाना अभी फिलहाल ९०,००० किलोवाट बिजली काम में ला रहा है । बाकी बिजली पंजाब और राजस्थान में उपभोग के लिये भाखड़ा नंगल ग्रिड पर बराबर काम में लायी जाती रही ।

(ख) मार्च, १९६१ में बनाये गये कार्यक्रम के अनुसार नंगल उर्वरक कारखाने को अप्रैल में ९०,००० किलोवाट और मई के अन्त तक ११०,००० किलोवाट बिजली की आवश्यकता है । अनुमान है कि इस कार्यक्रम का पालन किया जायेगा ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : विवरण में दी गयी जानकारी धटनास्थल पर हमें बतायी जानकारी से बिल्कुल अलग है । फिर भी विवरण के अनुसर यह स्पष्ट है कि दिसम्बर, और जनवरी में लगभग १,०६,००० किलोवाट बिजली तैयार की गई थी जब कि राज्य ने ७,२०० किलोवाट से अधिक बिजली काम में नहीं लायी । फिर यह बिजली पंजाब और राजस्थान में किस तरह इस्तेमाल की गयी और बाद में वह फिर कैसे बन्द कर दी गयी ?

†श्री हाथी : ६ दिसम्बर, १९६० से ३१ जनवरी, १९६१ तक नंगल उर्वरक कारखाने ने १,५०० से ७,२०० किलोवाट बिजली का उपयोग किया । शेष बिजली उन उन सरकारों ने काम में लायी ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर: पंजाब और राजस्थान ने दिसम्बर और जनवरी,में ९०,००० से अधिक किलोवाट बिजली का उपयोग किया और अब फरवरी और मार्च में उन्होंने वह बन्द कर दिया । जो बिजली थी उस का क्या हुआ ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी** : यह इस तरह हुआ कि ५०,००० किलोवाट का दूसरा बिजली घर फरवरी, १९६१ में चालू किया गया था । इसलिये ५०,००० किलोवाट की अतिरिक्त बिजली केवल फरवरी में ही आयी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

कनाट प्लेस, नई दिल्ली के लिए नगर आयोजकों की प्रस्थापनायें

+
†*१५६७. { **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** :
श्री बहादुर सिंह :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के लिये नगर आयोजकों की तालिका ने कनाट सर्कस नई दिल्ली में सिंधिया हाउस और रीगल बिल्डिंग के बीच के प्लाट पर एक १६ मंजिली इमारत के निर्माण की रूप रेखा को मंजूरी दे दी है;

(ख) क्या नगर आयोजकों ने कनाट प्लेस के जंक्शनों पर चार भूमिगत मार्ग (क्रासिंग) बनाने का सुझाव भी दिया है; और

(ग) कनाट प्लेस क्षेत्र में यातायात के दबाव को कम करने के लिये नगर आयोजकों की अन्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) नगर आयोजन संगठन ने इस भूखंड पर लगभग १६ मंजिल वाली दो इमारतें बनाने का सुझाव दिया था । इस मामले पर भारत सरकार विचार कर रही है ।

(ख) नई दिल्ली नगर निगम की सड़क सुरक्षा और योजना उप समिति ने दो भूमिगत पैदल उपमार्गों के लिये सिफारिश की है ।

(ग) नई दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि बस रुकने और गाड़ियों के रखने की जगहों को फिर से बनाने, एक तरफा यातायात चालू करने, कनाट प्लेस बगीचे को जोड़ने वाली सड़कें समाप्त कर उसे एक यूनिट में बदलने, सार्वजनिक गाड़ियों के रुकने की जगह पुनः निर्धारित करने और निचली मंजिल पर बनायी जाने वाली सड़कों के लिये २० इंच की सेट बैंक लाइन दे कर एक मिडिल रोड बनाने की योजना है ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : इस बात को देखते हुए कि दिल्ली में और उस के आस पास भूमिगत जल बढ़ रहा है क्या इंजीनियरों ने इस बात पर विचार किया है कि दिल्ली में १६ मंजिल वाली इमारत सुरक्षित होगी ।

†**श्री करमरकर** : मुझे पूरा विश्वास है कि निर्माण,आवास और संभरण मंत्रालय जो भूमिगत जल से संबंधित है, इस की ओर पूरा ध्यान देगी ।

†**श्री अंसार हरवानी** : यह १६ मंजिल वाली इमारत कौन बनवा रहा है और क्या उस में उस के लिये सरकार से कोई मदद मांगी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री करमरकर : जहां तक मुझे मालूम है, कोई राज सहायता नहीं मांगी गई है और यह प्रस्ताव जीवन बीमा निगम ने रखा है।

†श्री कालिका सिंह : क्या यह १६ मंजिल वाली इमारत वही है जो सचिवालय के पास बनायी जाने वाली थी ?

श्री करमरकर : नहीं, जहां तक मुझे ज्ञात है, वह कल्पना रद्द कर दी गयी है।

विशाखापत्तनम में सूखी गोदी

+

†*१५६९. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री पांगरकर :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम में सूखी गोदी बनाने के लिए पुनरीक्षित तथा अन्तिम प्राक्कलन इस बीच तैयार कर लिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका व्योरा क्या है ; और

(ग) कार्य कब शुरू होगा ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन) : (क) जी हां।

(ख) संशोधित अनुमान लगभग २६९ लाख रुपये है जिस में ७३ लाख रुपये विदेशी मुद्रा के रुपये हैं। संशोधित योजना में दो १०-टन के क्रेन, एक अतिरिक्त हेवी लिफ्ट ४० टन की क्रेन की व्यवस्था की गयी है जिस से सूखी गोदी में मशीन से स्वयं चालित बिल्ज ब्लाक की सुविधा हो। मूल योजना में इसकी कल्पना नहीं थी।

(ग) परियोजना के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा प्राप्त होते ही काम शुरू कर दिया जायेगा। इस के लिए हम संभव साधन ढूंढ रहे हैं।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : पहले एक प्रश्न के उत्तर में भी यही कहा गया था कि मुख्य समस्या विदेशी मुद्रा की है। यह समस्या दूर करने के लिये क्या किया गया है ?

†डा० प० सुब्बारायन : विदेशी मुद्रा के लिए सभी उपाय ढूंढ रहे हैं। ७३ लाख रुपये काफी बड़ी रकम है।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : हिन्दुस्तान शिपयार्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि दूसरे जहाज कारखाने के लिए भी इस परियोजना को ऊंची प्राथमिकता दी जानी चाहिये। प्राक्कलन समिति ने इसका समर्थन किया है और जहाज मरम्मत समिति ने भी यह परियोजना शुरू करने की सिफारिश की है। इन सब सिफारिशों को देखते हुए सरकार इसे शुरू करने में क्यों हिचकिचाती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० प० सुब्बारायन : माननीय सदस्य जो कुछ कहते हैं वह मुझे मंजूर है । लेकिन जहां तक विदेशी मुद्रा का संबंध है, वह ४९ लाख रुपये से बढ़ कर ७३ लाख रुपये हो गयी है । इस योजना के लिए मूल अनुदान २१५ लाख रुपये था जो अब २९९ लाख रुपये हो गया है ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : हिन्दुस्तान शिपयार्ड के भावोत्पादक ढंग से कार्य करने के लिये भी यह सूखी गोदी अत्यावश्यक है । ऐसी स्थिति में इसे सर्वोच्च प्राथमिकता क्यों न दी जाये ?

†डा० प० सुब्बारायन : केवल सर्वोच्च प्राथमिकता देने से ही आवश्यक विदेशी मुद्रा प्राप्त करना संभव नहीं हो जाता ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : परिवहन तथा संचार के अधीन ३०० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की व्यवस्था है । क्या उस में से ७३ लाख रुपये हम नहीं ले सकते ?

†डा० प० सबारायन : वह इतना आसान नहीं है जितना माननीय सदस्य सोचते हैं !

†श्री रघुनाथ सिंह : जब भारत ७० लाख रुपये माहवार खर्च करता है और लगभग उसकी आधी रकम विदेशी मुद्रा में होती है तब यह सूखी गोदी का काम तुरन्त क्यों नहीं शुरु किया जाता जब कि हम विदेशी कंपनियों को उतना पहले से ही दे रहे हैं ?

†डा० प० सुब्बारायन : मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य हिसाब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन फिर भी यह उतना आसान नहीं है जितना वह सोचते हैं ।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या इस परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए वित्त मंत्रालय से आग्रह किया गया है ?

†डा० प० सुब्बारायन : जी, हां । हम यथासंभव इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने की कोशिश कर रहे हैं ।

वजीराबाद में पुल

†
*१५७०. { श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १९ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १०७९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि यमुना नदी पर वजीराबाद, दिल्ली में एक नया सड़क का पुल बनाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : ऊपरी हिस्से की तामीर का काम ठेकेदार को दिया जा चुका है और काम चालू है । पुल पर दोनों तरफ से मिलने वाली सड़कों की तामीर का काम भी शुरू हो चुका है । संभव है कि पुल की तामीर १९६१ तक पूरी हो जायगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पिछली बार भी कहा गया था और आज भी जवाब में कहा गया है कि सन १९६१ के आखिर तक इस पुल के बनाने का काम पूरा हो जायेगा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या जिस रफतार से काम हो रहा है उसको देखते हुए कब तक काम पूरा हो जाने की यह उम्मीद पूरी हो जायगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)** : जहां तक मेरी जानकारी है, शीघ्र प्रगति हो रही है और आशा है कि वह १९६१ तक पूरा हो जायगा।

सहकारिता शिक्षा सम्बन्धी गोष्ठी

†*१५७२. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, १९६१ के चौथे सप्ताह में दिल्ली में सहकारिता शिक्षा सम्बन्धी एक गोष्ठी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस में किन समस्याओं पर चर्चा की गयी थी ; और

(ग) इस गोष्ठी में क्या विचार प्रकट किये गये और क्या सिफारिशें की गयीं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) जी हां,। सहकारिता शिक्षा संबंधी एक गोष्ठी नई दिल्ली में २५ मार्च, १९६१ से २७ मार्च, १९६१ तक अखिल भारतीय सहकारी संघ द्वारा आयोजित की गयी थी ।

(ख) गोष्ठी ने निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की :—

(१) सहकारिता शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए संगठनात्मक व्यवस्था और वित्तीय व्यवस्था

(२) क्षेत्र में सहकारिता शिक्षा कार्य और तथा दूसरे कार्यक्रमों के साथ उनका समन्वय

(३) शिक्षा कार्यक्रम की सफलताएं

(४) जांच, निरीक्षण तथा बाद के कार्यों की व्यवस्था

(५) साहित्य, अध्यापन साधन आदि का निर्माण तथा उनकी सप्लाई

(६) कर्मचारियों की समस्याएं

(ग) गोष्ठी की अंतिम रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

†**श्री राधारमण** : कितने लोगों ने, और किन किन राज्यों से, इस गोष्ठी में भाग लिया और क्या इस गोष्ठी की रिपोर्ट सभी संसद-सदस्यों को बांटी जायेगी ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : सभी राज्यों के प्रतिनिधि आये थे ।

†**श्री शिवनंजप्प** : अभी तक कितनी राज्य-गोष्ठियां हुई हैं ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : यह एक अखिल भारतीय गोष्ठी है और प्रादेशिक गोष्ठियों के लिए प्रबन्ध किया जायगा ।

†**श्री त्यागी** : इस गोष्ठी पर कुल कितना खर्च हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब० सू० मूर्ति : यह गोष्ठी अखिल भारतीय सहकारी संघ द्वारा की जाती है, सरकार द्वारा नहीं ।

†श्री त्यागी : अखिल भारतीय सहकारी संघ सहायता प्राप्त संस्था है । माननीय मंत्री उस के खर्चे के सभी ब्यौरे देखते हैं । क्या वे कुल खर्च या बजट की रकम नहीं बता सकते ?

†श्री ब० सू० मूर्ति : अखिल भारतीय सहकारी संस्था एक स्वायत्तशासी संस्था है और सरकार ने सहकारिता के प्रशिक्षण का काम इसी संस्था को सौंपा है ।

†श्री त्यागी : यदि यह ऐसा विषय है जिस में माननीय मंत्री को चिन्ता नहीं करनी है तो यह प्रश्न क्यों गृहीत किया गया ? मैं जानता हूं कि इस पर कितना खर्च किया गया ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री विकास और सहकारिता के भार साधक हैं और इसलिए उन्हें विभिन्न सिफारिशों के बारे में जानकारी रखनी चाहिये । लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि प्रत्येक जगह जहां गोष्ठी आयोजित की जाये, माननीय मंत्री यह जानकारी रखे कि चाय-काफी पर कितना-कितना खर्च हुआ ;

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह मंत्रालय वित्तीय अंशदान नहीं देता ?

†अध्यक्ष महोदय : यह बिलकुल अलग सवाल है । माननीय सदस्य बहुत गहराई में जा रहे हैं ।

†श्री त्यागी : मेरा ख्याल है कि वह बरबादी है ।

†श्री ब० सू० मूर्ति : उस गोष्ठी में खर्च की बरबादी नहीं हुई है । अखिल भारतीय सहकारी संघ उत्तरदायी स्वायत्तशासी संगठन है और उसे सहकारिता का प्रशिक्षण सौंपा गया है । जहां तक खर्च का संबंध है हम इस सहकारी संघ को अनुदान देते हैं और तब हम उस के खर्च की छान बीन करते हैं । लेकिन सामान्यतया हम उन से नहीं पूछते कि उन्होंने कहां-कहां कितना कितना खर्च किया ।

†श्री रघुबीर सहाय : इस गोष्ठी में कितने सहकारी और कितने गैर-सरकारी कर्मचारियों को बुलाया गया था और गैर-सरकारी कर्मचारी किस श्रेणी के थे ?

†श्री ब० सू० मूर्ति : मुझे ये ब्यौरे नहीं मालूम हैं ।

†श्रीमती मैमूना सुल्तान : इस गोष्ठी की रिपोर्ट कब तक प्राप्त होने की संभावना है ?

†श्री ब० सू० मूर्ति : बहुत जल्दी ।

†श्री कालिका सिंह : प्रत्येक राज्य में सहकारिता संबंधी कानून अलग अलग हैं । क्या इस गोष्ठी में सभी राज्यों के लिए एक सा कानून बनाने के लिए विषय पर बहस की गयी थी

†श्री ब० सू० मूर्ति : गोष्ठी में जिन बातों पर चर्चा हुई उनकी सूची मैं पहले ही पढ़ चुका हूं ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इन स्वायत्तशास्त्री संस्थाओं के सम्बन्ध में हम किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं इस बारे में हम आप का मार्गदर्शन चाहते हैं । आज कल इन स्वायत्तशास्त्री संस्थाओं की बाढ़ सी है और विभिन्न मंत्रालय इन्हें वित्तीय सहायता भी देते हैं । और वह ठीक वैसा ही जैसा

†मूल अंग्रेजी में

मंत्रालय ने स्वतः खर्च किया हो। यदि वित्तीय खर्च ब्यौरे का विषय हो तो हम नहीं जानते कि हमें क्या करना चाहिये ।

†अध्यक्ष महोदय : स्वायत्तशास्त्री निगम स्थापित करते समय ही माननीय सदस्यों को अधिक सावधान रहना चाहिये । जब हम उन्हें स्वतः शक्तियां देते हैं ताकि कार्यपालिका अधिकारी उन के दैनेदिन प्रशासन में अड़चन न डाल सकें, सब माननीय मंत्री को निरीक्षण के विषय में भी कुछ शक्तियां प्राप्त होती हैं और उस हद तक मैं प्रश्नों के लिये अनुमति दे सकता हूं । स्वायत्तशासी निगमों के भार साधक मंत्रालयों के बारे में मैं प्रश्नों के लिये अनुमति दूंगा । स्वायत्तशासी निगमों को अपनी ही कृति द्वारा सारी शक्ति सौंपने के बाद वह अपने ही कार्य की निन्दा कैसे कर सकते हैं इस पर हमें आश्चर्य होता है । माननीय सदस्य चाहें तो निरसनकारी विधेयक पेश कर सकते हैं और यदि सभा मंजूर करे तो वह अधिनियम रद्द हो जायगा । तब माननीय सदस्य अपने मंत्रियों के जरिये उन का प्रशासन अपने हाथ में ले सकते हैं । यही सीमा है और इस से अधिक ब्यौरा बनाना संभव नहीं है ।

†श्री ब० सू० मूर्ति: यह संसद् द्वारा या सरकार द्वारा निर्मित स्वायत्तशासी संस्था नहीं है । यह पूर्णतः गैर सरकारी संगठन है ।

†श्री ब्रज राज सिंह : यही तो बात है कि यह स्वायशासी संस्था नहीं है ।

†अध्यक्ष महोदय : सहकारी समिति एक स्वतंत्र संगठन है जो एक कानून के अन्तर्गत बनाया जाता है, वह इस संसद् द्वारा नहीं बनाया गया है । यदि माननीय सदस्य उस के कार्य से सन्तुष्ट नहीं है तो वे रजिस्ट्रार को लिख कर उस का रजिस्ट्रेशन रद्द करा दें और कोई भी शेयर होल्डर उसे अपने अधिकार में ले लें । इस प्रश्न के विषय में हमें केवल इतना ही दिलचस्पी है कि गोष्ठी सहकारिता आन्दोलन का विकास करें । अब हम अगला प्रश्न उठायें ।

†श्री त्यागी : औचित्य प्रश्न के हेतु । आपने पहले यह निर्णय किया था कि जब भी सरकारी कोष से निधि दी जाय, तब ससद् का उसके उपर कोई नियंत्रण होना चाहिये । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह संस्था ठीक से काम कर रही है और सरकार ने उसे कितनी रकम पेशगी दी है ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अलग प्रश्न पूछें और तब मैं उस पर विचार करुंगा ।

†श्री ब्रज राज सिंह : कम से कम हमें यह जानकारी मिलनी चाहिये कि संपूर्ण वर्ष के लिये इस संगठन को यदि इस गोष्ठी के लिये नहीं तो, कितना रुपया दिया गया है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

केशवपुर सीवेज ट्रीटमें प्लान्ट, दिल्ली

†*१५७३. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के केशवपुर सीवज ट्रीटमेंट प्लान्ट में अभी हाल में काम शुरू हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी लागत आयी है ;

(ग) इसकी क्षमता कितनी है ; और

(घ) कितने क्षेत्रफल को इस से लाभ पहुंचाया जाने वाला है ?

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) लागत करीब ७० लाख रुपया है ।

(ग) इस की क्षमता १२० लाख गैलन प्रति दिन है ।

(घ) नजफगढ़ सड़क और छावनी के दोनों ओर सरकारी और गैर-सरकारी बस्तियों में लगभग ४ लाख व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि इस संयंत्र की स्थापना करीब तीन साल पहले की गयी थी जब कि वह अभी हाल में चालू किया गया है । इतनी देर के क्या कारण हैं ?

†श्री करमरकर : कुछ समय पहले मैं ने इस के कारण बताये थे । यह ठीक है कि कुछ देर हुई है। यदि आप अनुमति दें, तो संक्षेप में मैं इस के कारणों का सारांश दे सकता हूं । वह सूची लगभग तीन पृष्ठों की है । मैं संक्षेप में इस का सारांश बता सकता हूं ।

†अध्यक्ष महोदय : वह सभा पटल पर रख दिया जाये ।

†श्री करमरकर : मैं कारण दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दूंगा ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : मूल्य ह्रास, अपरिपक्व निदेश और क्रियाहीन अवधि में संयंत्र के रखरखाव पर कितनी हानि का अनुमान किया गया है ?

†श्री करमरकर : मैं नहीं समझता कि संयंत्र के रखरखाव के कारण कोई हानि हुई क्योंकि संयंत्र का रखरखाव नहीं किया गया था । दूसरी किसी हानि के बारे में, उस का हिसाब लगाना कठिन है ।

आयुर्वेदिक चिकित्सक

*१५७४. श्री पद्म देव : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी आयुर्वेदिक चिकित्सकों का वेतन-क्रम क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि अभी तक समस्त देश में वेतन-क्रमों में बड़ा अन्तर है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि एलोपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सकों के वेतन-क्रमों में भारी अन्तर है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) और (ग) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो सरकार इस विषमता को दूर करने के लिये क्या कर रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेतन-क्रम हैं । एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [देखिये पृष्ठ ५, अनुबन्ध संख्या ५१]

(ख) और (ग). जी, हां ।

(घ) इस विषय पर कार्यवाही करना राज्य सरकारों का काम है ।

श्री पद्म देव : इस विवरण को पढ़ने से ज्ञात होता है कि ५० रुपये से ले कर २५० रुपये तक आयर्वेदिक चिकित्सकों का वेतन रखा गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस महान अन्तर का कारण क्या है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री करमरकर: ५० रुपया तो मुझे यहां नहीं मिलता है। फिर भी यह अन्तर है और जैसा कि मैं ने अभी कहा है, यह राज्य सरकारों का काम है कि यह अन्तर न रहे और ज्यादा तन्ख्वाह उन को दी जायें। अलग अलग रियासतों में काफी पैसा नहीं होता है और इसलिये इस बारे में कठिनाई होती है। अगर सब की तन्ख्वाहें बढ़ें, तो मुझे आनन्द होगा।

श्री पद्म देव : हिमाचल प्रदेश एक केन्द्र-शासित प्रदेश होने के कारण केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है। वहां पर कम से कम वेतन मिलता है और वहां के लिये केन्द्रीय सरकार ही फैसला कर सकती है कि उन वैद्यों को उचित वेतन मिले। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस के सम्बन्ध में मंत्री महोदय के समक्ष कोई योजना है।

श्री करमरकर : माननीय सदस्य ने पढ़ा होगा कि इस विवरण के पेज २ पर लिखा है कि हिमाचल प्रदेश में वेतन-क्रम पंजाब में दिये जाने वाले वेतन-क्रमों के अनुसार है। पंजाब म वैद्यों के लिये ८०---५---१०५---५---१३५---७---१७० और उप-वैद्यों के लिये ५५---९० का वेतन-क्रम है।

†श्री आसर : क्या सरकार को मालूम है कि कई राज्य-औषधालयों में, कम वेतन के कारण योग्य आयुर्वेदिक वैद्य उपलब्ध नहीं हैं और यदि हां, तो क्या सरकार उन के वेतन बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

†श्री करमरकर : यह प्रश्न आयुर्वेदिक वैद्यों के बारे में है। जहां तक मैं समझता हूं, वह अन्तर योग्यताओं में अन्तर के कारण है। जितनी ऊंची योग्यता होती है, उतना ही अधिक वेतन उन को मिलता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि जैसे कुछ राज्य सरकारों का यह प्रयत्न हमने देखा है कि वे उन्हें यथा समय अच्छा वेतन देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, यदि प्रत्येक आयुर्वेदिक वैद्य को निर्वाह-मजूरी मिले तो मुझे प्रसन्नता होगी।

†श्री आचार : विवरण से यह दिखायी पड़ता है कि मैसूर राज्य के विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न वेतन-क्रम हैं। क्या इन वेतन-क्रमों को एक करने का प्रयत्न किया जायगा ?

†श्री करमरकर : वे अन्य सेवाओं की तरह हैं। इस सेवा के मामले में भी वे इसे सुसंगत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वह हो जाने पर मैं समझता हूं कि योग्यताओं के अनुसार वेतन एक से कर दिये जायेंगे।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मैं यह समझूं कि इस विषय में समन्वय के लिय केन्द्रीय सरकार का कोई उतरदायित्व नहीं है। शिक्षा मंत्रालय न केवल समन्वय कर रहा है, बल्कि प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के वेतन बढ़ाने के लिये वित्तीय सहायता भी दे रहा है। क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है ?

†श्री करमरकर : यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती हो तो हम भी देने की कोशिश करते हैं, वह हमारा कर्तव्य है। समन्वय के बारे में विभिन्न स्तरों पर बैठकें हुई हैं। उन में से एक भारतीय केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् है। वहां हम सभी राज्यों के समान हित की सभी समस्याओं का समन्वय करते हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की अगली बैठक में हम वह विषय भी पेश करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

कृष्णा और गोदावरी नदी के जल का वितरण

+

†*१५७५. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री इन्द्रजीत गुप्त:
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री आसर :
श्री वाजपेयी :
श्री गोरे :
श्री माधव नारायण जाधव:
श्री पांगरकर
श्री नाथ पाई :
श्री हेम बरुआ :
श्री रामी रेड्डी :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री अय्या कण्णु :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री २८ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णा और गोदावरी नदियों के जल के वितरण के लिये और क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) उनका क्या परिणाम निकला है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश, मैसूर और महाराष्ट्र सरकारों के साथ बातचीत की गयी है और इस बारे में आगे कदम उठाने के बारे में अगले कुछ दिनों में फैसला कर दिया जायेगा ।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : सम्बन्धित राज्यों का एक दूसरे से क्या मतभेद है ? इस मामले से सम्बन्धित विभिन्न राज्य सरकारों के क्या विचार हैं ?

†श्री हाथी : प्रत्येक राज्य के अपने विचार हैं । उन में मतभेद तो है ही ।

†श्री पु० र० पटेल : क्या अन्तर्राज्यीय नदी पानी के वितरण के लिये कोई सिद्धान्त निर्धारित किय गये हैं ?

†श्री हाथी : जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, अभी कोई सिद्धान्त नहीं बनाये गये हैं । परन्तु इस प्रश्न की आंच की जायेगी ।

†श्री बासप्पा : क्या मसूर सरकार ने ऐसी कोई आपत्ति उठाई है, कि यद्यपि उन्हें कृष्णा नदी से अधिक पानी मिलना चाहिये था, तथापि उन्हें बहुत कम अंश दिया गया है? कमी की स्थिति, जन-संख्या, क्षेत्र की आवश्यकताओं और नदी के लिये उन के अंशदान को ध्यान में रखते हुए, उन्हें अधिक अंश मिलना चाहिये परन्तु अस्थायी रूप से तैयार किये गये कार्यक्रम के अनुसार उन को बहुत कम अंश दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तर्क कर रहे हैं।

†श्री हाथी : इन सब मामलों के बारे में मैसूर सरकार ने एक विस्तृत ज्ञापन दिया है और उन्होंने कुछ और बातें भी कही हैं।

†श्री हेडा : क्या यह सच नहीं है कि जहां तक कृष्णा और गोदावरी के पानी के वितरण का सम्बन्ध है, भूतपूर्व हैदराबाद राज्य सरकार एक समझौते पर पहुंच गयी थी? यदि हां, तो क्या सरकार का यह विचार है कि यह मामला उत्तराधिकारी सरकारों, महाराष्ट्र की सरकार अथवा मैसूर सरकार, द्वारा फिर उठाया जाये।

†श्री हाथी : यह उत्तराधिकारी सरकारों द्वारा मामले को पुनः उठाने का प्रश्न नहीं है।

†श्री मो० ब० ठाकुर : उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने कृष्णा और गोदावरी के तमाम पानी का पहले इस्तेमाल किया?

†श्री हाथी : उन राज्यों के नाम हैदराबाद, मद्रास, मैसूर और बम्बई है। वर्ष १९६१ से पहले आंध्र प्रदेश नाम का कोई राज्य नहीं था।

†श्री भा० कृ० गायकवाड : इस बारे में अन्तिम निर्णय पर पहुंचने में कितना समय लगेगा?

†श्री हाथी : मैं बता चुका हूं कि अगले कदम के बारे में हम अगले कुछ दिनों में अन्तिम निर्णय कर लेंगे।

†श्री आसर : उपमंत्री महोदय ने बताया कि अगले कुछ दिनों में फैसला कर लिया जायेगा। यदि सम्बन्धित राज्य किसी समझौते पर नहीं पहुंचते तो क्या केन्द्रीय सरकार तत्काल कोई उचित फैसला करेगी?

†श्री हाथी : मैं ने यह कहा था कि अगले कदम उठाये जाने के बारे में निर्णय किया जायेगा। हम जल-संभरण बढ़ाने की संभावनाओं पर भी विचार कर सकते हैं। यदि राज्य सन्तुष्ट नहीं होते और उन्हें कुछ कहना है, तो हम उनसे आगे बातचीत करेंगे।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : मंत्री महोदय ने बताया कि अगले कुछ दिनों में फैसला कर लिया जायेगा। क्या समूची बात में संशोधन करने अथवा इसको मध्यस्थ निर्णय के लिये निर्देशित करने की कोई प्रस्थापना है?

†श्री हाथी : अगले कदम उठाये जानें के बारे में अगले कुछ दिनों में फैसला किया जायेगा। पानी का आवंटन करने अथवा किसी राज्य के अंश में परिवर्तन करने या उसका स्पष्टीकरण करने का कोई प्रश्न नहीं है।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : अगला कदम क्या है?

†अध्यक्ष महोदय : मुझे पता नहीं है। प्रश्न-काल समाप्त हो गया है।

†श्री नाथ पाई : मुझे एक प्रश्न पूछना है।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल समाप्त हो गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राज्यों में डाक्टरों की कमी

†*१५५६. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत के बहुत से राज्यों में डाक्टरों की कमी है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि भारत के कुछ राज्यों में डाक्टरों के बिना औषधालय चल रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार को किन्हीं राज्य सरकारों, विशेषतः उड़ीसा, से इस प्रकार की कोई रिपोर्ट मिली है ;

(घ) यदि हां, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उड़ीसा में डाक्टरों की कमी को दूर करने के लिए क्या विशेष उपाय करने का विचार है; और

(ङ) क्या १९६१–६२ में उड़ीसा के लिए इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था की गयी है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग). जी, हां ।

(घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९२]

(ङ) योजना आयोग को अभी उड़ीसा सरकार से विस्तृत पुनरीक्षित योजना प्राप्त नहीं हुई है ।

आन्ध्र प्रदेश में पुलों के लिये 'हाई टेन्साइल' तार

†*१५५७. श्री रामी रेड्डी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० और १९६०–६१ में आंध्र प्रदेश में पुलों के निर्माण-कार्य के लिए हाई टेन्साइल वायर (उच्च आतन्यता वाले तार) का कितना आवंटन किया गया ;

(ख) अब तक कितना सम्भरण किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि हाई टेन्साइल वायर के सम्भरण न होने के कारण पुलों के निर्माण का कार्य रुका पड़ा है ;

(घ) यदि हां, तो इस तार का सम्भरण न होने से किन परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) सम्भरण न होने के क्या कारण हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क)

१९५९–६०	११८९ टन
१९६०–६१	शून्य
कुल . .	११८९ टन

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ११८६ टन ।

(ग) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

गोदावरी की गौतमी शाखा पर पुल का निर्माण-कार्य ठेकेदारों ने वर्ष १९५९–६० में रोक दिया था । इसका एक कारण हाई टेन्साइल स्टील (उच्च आतन्यता वाले इस्पात) के तारों की अनुपलब्धता था । ठकेदारों को उच्च हाई टन्साइल स्टील के तार मिलने पर निर्माण-कार्य फिर चालू कर दिया गया है । गौतमी पुल के अतिरिक्त उच्च आतन्यता वाले इस्पात के तारों की अनुपलब्धता के कारण किसी प्रक्रम पर भी किसी अन्य पुल के निर्माण में बिलम्ब नहीं हुआ ।

क्योंकि इस्पात के तारों का संभरण कम था, गौतमी पुल के लिये हाई टेन्साइल स्टील के तारों के संभरण में विलम्ब हुआ । जैसे ही जापान से आयात किया गया इस्पात का तार उपलब्ध हुआ, आवंटन किया गया ।

टेलीफोन निर्माण कारखाना

†*१५६०. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन राज्यों को, जहां भारी उद्योगों का अभाव है, टेलीफोन निर्माण कारखाना लगाने का, जिसके बारे में एक प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है, अवसर दिया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों ने इस कारखाने की स्थापना की मांग की है?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) द्वितीय टेलीफोन निर्माण कारखाने के स्थान आदि के बारे में ब्यौरे पर अभी विचार नहीं किया गया है। कारखाना लगाने की प्रस्थापना अभी प्रारम्भिक प्रक्रम पर है और उसकी योजना आयोग के परामर्श से परीक्षा की जा रही है ।

(ख) अभी ऐसी कोई प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है।

अगरतला-कलकत्ता विमान-यातायात

†*१५६१. श्री दशरथ देव : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले छः महीनों में अगरतला से कलकत्ता तक विमान द्वारा जाने वाले यात्रियों की मासिक औसत संख्या कितनी थी ;

(ख) क्या यातायात में वृद्धि हो रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि यात्रियों को स्थान प्राप्त करने के लिए कई दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि हां, तो यात्रियों की सुविधा के लिए अधिक उड़ानों और 'सीटों' की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) १ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले छः महीनों में अगरताला से कलकत्ता तक औसतन ११७५ यात्री प्रतिमास ले जाये गये ।

(ख) जी, हां ।

(ग) अगरताला से कलकत्ता जाने और कलकत्ता से अगरताला जाने के लिये कभी कभी कुछ यात्रियों को स्थान प्राप्त करने के लिये एक अथवा दो दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी ।

(घ) निगम की १ मई, १९६१ से २१/२८ सीटों वाले सप्ताह में पांच बार चलने वाले डकोटा विमानों के स्थान पर कलकत्ता-अगरताला-कलकत्ता मार्ग पर प्रतिदिन 'फोकर फ्रेंडशिप' विमान चलाने की प्रस्थापना है जिसमें ३६-४० यात्रियों के बैठने का स्थान होगा ।

दक्षिण पूर्व रेलवे के क्लर्कों के वेतन क्रमों का निर्धारण

†*१५६८. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, १९६० के अधिकृत वेतन-क्रमों के अनुसार, दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्य कार्यालय के क्लर्कों के वेतन अभी तक तय नहीं किये गये ;

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि ३१ मार्च, १९६१ तक इनके वेतन निर्धारित नहीं किये गये तो क्या इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि सम्बन्धित क्लर्कों को उनकी बढ़ी हुई भविष्य निधि के लाभ की हानि न हो ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). ३५०० क्लर्कों में से ३४५५ के अधिकृत वेतन-क्रम तय कर दिये गये हैं । बाकी ४५ के लिये अधिकृत वेतन-क्रमों की मार्च, १९६१ में घोषणा कर दी गयी है और जब वे इनको अपना लेंगे तो उनके लिये अधिकृत वेतन-क्रम यथासंभव शीघ्र तय कर दिये जायेंगे ।

(ग) ये वेतन १ जुलाई, १९५९ से अथवा आगे किसी तिथि से, जिस तिथि से कर्मचारी अधिकृत वेतन अपनाना चाहते हैं, पुनरीक्षित किये जायेंगे और इसलिये उनको किसी हानि का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे के लिये कोयला धोने का कारखाना

†*१५७१. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी ऐसी प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है कि रेलवे का नान-कोकिंग कोयला धोने का अपना कारखाना हो ताकि रेलवे को इस किस्म के कोयले का पर्याप्त संभरण हो सके ; और

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने इस प्रस्थापना को मंजूरी दे दी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चीनी का उत्पादन

†*१५७६ { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष देश में गन्ने के उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या गन्ना पेरने की समस्या चिन्ता उत्पन्न कर रही है; और

(ग) स्थिति को संभालने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†खाद्य तथा कृषि उप मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां। इस वर्ष गन्ने का उत्पादन अधिक होने की आशा है।

(ख) और (ग). इस बात का सुनिश्चय करने के लिये कि उपलब्ध सभी गन्ना पेरा जाये, कारखानों की वित्तीय और अन्य कठिनाइयों पर ध्यान दिया जा रहा है।

बिना टिकट यात्रा करना

†३३४६. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री अनिरुद्ध सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष १९५९–६० के आंकड़ों की अपेक्षा वर्ष १९६०–६१ में बिना टिकट यात्रा करने वाले कितने यात्री पकड़े गये;

(ख) बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्ति किस रेलवे पर सबसे अधिक संख्या में पकड़े गये;

(ग) इसी अवधि में चैकिंग कर्मचारियों पर कितना धन खर्च किया गया; और

(घ) इन बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों में विद्यार्थियों और सरकारी कर्मचारियों की क्या प्रतिशतता है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५३ ।]

(ङ) विद्यार्थियों और सरकारी कर्मचारियों के बिना टिकट यात्रा करने के बारे में पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

नौवहन भाड़ा दर

†३३४७. **श्री राम कृष्ण गुप्त: क्या परिवहन तथा संचार** मंत्री १४ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्र पार व्यापार में मालभाड़ा की दरों को विनियमित करने के लिये इस संबंध में अमरीकी विधि की तरह संविहित शक्तियां प्राप्त करने की योजना पर सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). इस मामले पर अभी संबंधित नौवहन हितों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् बोर्ड

†३३४८. **श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १९ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २०२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् बोर्ड के नई दिल्ली में हुए ३२ वें अधिवेशन में मुख्य सिफारिशें क्या की गई थीं;

(ख) क्या सरकार ने उन पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५४।]**

खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने सम्बन्धी अग्रिम परियोजनायें

†३३४९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री सूपकार :
श्री हेमराज:

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री १९ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पश्चिम जर्मनी की सहायता से कुछ अग्रिम परियोजनायें शुरू करने के बारे में और क्या प्रगति की गयी है?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: अक्तूबर-दिसम्बर, १९६० में भारत का दौरा करने वाले जर्मन कृषि शिष्टमण्डल का प्रतिवेदन अभी नहीं मिला है।

मनमाड स्टेशन पर शिकायतें

†३३५०. **श्री पांगरकर : क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष १९६०–६१ में अब तक मध्य रेलवे के मनमाड जंक्शन स्टेशन पर कितनी शिकायतें दर्ज की गयीं और वे शिकायतें किस प्रकार की हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) १ अप्रैल, १९६० से २८ फरवरी, १९६१ तक मनमाड जंक्शन पर रखी शिकायत-पुस्तक में ७७ शिकायतें दर्ज की गयीं।

शिकायतों की संख्या और स्वरूप निम्न प्रकार है:

स्वरूप	संख्या
(१) अशिष्टता	२
(२) वाणिज्यिक कर्मचारियों के कार्य में अनियमितता जैसे टिकट की खिड़कियों को देर से खोलना, ड्यूटी पर से अनुपस्थित रहना और माल बुक करने से मना कर देना	१
(३) अनियमित गाड़ी सेवा	१५
(४) मशीनी खराबी जैसे पंखों और बिजली का ठीक तरह काम न करना	२
(५) असन्तोषजनक भोजन-व्यवस्था	६
(६) सुविधाओं की कमी	१०
(७) प्रतीक्षालय/विश्रामालयों की अनुपलब्धता—	२
(८) विविध शिकायतें	३७
(९) लाइसेंस शुदा कुलियों के विरुद्ध शिकायतें	२
कुल	७७

(ख) उन बातों को दूर करने के लिये, जिनसे शिकायतें उत्पन्न हुई हैं, कार्यवाही की गयी है और जिम्मेवार पाये गये कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार किया गया है।

परभनी स्टेशन पर बिजली

†३३५१. श्री पांगरकर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे की मनमाड-काचेगुडा लाइन पर परभनी स्टेशन पर अभी तक बिजली नहीं दिया गया है जब कि परभनी शहर में एक बिजली घर है; और

(ख) परभनी स्टेशन पर कब तक बिजली लगने की संभावना है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). परभनी स्टेशन पर ३०-३-१९६१ को बिजली लगा दी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्मृति डाक टिकट[1]

†३३५२. **श्री पांगरकर : क्या परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पिछले पांच वर्षों में महाराष्ट्र के किसी व्यक्ति की स्मृति में कोई स्मृति डाक टिकट जारी किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो ये कब जारी किये गये और किस व्यक्ति की स्मृति में जारी किये गये?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :

१. बाल गंगाधर तिलक—	१९५६
२. डा० डी० के० कर्वे —	१९५८

बम्बई पत्तन न्यास में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

†३३५३. **श्री पांगरकर : क्या परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष १९६०-६१ में पत्तन न्यास ने बम्बई पत्तन में स्थायी और अस्थायी सेवाओं में कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की; और

(ख) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित सभी पद भर लिये गये हैं?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें दिसम्बर, १९६० के अन्त तक की जानकारी दी हुई है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५५।**] जनवरी से मार्च, १९६१ तक की जानकारी एकत्र की जा रही है।

सिकन्दराबाद डिवीजन में डाक तथा तार कर्मचारियों लिये क्वार्टर

†३३५४. **श्री पांगरकर : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिकन्दराबाद डिवीजन में अब तक कितने डाक तथा तार कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर दिये गये हैं; और

(ख) बाकी कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर कब तक दे दिये जायेंगे?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) ४५,

(ख) निकट भविष्य में नहीं।

हिमाचल प्रदेश में परिवार नियोजन केन्द्र

†३३५५. **श्री हेमराज** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६१-६२ में हिमाचल प्रदेश में कितने परिवार नियोजन केन्द्र खोले जायेंगे?

---

[1]Commemoration Stamp.

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : हिमाचल प्रदेश प्रशासन की वर्ष १९६१–६२ में एक चलता फिरता सर्जिकल परिवार नियोजन यूनिट स्थापित करने और निम्नलिखित ग्यारह संस्थाओं में वर्तमान परिवार नियोजन केन्द्रों को ऊंचा उठाने की प्रस्थापना है:

१. रैफरल हास्पिटल, सोलन

२. रैफरल हास्पिटल, पौंटा

३. डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, नाहन

४. डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, मंडी

५. डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, चम्बा

६. डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, बिलासपुर, और पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (स्थान के बारे में अभी फैसला नहीं किया गया है।)

वाराणसी-गाजीपुर राष्ट्रीय राजपथ

†३३५६. श्री राधामोहन सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर बिहार और बरौनी पुल से उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों तक परिवहन सुविधा में सुधार करने के लिये बलिया (उत्तर प्रदेश) और छपरा (बिहार) के रास्ते वाराणसी-गाजीपुर राष्ट्रीय राजपथ को बरौनी तक बढ़ाने की योजना मंजूर कर ली गयी है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ किये जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

†परिवहन तथा सचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) वाराणसी-गाजीपुर-बलिया-छपरा मार्ग का राष्ट्रीय राजपथ के रूप में वर्गीकरण करने का कोई कार्यक्रम नहीं है । वहां पर राष्ट्रीय राजपथ संख्या २, ३० और ३१ पहले ही हैं और वे सासरम, आरा, पटना, बख्तियारपुर और मोकामेह के रास्ते वाराणसी को बरौनी से मिलाते हैं ।

चपरमुख स्टेशन पर गाड़ी का पटरी से उतर जाना

†३३५७. श्रीमती मफीदा अहमद : क्या रेलवे मंत्री चपरमुख स्टेशन पर गाड़ी के पटरी से उतर जाने के बारे में २३ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने कोई जांच प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस की उपपत्तियां क्या हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जिला अधिकारी संयुक्त जांच समिति की उपपत्तियों के अनुसार गाड़ी मशीनी उपकरणों की खराबी के कारण पटरी से उतरी ।

रेलवे इंजन

†३३५८. **श्री कुम्भार :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में विभिन्न भारतीय रेलवे में पुराने कितने इंजन बेकार घोषित किये गये ;

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष-वार और रेलवे-वार बेकार घोषित किये गये पुराने इंजनों की क्या संख्या है ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में, रेलवे-वार इस्तेमाल में आ रहे पुराने इंजनों की क्या संख्या है ;

(घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वर्ष-वार विभिन्न रेलवे में खरीदे गये और इस्तेमाल किये गये रेलवे इंजनों की क्या संख्या है और उन का लागत-मूल्य क्या है ;

(ङ) मार्च, १९६१ के अन्त में वर्ष-वार इस्तेमाल किये जा रहे रेलवे इंजनों की क्या संख्या है ; और

(च) प्रत्येक रेलवे में रेलवे इंजनों की मरम्मत पर कितना धन खर्च किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) से (च) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५६]**

हिमाचल प्रदेश वन-विभाग को निधि का आवंटन

†३३५९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल वन-विभाग को निम्नलिखित कार्यों के लिये वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में कितनी धनराशि आवंटित की गयी है :

(१) सामान्य प्रशासन ;

(२) बस्ती बनाना और पुनर्वास; और

(ख) अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) और (ख) आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

रेलवे की लोको वर्कशाप

†३३६०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे की इस समय कितनी लोको वर्कशाप हैं ;

(ख) प्रत्येक वर्कशाप में कुल कितने मजदूर काम कर रहे हैं ;

(ग) १९६० में प्रत्येक वर्कशाप में कितने इंजनों की मरम्मत की गयी थी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) १९६० में रेलवे द्वारा प्रत्येक वर्कशाप में (१) प्राथमिक और (२) माध्यमिक शिक्षा पर कितनी राशि खर्च की गयी थी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५७]**

गुजरात राज्य में छोटे पत्तन

†३३६१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गुजरात राज्य में छोटे पत्तनों के विकास के लिये आवंटित राशि इस्तेमाल नहीं की गयी है और विकास कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) विकास कार्य कब प्रारम्भ किये जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) गुजरात में छोटे पत्तनों के विकास के कार्य प्रारम्भ किये गये हैं। उन पर अब तक किये जा चुके खर्च के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

क्षेत्र का नाम	द्वितीय योजना में निर्धारित राशि	३० नवम्बर, १९६१ तक खर्च	१ दिसम्बर, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक का अनुमानित खर्च	द्वितीय योजना काल में कुल प्राक्कलित खर्च
पुराने सौराष्ट्र पत्तन	२७,७०,६७६	१२,२०,८८०	८३,९७०	१३,०४,८५०
कच्छ लघु पत्तन	२९,२४,०००	१५,४७,४७६	९,४८,२००	२४,९५,६७६
ओखा पत्तन	२९,००,०००	२०,५२,७३५	४,८२,१२०	२५,३४,८५५
भूतपूर्व बम्बई के अन्य पत्तन	१२,५०,०००	१८,०९,९६१	६८,०७१	१८,७८,०३२
कुल	९८,४४,६७६	६६,३१,०५२	१५,८२,३६१	८२,१३,४१३

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

बटाला-कादियां सेक्शन पर यात्री सुविधायें

†३३६२. **श्री दी० च० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बटाला-कादियां सेक्शन में यात्रियों तथा रेलवे कर्मचारियों को कोई सुविधायें देने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) फिलहाल कोई भी सुविधा देने का विचार नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) इस सेक्शन पर केवल दो ही स्टेशन हैं । कर्मचारियों तथा यात्रियों के लिये अपेक्षित न्यूनतम सुविधायें पहले से ही उन स्टेशनों पर हैं । इन स्टेशनों पर यात्रियों का आना जाना इतना अधिक नहीं होता कि और अधिक सुविधायें दी जा सकें ।

उड़ीसा डाक तथा तार सर्कल

†**३३६३. श्री कुम्भार** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य की आवश्यकता को देखते हुए उड़ीसा डाक तथा तार सर्कल में एक डिवीजनल इंजीनियर फोन्स, एक टेलीफोन सब-डिवीजन तथा एक तार सब-डिवीजन की स्थापना राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार न्यायोचित है ;

(ख) क्या यह सच है कि मार्च १९६१ में पहले भारत के बहुत से डाक तार सर्कलों में तार तथा टेलीफोन सब-डिवीजन तथा डिवीजन स्थापित करने की अनुमति दी गयी थी, परन्तु मार्च,१९६१ के कुछ समय बाद उड़ीसा सर्कल से इस सम्बन्ध में सुझाव मांगे गये थे ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उड़ीसा सर्कल में तार और टेलीफोन के सब-डिवीजन और डिवीजन स्थापित करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जहां भी कार्य भार अधिक होता है, अतिरिक्त डिवीजन तथा सब-डिवीजन मंजूर कर दिये जाते हैं । अतिरिक्त डिवीजन की स्थापना के सम्बन्ध में उड़ीसा सर्कल से कोई भी सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है । सर्कल द्वारा जिन दो अतिरिक्त सब-डिवीजनों के सम्बन्ध में सुझाव दिया गया था, वे न्यायोचित नहीं हैं । सर्कल से यह कहा गया है कि वह स्थिति पर पुनः विचार करे और जब कार्य भार बढ़ जाये तो इस मामले को फिर से उठाये ।

(ग) यदि वह विभागीय स्तर के अनुसार न्यायोचित हुआ तो उसे स्थापित कर दिया जायेगा ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दक्षिण रेलवे पर चाय के स्टाल

†**३३६४. श्री सिदय्या** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५९–६० तथा १९६०–६१ में दक्षिण रेलवे पर चाय तथा फल के स्टालों के लिये लाइसेन्सों के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ;

(ख) क्या उक्त अवधि में अनुसूचित जातियों के भी किन्ही व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र भेजे थे;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों ने आवेदन पत्र भेजे थे और कितने व्यक्तियों को लाइसेंन्स दिये गये थे; और

(घ) क्या अनुसूचित जातियों के आवेदन कर्ताओं को कोई प्राथमिकता दी गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

	१९५९–६०	१९६०–६१
(क) चाय-स्टालों तथा फल-स्टालों के लिये प्राप्त कुल आवेदन पत्रों की संख्या	८६	३५*
(ख) अनुसूचित जातियों के उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने चाय स्टालों और फल स्टालों के लिये आवेदन-पत्र भेजे	५	६
(ग) अनुसूचित जातियों के उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें चाय स्टालों तथा फल-स्टालों के लिये लाइसेंस दिये गये	३	३
(घ) क्या अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी गयी है ?	जी, हां	

वायु अनुकूलित प्रथम श्रेणी के डिब्बों के यात्री

†३३६५. **श्री सिदय्या** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० और १९६०–६१ में कितने यात्रियों ने मद्रास और दिल्ली के बीच वायु अनुकूलित प्रथम श्रेणी में यात्रा की थी; और

(ख) उनमें से कितनों के पास रेलवे पास थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क)

१९५९—६०— ४,६९७

१९६०–६१— ४,६४७

(ख) १९५९–६०—आंकड़े नहीं रखे गये हैं।

१९६०–६१— २४५

मद्रास, त्रिचनापल्ली और मैसूर में रेलवे कार्यालय

†३३६६. **श्री सिदय्या** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास, त्रिचनापल्ली और मैसूर के हैडक्वार्टरों में विलय के समय भूतपूर्व एम० एण्ड एस० एम०, एस० आई और एम० एस० रेलों के सभी (सामान्य तथा लेखा) विभागों में कुल कितने कर्मचारी थे;

---

†मूल अंग्रेजी में

*यह १९६०–६१ में सितम्बर १९६० तक प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या है।

(ख) विलय के बाद मद्रास, त्रिचनापल्ली और मैसूर में किस प्रकार के कार्य का केन्द्रीकरण कर दिया गया था;

(ग) उसके क्या कारण थे;

(घ) वर्कशापों और स्टोर लेखा दफ्तर को मैसूर से हटाकर हुबली ले जाने का कोई विचार है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क)

भूतपूर्व–एम० एण्ड एस० एम०	—	३०३२
,, एस० आई०		३२३४
,, एम० एस०		७३४
	कुल	७०००

(ख)(१) **लेखे**—विलय के बाद भूतपूर्व रेलों के यात्री डिब्बों के खातों को त्रिचनापल्ली में और मालडिब्बों के खेतों को मद्रास में केन्द्रीकृत कर दिया गया। मैसूर में कार्य का ऐसा कोई केन्द्रीकरण नहीं हुआ है ;

(२) **लेखों के अतिरिक्त कार्य**—सम्पूर्ण सामान्य प्रशासन तथा नीति सम्बन्धी मामलों को मद्रास में एकत्रित कर दिया गया। जिलों में नीतियों की कार्यान्विति के लिये प्रादेशिक डेपुटीज नियुक्त कर दिये गये हैं;

(ग) (१) **लेखे**—यह केन्द्रीकरण कार्य कुशलता, कार्यवहन में गति और कार्य में समानता लाने की दृष्टि से किया गया है।

(२) **लेखों के अतिरिक्त कार्य**— ये विभागों के प्रमुखों के प्रशासनिक हैडक्वार्टर है।

(घ) वर्कशाप और स्टोर लेखा दफ्तर को मैसूर से हटाकर हुबली में ले जाने का कोई विचार नहीं है।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

डाक तथा तार सर्कल तथा डिवीजन

†३३६७. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १ जनवरी, १९६१ को डाक तथा तार विभाग में कुल कितने और कौन-कौन से सर्कल थे; और

(ख) उनके अधीन डिवीजनों तथा सब-डिवीजन के क्या क्या नाम है।

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** :

(क) १३—आन्ध्र सर्कल

आसाम सर्कल
बिहार सर्कल
बम्बई सर्कल
केन्द्रीय सर्कल
दिल्ली सर्कल
मद्रास सर्कल
मैसूर सर्कल
उड़ीसा सर्कल
पंजाब सर्कल
राजस्थान सर्कल
उत्तर प्रदेश सर्कल
पश्चिमी बंगाल सर्कल

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या/एल० टी० २८५४६१]**

हिमाचल प्रदेश में वनोषधि

३३६८. श्री पद्म देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के वन विभाग ने हिमाचल प्रदेश में वनौषधियों का सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी, हाँ।

(ख) चम्बा जिले में ४२४ वर्गमील के सर्वेक्षण से ३९ बिक्री योग्य किस्मों के होने का पता चला है, जिनमें से १७ की अधिक और २२ की बीच के दर्जे की मांग है।

हिमाचल प्रदेश में भाभर घास

३३६९. श्री पद्म देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०-६१ में हिमाचल प्रदेश में कितनी भाभर घास उत्पन्न हुई और इस पर क्या व्यय हुआ; और

(ख) इससे कितनी शुद्ध आय हुई?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) संभवतः सदस्य महोदय 'भाभर घास' के विषय में सूचना चाहते हैं। १९६०-६१ में हिमाचल प्रदेश से ६७,१०५ मन भाभर

†मूल अंग्रेजी में

घास निकाली गई। इस घास के निकालने में हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा कोई खर्च नहीं किया गया।

(ख) शुद्ध आय २८,२०८ रुपये है।

महाराष्ट्र में पूर्णा परियोजना की नहर

†३३७०. **श्री पांगरकर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार से भारत सरकार को इस संबंध में कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है कि पूर्णा परियोजना नहर की लम्बाई को १६ मील और बढ़ा दिया जाय ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राज्यों में केन्द्रीय यंत्रीकृत एकक

†३३७१. **श्री पांगरकर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १५ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य के क्षेत्र की विभिन्न सिंचाई और विद्युत् सम्बन्धी परियोजनाओं में उपलब्ध निर्माण उपकरणों की अत्यधिक कार्य-कुशलता और उपयोग का विनिश्चय करने के लिये प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय यंत्रीकृत एकक की स्थापना सम्बन्धी योजना के बारे में और क्या प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५८**]

उत्तर रेलवे पर यात्री सुविधायें

†३३७२. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९ और १९६० में उत्तर रेलवे की लुधियाना–फीरोजपुर लाइन पर गुड्स शेड, पीने के पानी की सुविधाओं, पार्सल गोदामों की व्यवस्था करने, तीसरी श्रेणी के मुसाफिर खानों को बड़ा करने और यात्री प्लेटफार्मों पर छत लगाने के संबंध में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उन में से कौन-कौन सा सुझाव स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

पंजाब में तार-घर

†३३७३. { श्री अजित सिंह सरहदी :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दलजीत सिंह :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पंजाब में जिलावार कितने तार-घर हैं ;

(ख) क्या सरकार ने १९६१-६२ में उन की संख्या बढ़ा देने की कोई योजना बनायी है; और

(ग) किन-किन स्थानों पर ये तार-घर खोले जायेंगे ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है । [दिखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५९]

पश्चिम रेलवे के स्टेशनों पर बेची जाने वाली खाने की चीजें

†३३७४. श्री मो० ब० ठाकुर : क्या रेलवे मंत्री २३ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १३५३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माननीय मंत्री द्वारा इस सभा में बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी पश्चिम रेलवे के लगभग सभी स्टेशनों पर अभी तक खाने की चीजों की किस्म में सुधार नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). जी नहीं। पश्चिम रेलवे के लगभग सभी स्टेशनों पर संभारित की जा रही खाने की चीजें सामान्यतया सन्तोषजनक पाई गई गई हैं ; फिर भी पश्चिम रेलवे भोजन की व्यवस्था के स्तर में सुधार करने के लिये रेलवे प्रशासन द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

(ग) खाने की किस्म के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं; उन त्रुटियों को दूर करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की गई है ।

फसलों का उत्पादन

†३३७५. श्री मो० ब० ठाकुर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २० मार्च १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२५३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७—६० तक प्रत्येक वर्ष में खाद्यान्नों तथा व्यापारी फसलों का कितना उत्पादन हुआ था ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या १९५७ के उपरान्त प्रतिवर्ष खाद्यान्नों तथा व्यापारिक फसलों में उत्पादन का अनुपात बढ़ता जा रहा है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) एक विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६०]**।

(ख) खाद्यान्नों तथा व्यापारिक फसलों के उत्पादन में यद्यपि वर्ष प्रति वर्ष उतार चढ़ाव होता रहा है तथापि उस में सामान्यतया वृद्धि ही हुई है। दोनों प्रकार के उत्पादन के अनुपात में १९५७ के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

हाइड्रोलिक्स इंजीनियरी सम्बन्धी मूल अनुसन्धान-कार्य

†३३७६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रयोगशालाओं तथा जल मार्ग प्रयोग-केन्द्रों में हाइड्रोलिक्स (जल चालित यंत्र संबंधी) इंजीनियरी तथा अन्य विषयों के सम्बन्ध में मूल अनुसंधान कार्यों के विकास में कहां तक प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये किसी विदेशी विशेषज्ञ को भी नियुक्त किया गया है या सहायता ली गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) सरकार द्वारा स्वीकृत मूल अनुसंधान कार्यक्रम में हाइड्रोलिक्स, भूमि इंजीनियरी तथा सम्बद्ध विषयों की १२ समस्यायें सम्मिलित हैं और यह कार्य देश के १८ अनुसंधान केन्द्रों को सौंपा गया है। इन समस्याओं के अध्ययन में अभी तक कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है, इसका कारण यह है कि सूक्ष्म वैज्ञानिक उपकरणों की कमी है। भारतीय संभरण मिशन वाशिंगटन के द्वारा चुने हुए कुछ एक उपकरणों के लिए, जिन पर १.७५ लाख रुपयों की विदेशी मुद्रा खर्च होगी, आदेश दे दिया गया है और शेष उपकरणों के लिए, जिन पर लगभग छः लाख रुपयों का खर्च आएगा, मंगवाने के लिए अन्य देशों को आर्डर दिए जा रहे हैं। इन उपकरणों के प्राप्त हो जाने के बाद आशा है कि कार्य अधिक तेजी से चलेगा ।

(ख) जी नहीं ।

नगर निगमों द्वारा योजनायें

†३३७७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने देश के विभिन्न नगर निगमों को अपनी जल संभरण तथा स्वच्छता सम्बन्धी योजनाओं पर धन खर्च करने की अनुमति देने का विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र प्रदेश के लिए उर्वरक

†३३७८. **श्री रामी रेड्डी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उस राज्य को रासायनिक उर्वरकों के आवण्टन को बढ़ा देने की प्रार्थना की है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार की उस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) ३१ दिसम्बर, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में इस राज्य को कितना उर्वरक संभरित किया गया है ; और

(घ) क्या १९६१-६२ में इसका आवण्टन बढ़ा दिया जायेगा ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी हां ।

(ख) सामान्य रूप से १९६१-६२ के लिए आवण्टन निर्धारण करते समय उस राज्य की आवश्यकता को ध्यान में रखा जायगा ।

(ग) उर्वरकों का आवण्टन १ अप्रैल से आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के आधार पर किया जाता है । १९६०-६१ के लिये किए गए आवंटन में से ३१ मार्च, १९६१ तक आंध्र प्रदेश को निम्नलिखित मात्राओं में उर्वरक संभरित किया गया था ।

उर्वरक का प्रकार	संभरित मात्रा (मीमिट्रिक टनों में)
एमोनियम सलफ़ेट . .	७३,६७०
एमोनियम सलफ़ेट नाईट्रेट . .	६,६७८
कैल्सियम एमोनियम नाईट्रेट . .	१५,२३०
उरिया	४,०६४

(घ) जी, हां १९६०-६१ की अपेक्षा अधिक आवण्टन किया जायगा ।

काश्तकारों के लिये बैल

†३३७९. **श्री कालिका सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने काश्तकारों और सहकारी फार्मों को सस्ते बैलों की उपलब्धि के सम्बन्ध में क्या योजना बनायी है ;

(ख) क्या देश में बैलों का संभरण कम है और उनकी कीमत सारे देश में बढ़ती जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने स्टैण्डर्ड बैलों की नसल को बढ़ाने के लिये और बैलों की कीमत को कम करने या राजकीय सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या मंत्रालय ने रूसी सरकार की उस योजना का अध्ययन किया है जिसकी ओर १ फरवरी, १९६१ को श्री ख्रुश्चेव ने यूक्रेनियन कम्यूनिस्ट पार्टी के पूर्ण अधिवेशन में

†मूल अंग्रेजी में

किये गये भाषण में संकेत किया था, जिसके द्वारा संयुक्त खेतों के कृषिकों को कम कीमतों पर उपकरण संभरित किये जायेंगे और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** (क) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने उस प्रयोजन के लिये कोई योजना नहीं चलायी है ;

(ख) भारत में ढोर विपणन सम्बन्धी रिपोर्ट (१९५६) के अनुसार १९५१ में ६७७ लाख बैल उपलब्ध थे, जबकि उनकी अनुमानतः मांग ६५४ लाख थी। उसके बाद कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

१९६० में देश के कुछ केन्द्रों में बैलों की कीमतों को देखने से यह सिद्ध नहीं होता है कि १९६० में १९५९ की तुलना में कीमतों में अधिक वृद्धि हुई है।

(ग) इस मंत्रालय ने बढ़िया किस्म के ढोरों, जिनमें बैल भी सम्मिलित हैं, की नस्ल को बढ़ाने के लिये कई योजनायें चलायी हैं। राज्य सरकारों ने भी इस प्रकार की कई योजनायें चलायी हैं।

(घ) जी, नहीं।

उड़ीसा के सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में जल योजनायें

†३३८०. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१–६२ में उड़ीसा के सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा के क्षेत्रों में ग्राम्य जल संभरण योजनाओं की कार्यान्विति के लिये कोई राशि निर्धारित की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) १९६१–६२ में कौन कौन सी योजना कार्यान्वित करने का विचार है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा के सामुदायिक विकास खण्ड क्षेत्रों में ग्राम्य जल संभरण योजनाओं की कार्यान्विति के लिये उड़ीसा सरकार द्वारा १९६१–६२ में आय व्ययक में १४,४७,२३४ रुपये निर्धारित करने का विचार किया गया है।

(ग) उड़ीसा सरकार ने यह सूचित किया है कि तालाबों, कुंओं को खोदने और पम्प आदि लगाने पर उक्त राशि का इस्तेमाल किया जायेगा।

दिल्ली में घटिया औषधियों की बिक्री

†३३८१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आजकल दिल्ली के बाजारों में बहुत सी घटिया किस्म की औषधियां बिक रही हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इनकी बिक्री को रोकने के लिये क्या क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) दिल्ली के बाजारों में बिक्री के लिये संग्रहित कुछ एक घटिया किस्म की औषधियां पकड़ी गयी हैं।

(ख) बिकने वाली औषधियों के 'स्टैण्डर्ड' की जांच करने के लिये ५ औषधि निरीक्षक निरन्तर सजग रहते हैं।

पटना जंकशन पर सोने के लिए बर्थों का सुरक्षण

३३८२. **श्री विभूति मिश्र**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना जंक्शन से हावड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस में तृतीय श्रेणी के सोने के डिब्बे में बर्थ रिजर्व करने का कोटा नियत नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ; और

(ग) क्या सरकार पटना जंक्शन को कोटा देने का विचार कर रही है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) इस तरह का कोटा नियत करने के लिए अभी तक कोई निश्चित मांग नहीं की गयी। इसके अलावा वहां से चलने वाले यात्रियों की संख्या भी कम रहती थी और उनके लिए आरक्षित स्थान की जरूरत आमतौर पर सामान्य ढंग से पूरी की जा सकती थी।

(ग) परीक्षण के तौर पर १५-४-६१ से इस गाड़ी में पटना जंक्शन से तीसरे दर्जे ३ शयन-यान आरक्षित करने का कोटा अलग से नियत कर दिया गया है।

मंडी टोहाना (पंजाब) में टेलीफोन

†३३८३. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **परिवहन तथा सचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के जिला हिसार की मंडी टोहाना के व्यापारियों की ओर से टेलीफोनों के लिये दी गई बहुत सी अर्जियां बहुत समय से लंबित हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी अर्जियां हैं और टेलीफोन देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन लोगों ने इस काम के लिये प्रत्येक ने ३०० रुपये भी जमा कर दिये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो शीघ्र टेलीफोन लगाने के लिये क्या कार्रवाई की गई है या सोची गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) और (ख) टेलीफोनों के लिये मंडी टोहाना में छः लोगों ने अर्जियां दी हैं। आवश्यक स्टोर विशेषकर लोहे की तार न मिलने के कारण यह लंबित है ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

(घ) स्थान पर स्टोर का शीघ्र संभरण करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं और उन के आने पर टेलीफोन दे दिये जायेंगे ।

बिजली परियोजनाएं

†**३३८४. श्री कालिका सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी योजना की अनुसूचित कौन सी विद्युत् परियोजनाएं विदेशी मुद्रा, इस्पात और अन्य निर्माण सामान की कठिनाइयों के कारण लक्षित कार्यक्रम से पिछड़ गई हैं

(ख) मंत्रालय ने प्रत्येक परियोजना के लिये विदेशी मुद्रा तथा निर्माण सामान प्राप्त करने के लिये क्या प्रयत्न किये हैं और इन बातों से सम्बद्ध विभिन्न मंत्रालयों को क्या विशिष्ट प्रतिक्रियाएं प्रकट की हैं ;

(ग) क्या दूसरी योजना के लक्ष्य की प्रत्याशा में विद्युत् संभरण के लिये औद्योगिक प्रतिष्ठानों की मांगें वर्तमान संभरण से कहीं बढ़ गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो मांग और संभरण का अन्तर कितना है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) विदेशी मुद्रा जुटाने में कठिनाइयों में के कारण उन विद्युत् योजनाओं की कार्यान्विति में जिन्हें 'कोर' परियोजनाओं की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है, कुछ सीमा तक विलम्ब हो गया था । जो योजनाएं गैर-कोर परियोजनाएं मानी हुई थी उन्हें दर्शाने वाला विवरण (अनुबन्ध १) संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६१]** इस्पात और अन्य निर्माण माल के कम संभरण के कारण, कुछ परियोजनाओं में कुछ विलम्ब हो गया, जिनमें से अधिक महत्वपूर्ण रिहांद और कोयना परियोजनाएं हैं ।

(ख) प्रायः सभी 'गैर-कोर' परियोजनाओं के लिये विदेशी मुद्रा अब तक प्राप्त की जा चुकी है । इस्पात और अन्य सामान के संभरण का भी संबद्ध मंत्रालयों परामर्श से प्रबन्ध किया जा रहा है ।

(ग) जी हां ।

(घ) एक विवरण (अनुबन्ध ५) संलग्न है जिसमें दूसरी योजना की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कितनी के सब उपभोक्ताओं की मांग तथा स्थापित एवं पक्की क्षमताएं दिखाई गई हैं । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६२]** ।

पुरी में विदेशी शराब

†**३३८५. डा० सामंत सिंहार** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटकों के लिये रखी गई कई हजार रुपये की विदेशी शराब पुरी में व्यापारियों के पास पड़ी है जो बिकी नहीं है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वह कैसे बेचा जायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) पुरी में केवल एक दुकान 'पर्यटन कूपन योजना' में शामिल की गई है और उसके पास इस योजना के अन्तर्गत विदेशी पर्यटकों को बेचने के लिये आयात की गई शराब एक हजार रुपये की पड़ी है ।

(ख) आशा है कि यह राव दुकान पर्यटन का विभाग द्वारा जारी किये गये पर्यटक कूपनों के द्वारा विदेशी पर्यटकों को बेची जायेगी ।

कोरापट जिला में चावल और धान का स्टाक

†३३८६. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि भारत सरकार के अभिकर्ताओं द्वारा चावल और धान के बड़े स्टाक उठाये नहीं जा रहे हैं जो कोरापट जिले में व्यापारियों, मिल मालिकों तथा उत्पादकों के पास पड़े हैं और इस कारण आर्थिक मन्दी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). भारत सरकार ने दिसंबर १९५९ में उड़ीसा–पश्चिम बंगाल चावल जोन बन जाने के पश्चात उड़ीसा में चावल खरीदना बन्द कर दिया । इसलिये भारत सरकार के अभिकर्ताओं द्वारा कोरापट जिले से चावल के स्टाक न उठाये जाते का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हाल में समाचार आये हैं कि कोरापट जिले में मिलों और व्यापारियों के पास चावल के स्टाक जमा हो गये हैं और उन्हें उनको बेचते में कठिनाई अनुभव हो रही है । भारत सरकार ने राज्य सरकार को पेशकश की है कि वह अनुमोदित सरकारी समाहार मूल्य पर चावल खरीदने को तैयार है । राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

अगरतला में पुल

†३३८७. **श्री दशरथ देब** : क्या **परिवहन तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में अगरतला में हावड़ा नदी के ऊपर दो पुलों के निर्माण की मांग की गई है, एक पुराने अगरतला के पास और दूसरा महाराज गंज बाजार अगरतला के पास ; और

(ख) यदि हां, तो इन पुलों के निर्माण के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) मामले की जांच की जा रही है, विशेष कर अगरतला नगर के बाढ़ बचाव बाधों पर इन पुलों के प्रभाव के बारे में ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई में रेल दुर्घटना

†३३८८. **श्री आसर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १२ से २० मार्च, १९६१ तक के एक सप्ताह में बम्बई उपनगरीय रेलवे में रेल दुर्घटनाओं से सात व्यक्तियों की मृत्यु हुई ; और

(ख) यदि हां, तो इस का व्योरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). पश्चिम रेलवे के उपनगरीय सैक्शन पर जांच अनधिकार प्रवेश करने वाले और दो यात्री जो फुटपाथों पर खड़े थे और गाड़ी से गिर गये, मर गये । इसी प्रकार मध्य रेलवे के उपनगरीय सैक्शन पर पांच अनधिकार प्रवेश करने वाले इसी अवधि में गाड़ी के नीचे आ गये और मारे गये ।

जापान का कृषि अध्ययन दल

†३३८९. **श्री कुम्भार** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान का एक कृषि अध्ययन दल हाल में हीराकुड नहर द्वारा सिंचित क्षेत्रों में गया था और उसने वहां खेती को बढ़ाने के बारे में सुझाव दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सुझाव दिये हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

†**कृषि उपमंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) से (ग). कृषि विशेषज्ञों के एक जापानी दल ने उड़ीसा समेत ६ राज्यों के क्षेत्रों का सर्वेक्षण, जापानी किस्म के कृषि औजारों के प्रयोग के साथ चावल उत्पादन को बढ़ाने के लिये प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने की योजना के संबंध में ४ राज्यों में चार चावल उत्पादन करने वाले जिले चुनने की दृष्टि से किया था । वह दल जापान वापिस चला गया है और वह अपनी सरकार को उसके विचार के लिये अपना प्रतिवेदन पेश करेगा ।

नई दिल्ली में डाक व तार महानिदेशालय की इमारत

†३३९०. **श्री वाजपेयी** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक व तार निदेशालय, नई दिल्ली, की नई इमारत में कब काम आरंभ किया गया था ;

(ख) इसमें दफ्तर लाने से पूर्व इमारत को वातानुकूलित बनाने के लिये क्या प्रबंध किये गये थे ;

(ग) क्या यह सच है कि कमरों को ठंडा अथवा गर्म करने की सुविधाओं का प्रबंध केवल अफसरों के लिये किया गया है और अधीनस्थ कर्मचारियों के लिये अब तक भी यह प्रबंध नहीं किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या इन सुविधाओं के न होने से अधीनस्थ कर्मचारियों में असंतोष पैदा हुआ है और उन के कष्ट को कम करने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है ; और

(ङ) इमारत के वातानुकूलन का काम कब तक पूर्ण होने की संभावना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: : (क) इस इमारत में दफ्तर आने का काम १–१०–५८ से शुरू हो कर जनवरी १९५९ तक अक्रमों म पूरा हुआ था ।

(ख) इमारत का निर्माण केन्द्रीय वातानुकलन की व्यवस्था के साथ किया गया है । केन्द्रीय वातानुकूलन संयंत्र विदेशी मुद्रा की कमी के कारण अभी तक मंगवाया नहीं जा सका ।

(ग) नियमों के अनुसार वातानुकूलित कमरों के हकदार अफसरों के कमरों में वातानुकूलन की व्यवस्था की गई है । शेष सभी कमरों, और बड़े हालों में, चाहे उन में अफसर बैठते हैं या अधीनस्थ कर्मचारी 'कूलर' लगाये गये हैं । बड़े हालों में खस की टट्टियां भी लगाई गई हैं और वायु संचालन के लिये पैडस्टरल पंखे भी लगाये गय हैं । सब से ऊपर की मंजिल में जहां धूप पड़ती है, बड़ी क्षमता वाले 'डैजर्ट कूलर' लगाये गये हैं ।

(घ) नहीं, श्रीमान् ।

(ङ) इमारत में केन्द्रीय वायु-अनुकूलन संयंत्र लगाया जायगा, जब आवश्यक उपकरण के आयात के लिये पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध होगी ।

बीकानेर डिवीजन के थानों में टेलीफोन

३३९१. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीकानेर डिवीजन के कितने पुलिस स्टेशनों में टेलीफोन लगे हुए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ पुलिस स्टेशनों के टेलीफोनों के बिलों का भुगतान ना करने पर उन के कनेक्शन काट दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या पुलिस विभाग को कनैक्शन काटने के पहले सूचना दी गई थी ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) १० ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे स्कूलों के अध्यापक

†३३९२. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल स्कूलों के प्रिंसिपलों और अध्यापकों के कुछ वेतन अभी तक लागू नहीं किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

†मूल अंग्रजी में

(ग) इन वेतन क्रमों के कब लागू किये जाने की संभावना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). उल्लिखित श्रेणियों के वेतन क्रमों के शोधन संबंधी आदेश जारी कर दिये गये हैं और आशा है कि जहां पहले शोधित वेतन क्रमों के अनुसार वेतन नहीं दिया गया, वहां शीघ्र ही शोधित आधार पर वेतन दिया जाएगा ।

डाक तथा तार विभाग की प्रपत्र समिति

३३९३. श्री भक्त दर्शन : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग के प्रपत्रों (फार्मों) के बारे में जो समिति नियुक्त की गई थी उस ने काफी पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति की विभिन्न सिफारिशों पर क्या निश्चय किया गया है ;

(ग) उन निश्चयों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) जिन सिफारिशों पर अभी तक निश्चय नहीं किया गया है उन पर कब तक अन्तिम निर्णय कर दिये जाने की आशा की जाती है ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) डाक-तार फार्मों को छापने, स्टोर में सुरक्षित रखने तथा वितरित करने की व्यवस्था की जांच करने के लिए सरकार द्वारा १९५७ में जो डाक-तार फार्म समिति नियुक्त की गई थी, उसने मार्च, १९५९ में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी ।

(ख) समिति द्वारा की गई ८० सिफारिशों में से ५१ स्वीकार कर ली गई, १५ अस्वीकार कर दी गई तथा शेष १४ की अभी जांच की जा रही है ।

(ग) अब तक स्वीकृत ५१ सिफारिशों में से १७ को कार्यान्वित किया जा चुका है और बाकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने की कारंवाई की जा रही है ।

(घ) डाक-तार महानिदेशालय तथा निर्माण-आवास एवं संभरण मंत्रालय—दोनों में—केवल २४ सिफारिशों पर अभी अन्तिम निर्णय करना शेष रह गया है । इनकी जांच की जा रही है और आशा है कि उन्हें शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ।

मद्रास राज्य में डाक व तार के पदों के लिये प्रार्थना पत्र

†**३३९४. श्री इलयापेरुमाल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य के डाक व तार विभाग के कुडालोर, विल्लपुरम और त्रिची डिवीजनों में १९५९, १९६० और १९६१ में तीसरी और चौथी श्रेणियों के पदों के लिये कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे ;

(ख) उन में से कितने रद्द किये गये ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उन में से १९५९, १९६० और १९६१ के प्रत्येक वर्ष में अनुसूचित जातियों के लिये कितने अभ्यर्थी थे ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मद्रास राज्य में डाक व तार विभाग के कर्मचारियों की कमी

†३३९५. श्री इलयापेरुमाल : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक व तार विभाग के कुड्डालोर और विल्लुपुरम डिवीजनों में तीसरी और चौथी श्रेणियों के कर्मचारियों की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्रवाई की गई है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) नहीं श्रीमान ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मद्रास राज्य में कुक्कुट पालन का विकास

†३३९६. श्री इलयापेरुमाल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कुक्कुट पालन विवरण के लिये मद्रास राज्य को कुछ राशि आवंटित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) मद्रास राज्य में इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) (क) और (ख). दूसरी योजना के अन्तर्गत चलाई गई अखिल भारतीय कुक्कुट पालन विकास योजना के लिये मद्रास सरकार को १५.९६ लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी।

(ग) दूसरी योजना के २५ के लक्ष्य में से मद्रास राज्य में २८ कुक्कुट पालन विस्तार एवं विकास खण्ड स्थापित किये गये हैं। दिसम्बर १९६० तक इन केन्द्रों में २.६३ लाख अण्डों का उत्पादन किया गया था, जिनमें से १.५६ लाख अंडों का उपयोग प्रजनन कार्य के लिये, किया गया, इस काम के लिये ३७९७ पक्षी वितरित किये गये, कुक्कुट पालन में ३३६ किसानों को प्रशिक्षण दिया गया और १३६ किसानों को अपने कुक्कुट पालन घरों में तार का जाल लगाने के लिये प्रत्येक को ५० रुपये की आर्थिक सहायता दी गई।

मद्रास में समुद्री मछली पकड़ना

†३३९७. श्री इलयापेरुमाल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या १९६०-६१, और १९६१-६२ के वर्षों के लिये गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की योजना के लिय मद्रास के लिये कुछ राशि मंजूर की गई

---

†मूल अंग्रेजी में

थी; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण थे?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख) मद्रास सरकार ने १९६०–६१ के लिये अपनी वार्षिक योजना में गहरे समुद्र में मछली पकड़े की कोई योजना शामिल नहीं की और उस वर्ष के लिये कोई राशि मंजूर करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। १९६१–६२ के राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना में १० लाख रुपये का आवंटन किया गया है। १९६१–६२ वर्ष के लिये इस काम के लिये २ लाख रुपये का उपबंध किया गया है।

असैनिक अस्पताल, इम्फाल

†३३९८. श्री ले० अचौ सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असैनिक अस्पताल, इम्फाल में एनेस्थेटिशियन, रेडियोलोजिस्ट, ऑब्स्ट्रेटिशियन और पैथोलोजिस्ट की नियुक्ति कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). इस अस्पताल के लिये ऑब्सट्रेटिशियन का कोई पद नहीं बनाया गया। उपरोक्त अन्य पद उस अस्पताल में हैं, किन्तु अभी तक भरे नहीं गये। हाल ही में पैथौलोजिस्ट के पद पर नियुक्त किये जाने के लिये एक अभ्यर्थी चुना गया है जिसके जुलाई १९६१ में आने की संभावना है।

क्विलोन-एरणाकुलम् लाइन पर नये स्टेशन

†३३९९. श्री मणियंगाडन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्विलोन-एरणाकुलम् रेलवे लाइन पर नये स्टेशन या हाल्ट स्टेशन खोलने का कोई प्रस्ताव है; और यदि हां तो वे स्थान कौन से हैं ;

(ख) क्या उक्त रेलवे लाइन पर किसी स्थान पर नये स्टेशन खोलने के बारे में कोई मांग की गई है; और

(ग) उन अभ्यावेदनों का क्या परिणाम निकला है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) हां, श्रीमान, निम्न स्थानों पर नये फ्लेगहाल्ट स्टेशन खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है :

(१) तिरुवल्ला और चेंगनाचेरी स्टेशनों के बीच एक फ्लेग स्टेशन

(२) पेरीनाड और सस्थानकोट्टा के बीच ठेकेदार-नियंत्रित ट्रेन हाल्ट

(३) तिरुवल्ला और चेंगनूर के बीच ठेकेदार-नियंत्रित ट्रेन हाल्ट

(४) चिंगावनम और चेंगनाचेरी के बीच ठेकेदार-नियंत्रित ट्रेन हाल्ट

(५) कोट्टयम और एट्टूमाश के बीच ठेकेदार-नियंत्रित ट्रेन हाल्ट

(६) मुलंदुरुट्टी और त्रिपुनिट्टुरा के बीच ठेकेदार-नियंत्रित ट्रेन हाल्ट।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). जी, नहीं। भाग (क) के उत्तर में वर्णित स्थानों के अतिरिक्त निम्न स्थानों पर जिन्हें पर्याप्त औचित्य न होने के कारण स्वीकार नहीं किया गया। नये फ्लेग/हाल्ट स्टेशन खोलने के लिये अभ्यावेदन किये गये थे :

१. पेरिनाड और क्विलोन के बीच ठेकेदार-नियंत्रित ट्रेन हाल्ट

२. कयनकुलम और ओचिरा के बीच ठेकेदार-नियंत्रित ट्रेन हाल्ट

३. कुरुप्पनथारा और एटुमनपुर के बीच ठेकेदार-नियंत्रित ट्रेन हाल्ट, और

४. कुरुप्पनथारा और वैक्कम रोड के बीच ठेकेदार नियंत्रित ट्रेन हाल्ट।

टूंडला स्टेशन यार्ड का विस्तार

†३४००. श्री ब्रजराज सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे पर रेलवे यार्ड टूंडला की एक करोड़ रुपया की विस्तार योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है;

(ग) विस्तार कार्यक्रम कितने वर्षों में पूरा होगा;

(घ) क्या विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ वर्तमान इमारत गिराई जायेंगी,

(ङ) यदि हां, उन इमारतों का ब्योरा और अनुमानित लागत क्या है,

(च) क्या इस काम के लिये अपेक्षित भूमि अधिग्रहण कर ली गयी है और किसानों को प्रतिकर दे दिया गया है ; और

(छ) क्या रेलवे ने किसानों या उनके परिवारों को जो रेलवे सेवा के विस्तार कार्यक्रम से प्रभावित होंगे, प्राथमिकता देने का फैसला भी कर लिया है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) टूंडला यार्ड को फिर से नया बनाने की योजना कार्यान्वित की जा रही है और इस काम पर लगभग २० लाख रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया है, एक करोड़ रुपये का नहीं।

(ख) फिर से नया स्टेशन बनाने की योजना का मुख्य ब्योरा संलग्न विवरण में किया गया है। [अनुबन्ध 'क' [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६३]

(ग) लगभग दो वर्षों में काम पूरा हो जाने की आशा है ?

(घ) और (ङ). जी, हां। गिराये जाने वाली इमारतों का ब्यौरा और उसकी लागत को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुबंध 'ख') [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६३]

(च) जी, हां।

(छ) नहीं।

भाखड़ा से बिजली

†३४०१. श्रीमती मैमूना सुल्तान : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भाखड़ा व्यवस्था से दिल्ली को ४०,००० किलोवाट अधिक बिजली दिये जाने की कोई योजना है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) इसका किस प्रकार उपयोग किये जाने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). भाखड़ा व्यवस्था से दिल्ली में मई १९६१ से सितम्बर १९६१ की अवधि में १०००० किलोवाट के ब्लाकों में, ४०००० किलोवाट अतिरिक्त बिजली आने की आशा की जाती है ।

(ग) जब अतिरिक्त बिजली आ जाएगी तो दिल्ली के मुख्य आयुक्त द्वारा निश्चित प्राथमिकताओं के अनुसार उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों में बांट दी जाएगी ।

उत्तर भारत में चीनी की फैक्टरियां

†३४०२. { **श्री विश्वनाथ राय :**
श्री राम कृष्ण गुप्त : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर भारत की कुछ चीनी फैक्टरियों के प्रबंधकों ने खेतों में खड़े गन्ने को पेरने में तथा पेरे गये गन्ने का मूल्य समय पर देने में असमर्थता प्रकट की है, और

(ख) यदि हां, तो क्या खेतों में खड़े गन्ने को पेरने और समय पर इस मूल्य देने की कोई व्यवस्था विचाराधीन है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). उत्तर भारत की कुछ फैक्टरियों ने सूचना दी है कि वे स्टाक जमा होने से उत्पन्न विविध कठिनाइयों के कारण गन्ने का मूल्य समय पर देते रहने में असमर्थ हैं। मामले पर सक्रिय विचार किया जा रहा है ।

पंजाब में हरी खाद

†३४०३. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक पंजाब के कुल कितने क्षेत्र में हरी खाद का प्रयोग किये जाने की आशा है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इसके लिये कितना आवंटन किया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) १३.५० लाख एकड़ ।

(ख) पंजाब सरकार की तीसरी योजना में हरी खाद संबंधी योजनाओं के लिये ५.० लाख रुपये का उपबंध प्रस्तावित है ।

अफ्रीकी घोड़ों की बीमारी का टीका

३४०४. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक वर्ष के लिये देश में अफ्रीकी घोड़ों की बीमारी के टीके की कुल कितनी जरूरत है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) देश में कुल उत्पादन कितना है और आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) देश में घोड़ों, गधों और खच्चरों की संख्या अनुमानतः २५.७८ लाख है। तथापि कितने पशुओं को टीका लगाना है उन की वास्तविक संख्या बीमारी के होने और फैलने, टीका लगाने के लिये उपलब्ध पशुओं की संख्या तथा राज्य सरकारों द्वारा बड़े पैमान पर टीका लगाने के कार्यक्रम को करने में स्फूर्ति या अन्यथा आदि के तत्वों पर निर्भर होगी?

(ख) भारतीय शालि होगी अनुसंधान संस्था इस समय इस बीमारी के लिय प्रति मास ५० से ६० हजार तक टीके तैयार कर रही है। उत्पादन बढ़ाने के लिये निम्न कार्रवाइयां की गई हैं।

(१) खाद्य तथा कृषि संगठन का सहायता से श्वेत चूहा की एक बड़ी प्रजनन बस्ती (जिसके मस्तिष्क से टीका तैयार किया जाता है) भारतीय शालि होगी अनुसंधान संस्था में स्थापित की गई है।

(२) खाद्य तथा कृषि संगठन के प्रभाव के द्वारा टीका के उत्पादन के लिये कुछ अतिरिक्त उपकरण प्राप्त कर लिया गया है या प्राप्त किया रहा है।

(३) टीका उत्पादन संबंधी सब काम तथा विभिन्न नियंत्रक उपायों का समन्वय करने एवं बीमारी को नष्ट करने के लिये एक ठोस कार्य की योजना बनाने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है।

मद्रास राज्य में बिजली की कमी

†३४०५. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि इस समय मद्रास में बिजली की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्थापना भेजी है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन में से किसी प्रस्थापना पर विचार कर लिया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) और (ख). उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ग) मद्रास की तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये निम्नलिखित नई बिजली उत्पादन योजनाओं पर विचार किया जा रहा है :

योजना का नाम	लाभ (मिलोवाट में)
१. कूंडा जल-विद्युत् योजना प्रावस्था ३	२४०
२. मेत्तूर नहर योजना	१००
३. पेरियर जल-विद्युत् योजना प्रावस्था—२	३५
४. परीम्बकुलम जल-विद्युत् योजना	१८०

उपरोक्त योजना के अतिरिक्त तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ४०० मिलोवाट की अधिष्ठापित क्षमता वाले नीवेली तापीय बिजली घर को मद्रास ग्रिड के साथ मिला दिया जायगा।

†मूल अंग्रेजी में

हैड टिकट कलेक्टरों के लिये तालिका

†३४०६. **श्री बै० ना० कुरील** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे ने सितम्बर, १९६० के महीने में २००–३०० रुपये के वेतन-क्रम में हैड टिकट कलेक्टरों और स्क्वैड इन्चार्ज टी० टी० ई० की तालिका जारी की थी ;

(ख) क्या यह निर्णय एक उचित रूप से गठित चुनाव बोर्ड ने किया था ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो यह तालिका कब से चालू की जावेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां । इलाहाबाद और लखनऊ डिवीजनों में ।

(ख) जी हां ।

(ग) इलाहाबाद डिवीजन में यह तालिका नवम्बर, १९६० से चालू है । तथापि, लखनऊ डिवीजन में इस तालिका को चालू करना, कुछ अभ्यावेदनों के कारण, जिनकी जांच की जा रही है, स्थगित कर दिया गया है । यह आशा की जाती है कि वह तालिका बहुत शीघ्र चालू करदी जावेगी ।

'डाक रहित' गांव

†३४०७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ में 'डाक रहित' गांवों की संख्या में कमी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) इन गांवों की संख्या किस हद तक कम कर दी गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

सम्बन्धित डाक सर्किलों के मुखियों को आदेश जारी किये गये हैं कि वे अधिक डाक घर खोल कर, अतिरिक्त डाक-वितरण कर्मचारी रख कर और पड़ौसी डाक घरों के डाक बांटने वाले कर्मचारियों का भत्ता बढ़ा कर 'डाक रहित' गांवों की संख्या में तेजी से कमी करें ।

इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप वर्ष १९६०–६१ में डाक घरों के डाक बांटने वाले कर्मचारियों के डिलीवरी क्षेत्रों में ९०० से भी अधिक 'डाक रहित' गांव शामिल कर लिये गये हैं और सम्बन्धित डाक घरों के डिलीवरी क्षेत्र में लगभग ४५० गांव और शामिल करने के लिये आदेश जारी किये गये हैं ।

डाक तथा तार सर्किलों की क्रमोन्नति

†३४०८. **श्री कुम्भार** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग के निदेशक छोटे सर्किलों के मुखिया हैं और वे वही उत्तरदायित्व और कर्तव्य निभाते हैं जो बड़े डाक तथा तार सर्किलों के मुखिया पोस्ट-मास्टर जनरलों के रूप में करते हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार डाक तथा तार निदेशक के प्रभार में आसाम और मैसूर के छोटे डाक तथा तार सर्किलों को पोस्ट मास्टर जनरलों के प्रभार में बड़े डाक तथा तार सर्किलों के रूप में क्रमोन्नत करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ग) क्या सरकार उड़ीसा के डाक तथा तार सर्किल को भी, जो कि डाक तथा तार निदेशक के प्रभार में छोटा डाक तथा तार सर्किल है, क्रमोन्नत करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारयन)**: (क) जी, हां परन्तु छोटे अधिकार-क्षेत्रों में ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा से चावल और धान का ले जाया जाना

†३४०९. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९६१ से मार्च, १९६१ तक उड़ीसा से कुल कितनी मात्रा में चावल और धान पश्चिम बंगाल ले जाया गया ;

(ख) क्या केरल को अभी तक चावल और धान की किसी मात्रा का संभरण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी कुल मात्रा कितनी है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) १ जनवरी, १९६१ से ३१ मार्च, १९६१ तक की अवधि में उड़ीसा से लगभग ५४ हजार टन चावल और ४७ हजार टन धान पश्चिम बंगाल भेजा गया । कुछ टूटा चावल भी भेजा गया था परन्तु उस की मात्रा के बारे में ठीक जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग). उड़ीसा से केरल को कोई चावल नहीं भेजा गया परन्तु १ जनवरी, १९६१ से ३१ मार्च, १९६१ तक की अवधि में अन्य स्थानों से उस को लगभग ३३ हजार मीटरिक टन चावल भेजा गया ।

अमरीका से गेहूं और चावल का आयात

†३४१०. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले अन्तिम तीन महीनों में पी० एल० ४८० करार के अधीन अमरीका से गेहूं और चावल की कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया ;

(ख) उसी अवधि में अमरीका के अतिरिक्त अन्य देशों से कुल कितनी मात्रा में चावल का आयात किया गया ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस आयात से आन्तरिक मंडियों में खाद्यान्न के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) लगभग ८६३,००० मीटरिक टन ।

(ख) लगभग १४,००० मीटरिक टन ।

(ग) अन्तिम मूल्यों पर कई बातों का असर पड़ता है और प्रत्येक बात के असर को पृथक रूप से आंकना कठिन है । जिस हद तक आयातित माल बिक्री के लिये दिया जाता है,उस से निस्संदेह बढ़ते हुए मल्यों में रुकावट आ जाती है ।

दामोदर घाटी निगम के कर्मचारी

†३४११. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या सिचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों को निर्माण-भत्ता देना बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस हानि की क्षति पूर्ति किस प्रकार की जा रही है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) और (ख). यह सच है कि जहां निर्माण कार्य पूरा हो गया है और सामान्य सुविधायें उपलब्ध हैं, दामोदर घाटी निगम ने निर्माण भत्ता देना बन्द कर दिया है । निर्माण-भत्ता सामान्यत: निर्माण-कार्य के दौरान, इस बात को ध्यान में रख कर कि जहां परियोजना स्थापित की जा रही है वहां सामान्य सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, दिया जाता है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सूरतगढ़ फार्म में बाढ़

†३४१२. **श्री बै० ना० कुरील** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले शीतकाल में आई बाढ़ से सूरतगढ़ मशीनीकृत फार्म पर भी प्रभाव पड़ा;

(ख) यदि हां, तो वहां कितनी हानि हु   और

(ग) भविष्य में ऐसी बाढ़ को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग ८ लाख रुपये ।

(ग) एसी बाढ़ को रोकने के लिये उपाय निकालने के लिये राजस्थान सरकार ने राजस्थान नहर परियोजना के प्रशासक की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है ।

उड़ीसा में सड़क परिवहन सेवायें

†३४१३. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा के लिये राज्य में राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन सेवाओं के विस्तार के लिये कोई आवंटन किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ; और

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्र की सहायता से क्या कार्यक्रम आरम्भ किये जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

कलकत्ता-नई दिल्ली-लन्दन टेलेक्स सेवा

†३४१४. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और नई दिल्ली को टेलेक्स सेवा द्वारा लन्दन से मिलाया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो योजना पर कितनी लागत आयगी ; और

(ग) इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) जी, हां ।

(ख) लगभग ३,४३,००० रुपये ।

(ग) आयात किये जाने वाले उपकरणों के बारे में क्रयादेश दिये जा चुके हैं और उनके वर्ष १९६२ में मिलने की संभावना है । लगभग ८७,००० रुपये के मूल्य के देश में निर्मित उपकरण खरीदने के लिये कार्यवारी की जा रही है । इस योजना का समन्वय करने के लिये, जिस के वर्ष १९६२ में चालू हो जाने की आशा है, लन्दन में उपयक्त अधिकारियों से बातचीत की जा रही है ।

हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा

३४१५. **श्री पद्म देव :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को एलोपेथी के अन्तर्गत न रख कर पृथक स्वतंत्र रूप में रखने का की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक लागू की जायेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

नदियों पर पुल

३४१६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में गंगा तथा यमुना जैसी बड़ी-बड़ी नदियों पर पुल बनाने की कोई योजना विचाराधीन है ;

(ख) क्या किन्हीं राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से इन दोनों नदियों पर पुल बनाने का आग्रह किया है ; और

(ग) यदि हां, तो पुल किन स्थानों पर बनाये जायेंगे और उन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग). प्रदेश सरकारों से गंगा, यमुना तथा अन्य बड़ी नदियों पर तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में पुल-निर्माण के लिए अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जहां तक परिवहन तथा संचार मंत्रालय का संबंध है गंगा व यमुना नदियों पर पुल-निर्माण की स्थिति नीचे दी जा रही है :—

पुल का नाम आदि	पुल का स्थान	वर्तमान स्थिति
१	२	३
१. राष्ट्रीय राजमार्ग		
(१) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या २४ में गंगा पर पुल (अनुमानित लागत लगभग ७८ लाख रुपये)	गढ़मुक्तेश्वर (उत्तर प्रदेश)	काम चालू है और १९६१ के मध्य तक इस के पूरे होने की संभावना है।
(२) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या २४ में यमुना पर पुल (अनुमानित लागत ५४.६४ लाख रुपये)	दिल्ली (हुमायूं मकबरे के पास)	काम हाल में ही मंजूर किया गया।
(३) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या २ में गंगा पर पुल (अनमानित लागत लगभग २०० लाख रुपये)	इलाहाबाद	यह प्रायोजना अभी विचाराधीन है और जब कभी धन उपलब्ध होगा इस पर काम शुरू किया जायगा।
(४) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या २५ में यमुना नदी पर पुल (अनुमानित लागत लगभग ४५ लाख रुपये)	कालपी के पास	,, ,,
(५) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या २ में यमुना पर पुल (अनुमानित लागत लगभग ५५ लाख रुपये)	आगरा	,, ,,
२. संघ क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़ कर अन्य सड़कें		
(६) उत्तर प्रदेश/हिमाचल प्रदेश सीमा पर यमुना पर पुल (अनुमानित लागत ३३.३९ लाख रुपये)	माओन्ता	काम हाल में ही मंजूर किया गया है।
३. सहायता अनुदान वाले निर्माण-कार्य		
(७) वज़ीराबाद (दिल्ली) में यमुना पर पुल. (इस निर्माण-कार्य की अनुमानित लागत ३१.४८ लाख रुपये है और यह खर्च केवल भारत सरकार द्वारा पूरा किया जा रहा है)	दिल्ली (वज़ीराबाद)	काम पहले से ही चालू है और १९६१ के अंत तक इस के पूरे होने की संभावना है।

†मूल अंग्रेजी में

१	२	३
(८) पंजाब/उत्तर प्रदेश सीमा पर यमुना पर पुल (इस की अनुमानित लागत ४७ लाख रुपये है और यह खर्च भारत सरकार उत्तर प्रदेश व पंजाब सरकारों द्वारा मिल कर बराबर बराबर पूरा किया जा रहा है)	पानीपत और कैराना के बीच	काम हाल में ही मंजूर किया गया ।
(९) भिंड-इटावा रोड पर यमुना पर पुल (इसकी अनुमानित लागत ३५ लाख रुपये है जिस में यदि बाकी खर्च प्रदेश सरकार दे तो इस का एक तिहाई खर्च अनुदान देकर पूरा करने का सुझाव है)	भिंड-इटावा रोड में इटावा के पास	प्रदेश सरकार के साथ परामर्श कर इस की अब भी जांच की जा रही है ।

इर्विन अस्पताल, दिल्ली

†३४१८. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री अमजद अली :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इर्विन अस्पताल, दिल्ली के रेडियोग्राफर्स और लेबोरेटरी असिस्टेंटों के वेतन-क्रमों और अन्य सरकारी अस्पतालों में रेडियोग्राफर्स और लेबोरेटरी असिस्टेंटों के वेतन-क्रमों में कोई अनियमितता है ;

(ख) यदि हां, तो वह अनियमितता क्या है; और

(ग) उसको दूर करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

†मूल अंग्रेजी में

अस्पताल	रेडियोग्राफर्स के वेतन-स्तर	रेडियोग्राफिक असिस्टेन्टों के वेतन-स्तर	जूनियर रेडियोग्राफर्स अथवा एक्स-रे असिस्टेंटों के वेतन-स्तर	डार्क रूम असिस्टेंटों के वेतन स्तर	लेबोरेटरी असिस्टेंटों के वतन स्तर	लेवोरेटरी टेक्नीशियनों के वेतन स्तर
१	२	३	४	५	६	७
विलिंगडन अस्पताल	१५०—३०० रुपये	ऐसा कोई पद नहीं है	११०—१५५ रुपये	११०–१५५ रुपय	ऐसा कोई पद नहीं है	१५०—३०० रुपये
सफदरजंग अस्पताल	१५०–३०० रुपय	ऐसा कोई पद नहीं है	११०—१५५ रुपये	११०–१५५ रुपय	ऐसा कोई पद नहीं है	१५०–३०० रुपये
इर्विन अस्पताल	१५०–३०० रुपये	१३०—३०० रुपये	११०—१५५ रुपये	ऐसा कोई पद नहीं है	११०–२०० रुपये	ऐसा कोई पद नहीं है

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†मूल अंग्रेजी में

इर्विन अस्पताल, दिल्ली

†३४१९. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अमजद अली :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इर्विन अस्पताल दिल्ली में भर्ती मरीजों के बोर्ड में ३५० बिस्तर और लगाने की योजना हाल ही में मूजर की गई है ;

(ख) यदि हां तो उस पर कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) अस्पताल के बिस्तरों की वर्तमान क्षमता क्या है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, हां।

(ख) अनावर्ती लागत का ३३.२५ लाख रुपये प्रति वर्ष और आवर्ती लागत का ७ लाख रुपये प्रतिवर्ष का अनुमान है।

(ग) १००३ बिस्तरे।

इर्विन अस्पताल, दिल्ली

†३४२०. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इर्विन अस्पताल, दिल्ली में हाल ही में बाहर के मरीजों के लिये एक नया विभाग खोला गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी लागत आयी है ; और

(ग) इस विभाग की क्षमता क्या है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : जी, हां।

(ख) इमारत की अनुमानित लागत १३,५१,८२९ रुपये है ।

(ग) नये बड़े बाहर के मरीज विभाग में निम्नलिखित रुजालयों के लिये स्थान की व्यवस्था होगी :

१. सर्जिकल
२. मेडिकल
३. बाल-चिकित्सा
४. गुप्त रोग
५. चर्म रोग
६. दन्त रोग
७. कान-नाक-गला
८. नेत्र

नये बाहर के मरीज विभाग में विभिन्न विभागों में एक समय पर १२०० से १५०० मरीजों तक के लिये पर्याप्त स्थान है। परन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मरीज स्वयं को दिखाने के बाद फौरन चले जायें इस विभाग में प्रति दिन २००० से २५०० तक मरीजों के इलाज की संभावना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वक्फ अधिनियम के अन्तर्गत आदेश

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : मैं हाफिज मुहम्मद इब्राहीम की ओर से वक्फ अधिनियम, १९५४ की धारा ६६क की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदशों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(एक) दिनांक ४ मार्च, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३२६ में प्रकाशित हैदराबाद मुस्लिम वक्फ बोर्ड (विघटन) आदश, १९६१।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २८५१/६१]

(दो) दिनांक ४ मार्च, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३२७ में प्रकाशित मैसूर वक्फ बोर्ड और कुर्ग मुस्लिम वक्फ बोर्ड (विघटन) आदश, १९६१।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २८५२/६१]

भारतीय तार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : मैं भारतीय तार अधिनियम, १८८५ की धारा ७ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत भारतीय तार नियम, १९५१ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २४ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३०६७ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—२८५३/६१]

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : मैं चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा ३ अप्रैल, १९६१ को लोक-सभा में दी गई अंतिम सूचना के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों की प्रतियां, राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणित रूप में, सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (समापन) विधेयक, १९६१;

(२) बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक, १९६१; और

(३) बीमा (संशोधन) विधेयक, १९६१।

प्राक्कलन समिति

एक सौ चौतीसवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा (बंगलौर)** : मैं वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) भारत का जीवन बीमा निगम, बम्बई के संबंध में प्राक्कलन समिति का एक सौ चौतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुदानों की मांगें—जारी

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के नियंत्रण के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा करेगी। श्री शि० ला० सक्सेना।

†**श्री शि० ला० सक्सेना** (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम चीनी के संकट के संबंध में कुछ निवेदन करूंगा। चीनी के कारखानों के मालिकों के संघ के सभापति नें यह कहा है कि इस वर्ष ३५'५ लाख टन चीनी का उत्पादन होगा जबकि हमारी खपत केवल २१ लाख टन है अतः फालतू चीनी का निर्यात किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि निर्यात में सहायता करने के लिए गन्ने का मूल्य कम करके १ रुपया ७ आने कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने चीनी का मूल्य भी ५'५१ रुपए प्रतिमन बढ़ा देने की मांग की।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इसके बाद मैं माननीय मंत्री द्वारा संसद की मंत्रणा समिति में व्यक्त किए गए विचारों का निर्देश करूंगा। उन्होंने कहा कि इस मौसम के अन्त में हमारे पास २० लाख टन चीनी का स्टाक हो जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस संकट का कारण गन्ने का मूल्य बढ़ा दिए जाने से गन्ने की खती के क्षेत्र में वृद्धि है। उन्होंने कहा कि केवल उत्तर प्रदेश में इस वर्ष गन्ने की खेती के क्षेत्र में ४ लाख एकड़ की वृद्धि हुई है। मैं समझता हूं कि ये आंकड़े ठीक नहीं है। संभवतः ये आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त किए गए होंगे जो उसे गन्ना आयुक्त ने दिए होंगे जो रक्षित जाने के प्रहल क्षेत्र का कार्य करते हैं समस्त उत्तर प्रदेश के प्रहल क्षेत्र का नहीं। यदि हम 'इंडियन शुगर' द्वारा प्रकाशित आंकड़े देखें तो ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश में १९५९-६० में गन्ने के अन्तर्गत २९.१७ लाख एकड़ भूमि थी और १९६०-६१ में ३१.०९ लाख एकड़। अर्थात् १,९२,००० एकड़ की वृद्धि हुई है। परन्तु यह वृद्धि उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है। आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर, बिहार और महाराष्ट्र में क्रमशः ७२,०००, ७८,०००, १९,००० एकड़, १५,००० एकड़ और १४,००० एकड़ क्षेत्र कम हो गया है। यदि हम सस्मत देश के क्षेत्रफल को लें तो ज्ञात होगा कि १९५९-६० में गन्ने के अन्तर्गत ५१'७८ लाख एकड़ भूमि थी जो १९६०-६१ में ५१'५७ लाख एकड़ रह गई है। अर्थात् समस्त देश में गन्ने के अन्तर्गत २१,००० एकड़ भूमि कम हो गई है। इसलिए मिल मालिक संघ का यह तर्क गलत है कि गन्ने का मूल्य बढ़ जाने से उसके अन्तर्गत खेती की भूमि बढ़ गई है।

जहां तक उत्तर प्रदेश के प्रहल क्षेत्र की वृद्धि का संबंध है, मैं माननीय मंत्री को यह बता देना चाहता हूं कि समस्त देश में गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि और कमी चार वर्ष के चक्र में होती है। यदि इस वर्ष उसमें वृद्धि हुई है तो अगले वर्षों में क्रमशः कमी होती जाएगी। उदाहरण के लिए मैं उत्तर प्रदेश के आंकड़े पेश करूंगा। १९५२-५३ में गन्ने की किस खेती के अन्तर्गत २६.४५ लाख एकड़ भूमि थी। परन्तु १९५३-५४ में वह केवल १९.७३ लाख एकड़ रह गई। १९५४-५५ में फिर वृद्धि हुई जो अगले दो वर्षों तक कायम रही और १९५६-५७ में गन्ने के अन्तर्गत ३०.६६ लाख एकड़ भूमि हो गई। परन्तु १९५७-५८ में फिर कमी हो गई और उल्टा क्रम शुरू हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह चक्र चलता रहता है और प्रत्येक चौथे वर्ष अधिकतम और न्यूनतम क्षेत्रफल की पुनरावृत्ति होती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

गन्ने की खेती की भूमि में यह वृद्धि अथवा कमी गन्ने के मूल्य पर निर्भर नहीं है वरन् गुड़ के भाव पर निर्भर है। यदि गुड़ का भाव अधिक होगा तो खेती की भूमि बढ़ेगी। यदि गुड़ का भाव बढ़ने और घटने से रोकने का प्रयत्न किया जाये तो यह चक्र खत्म किया जा सकता है। आज जो संकट है वह यह नहीं है कि गन्ने की खेती के अन्तर्गत भूमि बढ़ गई है। वास्तव में यह संकट खांडसारी उद्योग के अत्यधिक उत्पादन शुल्क के कारण बन्द हो जाने से उत्पन्न हुआ है। वित्त मंत्री ने चीनी के कारखाने के मालिकों को खुश करने के लिए खांडसारी उद्योग पर अत्यधिक उत्पादन शुल्क लगाकर उस नष्ट प्राय कर दिया है। यदि हम खांडसारी के उत्पादन के आंकड़े देखें तो ज्ञात होगा कि १९५८–५९ में २.५ लाख टन उत्पादन हुआ था जो १९५९–६० में केवल ५०,००० टन रह गया। इस प्रकार जो गन्ना खांडसारी उद्योग में जाता था वह आंशिक रूप में गुड़ उद्योग में जाने लगा और आंशिक रूप में चीनी के कारखानों में। परिणामस्वरूप गुड़ का भाव गिर गया और चीनी के कारखानों को उसके पेरने में कठिनाई मालूम हो रही है। इसलिए मैं आपको यह चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि यदि आप खांडसारी पर से उत्पादन शुल्क नहीं हटाएंगे तो वह उद्योग पूर्णत: नष्ट हो जाएगा और आप बहुत कठिनाई में पड़ जायेंगे क्योंकि सारा गन्ना चीनी के कारखानों में जाएगा। अत: खांडसारी और गुड़ उद्योगों की रक्षा की जानी चाहिए। तभी चीनी उद्योग पर नियंत्रण रखा जा सकेगा अन्यथा नहीं।

जहां तक चीनी के इस वर्ष के उत्पादन का सम्बन्ध है चीनी मिल संघ के सभापति ने कहा है कि वह लगभग ३० लाख टन होगा। वास्तव में ये आंकड़े ठीक नहीं हैं और सरकार को अपने आंकड़े रखने चाहिये। सभा को याद होगा कि प्रशुल्क बोर्ड ने १९५० में यह कहा था कि चीनी का संकट केवल इस कारण है कि सरकार का इस सम्बन्ध में आंकड़े रखने के लिये कोई विभाग नहीं है। अत: बोर्ड ने चीनी के उत्पादन के सही आंकड़े रखे जाने पर बहुत जोर दिया था। मुझे दुख है कि इस दिशा में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। चीनी मिल संघ द्वारा प्रदान किये गये आंकड़े गलत होते हैं। अत: सरकार को चीनी के आंकड़ों का संग्रह करने के लिये अपना प्रबन्ध करना चाहिये। मैं आपको एक उदाहरण दे कर यह प्रमाणित करूंगा कि चीनी मिल संघ यहप्रयत्न करता रहा है कि सरकार को चीनी सम्बन्धी सही आंकड़ न मिल सकें। जब प्रशुल्क आयोग ने चीनी के कारखानों को चीनी के उत्पादन की लागत के सम्बन्ध में एक प्रश्नावली भेजी थी तो संघ ने कारखानों को यह लिखा था कि वे सरकार को उत्तर न दें तथा संघ उन की ओर से उत्तर भेज देगा। एसा लिखने का उद्देश्य यही था क आंकड़ों को अपने लाभ की दृष्टि से पेश किया जाये। स्वयं प्रशुल्क आयोग ने इस बात की शिकायत की है।

फिर यदि हम संघ के आंकड़ों को सही मान भी लें तब भी इस वर्ष ३० लाख टन का उत्पादन संभव नहीं है। 'इंडियन शुगर' में दिये गये आंकड़ों के अनुसार १ मार्च १९६१ तक १७,१०,४९६ टन उत्पादन हुआ जब कि पिछले वर्ष उस तारीख तक १५,८१,१३९ टन हुआ था। इस प्रकार एक मार्च तक १.९ लाख टन अतिरिक्त उत्पादन हुआ। अब शेष महीनों में वह २ लाख टन से अधिक नहीं हो सकता है। अत: इस वर्ष अधिक से अयधक २७.५१ लाख टन की आशा की जा सकती है। इस लिय यह व्यर्थ का शोर है कि इस वर्ष ३० लाख टन उत्पादन होगा अत: सरकार को गन्ने का मूल्य कम कर देना चाहिये।

[श्री शि० ला० सक्सेना]

वास्तव में सरकार ने स्वयं एक प्रश्न के उत्तर में इस उत्पादन वृद्धि का स्वागत किया है। वह प्रश्न जो श्री खुशवक्त राय और श्री हरिश्चन्द्र माथुर द्वारा पूछा गया था निम्न प्रकार था :

"क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष का बचा हुआ चीनी का स्टाक इस वर्ष अनुमानतः लगभग ५ लाख टन है ; और

(ख) इस का प्रभाव पड़ेगा ?'

इस का उत्तर यह दिया गया था :

"खाद्य और कृषि मंत्री : (क) जी हां।

(ख) इस से बाजारों में बाहुल्यता का वातावरण और भावों में स्थिरता बनाये रखने में सहायता मिलेगी।" यह उत्तर स्वयं मंत्री जी ने दिया था। इसलिय यह वृद्धि ऐसी है जिसका हमें गर्व करना चाहिये उससे चिंतित नहीं होना चाहिये।

अतः वास्तविक संकट क्या है ? एक कारण तो मैं बता चुका हूं तथा वह है गन्ने का गुड़ और खांडसारी से चीनी मिलों की ओर व्यपवर्तन। अब मैं दूसरी बात का संकेत करूंगा तथा वह है, दक्षिण और उत्तर की मिलों से चीनी के प्रेषणों के सम्बन्ध में किया जान वाला भेदभाव। मैसूर, राजस्थान और केरल की मिलों ने अपने नये उत्पादन में से ३० प्रतिशत प्रेषण किया है जब कि उत्तर प्रदेश की मिलों का अंश केवल ७ प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश की मिलों से चीनी की निकासी कम होने के कारण ही वहां के गोदाम भरे पड़ हैं और बैंक मिलों को ऋण देने से इन्कार कर रहे हैं। यही नहीं दक्षिण की मिलों पर कोई नियंत्रण भी नहीं है और वे अधिक भाव पर भी चीनी बेच सकती हैं। मेरे विचार से चीनी सम्बन्धी वर्तमान संकट के यही दो कारण हैं। अतः इस का यही हल हो सकता है या तो समस्त भारत से चीनी का नियंत्रण हटा दिया जाय अथवा समस्त भारत पर नियंत्रण लागू किया जाय यह उत्तर और दक्षिण के बीच किया जाने वाला भेदभाव ठीक नहीं है।

जहां तक निर्यात का संबंध है, आप इस वर्ष १ लाख टन चीनी का निर्यात कर ही चुके हैं। आप अधिक निर्यात करना चाहते हैं। परन्तु उन को राज सहायता देने के लिये धन कहां से आएगा ? इस संबंध में मेरा निवेदन है कि दक्षिण की मिलों को भाड़ा कम होने के कारण ४ रुपये अधिक लाभ होता है। यदि यह रुपया सरकार उन से किसी प्रकार ले सके तो उसका उपयोग निर्यात की राज सहायता के लिए किया जा सकता है।

इस के अतिरिक्त चीनी पर से नियंत्रण हटा लेने से भी लाभ होगा क्योंकि वैसा करने से उसकी खपत बढ़ जाएगी। यदि पिछले वर्ष ही नियंत्रण हटा दिया गया होता तो खपत बढ़ जाती और यह संकट उत्पन्न ही न होता। मैं चाहता हूं कि वर्तमान मौसम के खत्म होते ही १-६-१९६१ से आप नियंत्रण हटा दें। नियंत्रण हटाने से कारखाना मूल्य और उपभोक्ता मूल्य का अन्तर भी कम हो जाएगा। अभी यह २.९५ रुपये प्रति मन है। नियंत्रण हटा देने पर वह १२ आने से अधिक नहीं रहेगा। इस प्रकार जो दो रुपये बचेंगे उस से या तो उपभोक्ता को मूल्य में रियायत दी जा सकती है या उसका उपयोग निर्यातों की राज सहायता के लिए किया जा सकता है।

जहां तक खाद्यान्न की स्थिति का प्रश्न है, माननीय मंत्री बधाई के पात्र हैं क्योंकि वह समस्या प्रायः हल हो गई है । परन्तु इस संबंध में मेरा एक सुझाव है कि किसानों को पर्याप्त ऋण दिए जाने चाहिए ताकि वे प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ा सकें । मैं आशा करता हूं जो धन आयात पर खर्च किया जा रहा है वह किसानों को ऋण के रूप में दिया जाएगा । बिना इस प्रकार की सहायता दिए उन से प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है ।

डा० राम सुभग सिंह (सहसराम) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिन श्री नायर ने खाद्य और कृषि मंत्रालय के संबंध में भाषण करते हुए कहा था कि मंत्रालय ने खाद्य समस्या में गोलमाल किया है ।

उन्होंने यह भी कहा था कि पशु चिकित्सा के पक्ष की घोर उपेक्षा की गई है । उसका जिक्र करते हुए उन्होंने यह भी कहा था कि हमारे देश में दो करोड़ गायें हैं जो सिवाय मांसाहार के और किसी काम की नहीं हैं ।

इसके अलावा उन्होंने यह कहा कि मैं यह पूछना चाहता हूं कि आवारा पशुओं की रक्षा का पक्ष कौन लेगा ।

मैं उन के सवाल का इसलिये जवाब नहीं देना चाहता कि गाय की पवित्रता का इस देश में काफ़ी प्राधान्य है, मगर इसलिये कि काऊ पर ही यहां की सारी इकानोमी निर्भर करती है । उन के सवाल का सीधा जवाब यह भी है, जैसा कि संविधान में कहा गया है कि राज्य गायों और अन्य दुधारू पशुओं की हत्या बन्द करने का प्रयत्न करेगा । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हाल ही तक नायर जी की पार्टी केरल में गवर्नमेंट चला रही थी। नायर जी वहां के एक माननीय सदस्य हैं । पता नहीं उस जमाने में वहां पर कहां सोते थे, क्योंकि यदि उन में थोड़ी भी सिन्सेरिटी होती, यदि उन में ताकत होती, तो वह उस सरकार को प्रेरित करते और उस आशय का कानून बनवाते ।

उन्होने यह भी कहा है कि यहां पर गायें, खास कर केरल की गायें, बहुत कम दूध देती हैं । अगर और जगहों की गायों से, और खास कर उपाध्यक्ष महोदय, आप के प्रदेश की गायों से, तुलना की जाये, तो जितने मवेशी केरल में हैं, वे सारे के सारे स्ट्रे कैटल माने जायेंगे । नायर जी को पता होना चाहिये कि अगर गाय और भैंस को रखने में थोड़ी भी मेहनत की जाये, तो कम से कम पाच एकड़ भूमि की काश्त के बराबर आमदनी हो सकती है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गाय-बैल के मरने के मरने में ज्यादा दिन नहीं लगते हैं । मरने के वक्त से छः महीने पहले तक गाय दूध देती रहती है और मरने के वक्त से एक साल पहले तक बैल हल में चलाया जाता है । जो भी हो, लेकिन यह तथ्य है कि हिन्दुस्तान की सारी इकानोमी निर्भर करती है मवेशियों पर । नायर साहब की तरफ़ से कोई यह भी कह सकता है कि चूंकि अब ट्रैक्टर चलाने हैं, इसलिये जिस दिन बछड़ा का जन्म-दिन हो, उस दिन उन सब को स्लाटर कर दिया जाये । मैं यह कहना चाहता हूं कि ये सब चीजें ग़लत हैं ।

उन्होंने बीफ़ खाने का काफ़ी प्रचार एक तरह से किया, लेकिन केरल का जल-वायु, वहां की आबो-हवा, ऐसी है कि उन लोगों को वह हज्म भी नहीं हो सकता है । इसलिये मैं मानता हूं कि भारत के संविधान में इस सम्बन्ध में जो उल्लेख है, वह एक बहुत अच्छी चीज़ है, और उस के अनुसार देश में मवेशियों की तरक्की का पूरा उपाय होना चाहिये । और इस सम्बन्ध

[डा० राम सुभग सिंह]

में उपाय किया भी गया है । इस रिपोर्ट में को विलेज स्कीम और गोसदन आदि की काफ़ी चर्चा की गई है और डेवेलपमेंट आफ़ फ़ीड के बारे में कहा गया है। उन्होंने फ़ीड और फ़ाडर का कारण भी दिया था। १९५० में ५० मिलियन टन अन्न पैदा होता था और आज वह ७५ मिलियन टन है और तृतीय पंच वर्षीय योजना में उस को १०५ मिलियन टन तक ले जाने का लक्ष्य है। इस के माने यह हैं कि जब १०५ मिलियन टन पैदावार होगी, तो फ़ाडर भी दुगना हो जायगा। आज फ़ाडर ९८ प्रतिशत मवेशियों के लिये है। तो पांच वरस के अन्दर ही पर्याप्त फ़ीड और फ़ाडर पैदा किया जा सकता है। ऐसे महाशय खुत तो करेंगे नहीं और नाहक में जानवरों के कत्ल और गायों के मारने की दलीलें देंगे। मैं इस तरह की दलीलों से प्रभावित नहीं हुआ हूं और मैं उनको बेकार मानता हूं ।

खाद्य के बारे में वह कहते हैं "ही हैज़ बगल्ड दी फूड सिचुएशन"। यह भी एक ऐसी चीज है जिसको मैं मानता नहीं हूं। हमारी फूड सिचुएशन है क्या? जैसा मैंने कहा कि हमारे यहां १९५० के ज़माने में ५० मिलियन टन पैदा होता था और अब पैदावार बढ़ कर करीब ७५ मिलियन टन हो गई है। इतना होने पर भी द्वितीय योजना प्रारम्भ होने के समय पर-कैपिटा केवल १६.९ आउंस अन्न पैदा होता था और आज करीब १७ आउंस के बराबर होता है। सीड वगैरह के लिए जो चला जाता है या जो और बरबादी होती है, उसको हम निकाल दें तो करीब ११ आउंस एक आदमी को मिलेगा। लेकिन प्रत्येक आदमी को कम से कम २० आउंस फूडग्रेंज़ और पल्सिज़ की जरूरत होती है। ऐसी हालत में अगर केरल की पैदावार को देखें तो पता चलेगा कि ८ आउंस भी वहां के लोग अपने बल पर पैदा नहीं करते हैं। पाटिल साहब ने इधर उधर से अनाज मंगा कर लोगों के खाने का इंतिजाम नहीं किया होता तो नायर साहब को मैं समझता हूं पूरा खाद्य पदार्थ नहीं मिलता और न ही उनकी स्टट को मिल पाता। एसी हालत में उन्हें पाटिल साहब को बधाई देनी चाहिये कि बंगल करने के बजाय उन्होंने इतना अच्छा इंतिजाम कर दिया है।

आज देश में खाने की चीजों का अभाव नहीं है। अगर कोई आज चिन्ता की बात है तो वह दामों के बारे में है। किसान की ओर से कहा जाता है कि दाम एट्रक्टिव होने चाहियें, इकोनोमिक होने चाहियें। इस बात को मैं मानता हूं। दामों में घटा बढ़ी होती रही है। १९५०–५१ के ज़माने में दाम बहुत बढ़ गये थे। फिर १९५३–५४ के जमाने में वे बहुत घट गए। १९५५ में वे फिर बढ़े और आज वे करीब ४०–४१ प्वाइंट हायर हैं। अभी दाम स्टडी हो गए हैं ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि कोई न कोई एसी व्यवस्था की जाए जैसा कि आज क्वश्चन आवर में माननीय मंत्री जी की ओर से कहा जा रहा था कि एक एडवाइजरी कमेटी बनाने की बात सोची जा रही है, जिससे कि किसान समझें कि उनको एट्रक्टिव दाम देने के लिए सरकार सिंसीयर है। एसी कमेटी बननी चाहिये, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये। एक उदाहरण भी है। अभी गन्ने के बारे में माननीय सदस्य श्री शि० ला० सक्सेना जी ने काफी आंकड़े दिये हैं और बताया है कि गन्ने और काटन का मूल्य जो मिनिमम है, वह निर्धारित किया हुआ है। यह दो कृषि पदार्थ हैं जिनका मिनिमम मूल्य निर्धारित है। चूंकि वह निर्धारित है इसलिये किसानों की भी उनके प्राडक्शन पर कंसेंट्रट करने की तबियत होती है और वे कन्सेंट्रट करते हैं। उनका उत्पादन उन्होंने बढ़ाया है। जब भी उनको मौका मिला है उन्होंने जी जान से उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न किया है और उत्पादन बढ़ाया है। आज यदि १९ लाख एकड़ में खेती की बात आती है तो किसानों को दोष दिया जाता है और कहा जाता है कि उसने क्यों इतना अधिक गन्ना बो दिया कि जिसकी खपत नहीं हो सकती है। खपत हो सकती है या नहीं हो सकती है,

मिलें खरीद सकती हैं या नहीं खरीद सकती हैं, यह भी सोचने की बात है। अभी माननीय शि० ला० सक्सेना ने आपके सामने कुछ आंकड़े रखे हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। आज अप्रैल के महीने में आप जा कर बिहार में या उत्तर प्रदेश में किसी भी गन्ने फैक्टरी के गेट को देखें, वहां पर सैंकड़ों गाड़ियां खड़ी हुई आपको मिलेंगी। जहां कहीं भी कांटे हैं, स्टेशन पर हैं, वहां पर भी आपको पचासों गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई पड़ेंगी। इस वक्त रबी को काटने का सीजन है, हार्वेस्टिंग सीजन है, इस काम को वे लोग करें या अपने बैलों को और अपनी गाड़ी को लाद कर लायें और वहां पर अपना वक्त जाया करें। यह सब नैशनल वेस्ट है, किसानों की एनर्जी को बरबाद करना है, उनके बैलों की एनर्जी को बरबाद करना है। कई दिनों तक मिल मालिकों की प्रेरणा के चलते उन सभों को खड़ा रहना पड़ता है। प्रेरणा—मैं इसलिये कहता हूं कि मिनिमम मूल्य निर्धारित किया गया है प्राइस लिंकिंग फार्मूला के अन्तर्गत और कहा गया है कि अगर लगातार टार्गेट से ज्यादा चीनी उत्पादित होती है, दो तीन बरस में जितनी चीनी पैदा होती थी, उससे ज्यादा पैदा होती है, तो जो भी अधिक मूल्य होगा, उसमें किसान का भी हिस्सा होगा, तो क्यों उसका गन्ना खरीदा नहीं जाता है। यह जो चीज़ रखी गई है, सही है। एक्साइज़ ड्यूटी और दूसरी ड्यूटीज़ जो हैं, वे सब हैं और वे वसूल होती रहेंगी। अक्तूबर, १९५९ में जब गन्ने का दाम बढ़ाया गया तो उस वक्त चीनी का भी करीब १ रुपया ८५ नये पैसे मन बढ़ाया गया था। इसका दाम भी उसी अनुपात से बढ़ाया गया और बहुत सोच समझ कर बढ़ाया गया।

अब हमें क्रशिंग कैपेसिटी को देखना है। क्या वह बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। १५ लाख टन क्रशिंग कैपेसिटी १९५५ में उनकी थी। आज कायदे के अनुसार २५ लाख टन है। लेकिन एक्चुअली देखा जाय तो ४० लाख टन की है। ४० लाख टन चीनी हिन्दुस्तान की मिलें पैदा कर सकती हैं। लेकिन आज अगर २९ लाख भी है तो एक ऐसी मोनोपली बना दी गई है चीनी के मालिकों की ओर से कि उसका प्रभाव देश की अर्थ-व्यवस्था पर पड़ रहा है। अगर आप सर्वे करायें या फोटो लें या एरियल फोटो हिन्दुस्तान की सभी गन्ना मिलों की लें, उन स्टेशनों का जहां बैलगाड़ियां खड़ी होती हैं, लें तो यह एक तरसाने वाला दृश्य उपस्थित करेगा। इतनी राष्ट्रीय शक्ति का अपव्यय हो रहा है इन लोगों की मोनोपली के प्रभाव के कारण। गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि क्यों हम एक किसान की, एक बैलगाड़ी हांकने वाले की, बैलों की, शक्ति को बरबाद होने दे रहे हैं। पानी वहां नहीं है, खाना नहीं है और आज अप्रैल के महीने में धूप में वे पड़े रहते हैं। उनकी तरफ भी किसी का ध्यान जाना चाहिये। दस आदमी मिल कर फैसला करें कि हमारे पास खरीदने की कैपेसिटी नहीं है, यह कहां तक उचित है। कैपेसिटी कहां गई है? जब लाइसेंस दिये जा रहे थे तो उन मिलों की एक्सपेंशन की कैपेसिटी थी, आज वह कहां चली गई है और अगर नहीं थी तो क्यों उस वक्त इस चीज़ पर विचार नहीं किया गया और क्या चीजें थी जिस पर विचार किया गया था। आप एक दाम गन्ने का निश्चित कर चुके हैं और वह १ रुपया ६२ नये पैसे मन है। अब मान लीजिये कि जैसा लोग कहते हैं कि चार लाख टन उत्पादन बढ़ गया है। लास्ट यीअर कुछ कम था। लेकिन १९५८ के साल की अपेक्षा अत्यधिक वृद्धि नहीं हुई है। मैं मानता हूं कि किसान के खेतों की एकरेज में थोड़ी वृद्धि हुई है और यह स्वाभाविक भी था। लेकिन फिर भी जो स्थिति पैदा हो गई है, उसमें मैं समझता हूं कि एक एक गन्न को खरीदा जाय और उसे क्रश किया जाय और यह काम समय रहते होना चाहिये। मई जून तक उनको अगर आप खड़े रहने दें, तो उससे उनकी खेती की भी बरबादी होगी, किसान की शक्ति भी बरबाद होगी, और जो हारवेस्टिंग में गड़बड़ी पैदा हो रही है, वह अलग से होगी। यह सब एक राष्ट्रीय अपव्यय है और इसको रोका जाना चाहिये।

[डा० राम सुभाग सिंह]

अब जो उत्पादन का प्रोग्राम है, उसकी तरफ मैं आता हूं। जब से देश स्वतंत्र हुआ है, फूड में सैल्फ-सफिशेंसी के प्रोग्राम बनते रहे हैं। जब से प्लान शुरू हुए हैं तब से इस पर और भी ज्यादा निगाह डाली जाने लगी है, और कम्युनिटी डिवेलेपमेंट के जरिये इसको अचीव करने की कोशिश की गई है। यह कम्युनिटी डिवेलेपमेंट की जो मशीनरी बनी वह १९५२ में बनी। यह मशीनरी उतनी कारगर नहीं निकली है। इस ने किसानों को सैल्फ-सफिशेंसी के मार्ग पर ले चलने की कोशिश की है लेकिन इस काम में इसको तनिक भी सफलता नहीं मिली है। आज किसान आपके इस कथन को सार्थक नहीं समझते हैं कि इस मशीनरी के चलते आप देश को सैल्फ-सफिशेंट बना सकने लायक हो सकते हैं। आज हम ७५ मिलियन टन पैदा कर रहे हैं। १९६५–६६ का हमारा जो लक्ष्य है वह १०० मिलियन टन करने का है यानी फूडग्रेंज में ३३.४० परसेंट बढ़ोतरी करने का है। आयल-सीड्स में करीब २८.३२ परसेंट, शुगर केन में २५.२८ परसेंट, काटन में ३३ परसेंट और जूट में १८ परसेंट बढ़ोतरी करने का हमारा लक्ष्य है। तो यह हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को प्राप्त करना हमारा ध्येय है क्योंकि देश को आगे बढ़ाना है ताकि देश की शक्ति इन सारे कामों में लगे। इसलिये इरींगेशन, मैन्योर, फरटीलाइजर और सीड फार्म आवश्यक हैं। और प्लांट प्रोटेक्शन भी इसके लिये आवश्यक है। इनमें से मैं पहले सीड फार्म्स के बारे में कहना चाहता हूं। ४३०० सीड फार्म खोलने का लक्ष्य था उन में से करीब ४००० खुले भी हैं और उनमें से ९० परसेंट उत्पादन में लगे हुए हैं। यह एक अच्छी चीज है। जितना भी अच्छा सीड सप्लाई किया जा सके वह बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं कि देश में २५–२५ एकड़ के सीड फार्म खोल कर खिलवाड़ की जाये। आपको देखना चाहिये कि इतना छोटा सीड फार्म खोलने में उसका कास्ट आफ कल्टीवेशन क्या पड़ेगा। दो छोटे किसान मिल कर इतने बड़े फार्म को चला सकते हैं। लेकिन आप देखें कि इन फार्मों में से हर एक पर कितने सरकारी अफसर लगे हैं।

आज चीनी के छोटे प्रोड्यूसर कहते हैं कि हम गन्ने का जितना मूल्य निर्धारित किया गया है वह देने में समर्थ नहीं हैं क्योंकि गन्ना बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं इसका बिल्कुल विरोधी हूं कि गन्ने का मूल्य किसी भी तरह कम किया जाये।

सूरतगढ़ फार्म मिकेनाइज्ड फार्म है और वहां पैदावार बढ़ी है। भले ही बाढ़ के चलते या अन्य त्रुटियों के चलते उसका पूरा लक्ष्य प्राप्त न हुआ हो लेकिन वह फार्म अच्छी तरह चलाया जा रहा है। मेरा विचार है कि कृषि में तब तक तरक्की नहीं हो सकती जब तक कि हम सुधरे हुए तरीके न अपनायें। उसके लिये जहां मैंने बैलों की वकालत की है, वहां मैं मिकेनाइज्ड यंत्रों की भी हिमायत करता हूं। हमको चाहिये कि हम अपनी खेती को ज्यादा से ज्यादा मिकेनाइज्ड करने की कोशिश करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आज १९६१ में हमारा खेती में इतना श्रम लगेगा कि जितना लगना नहीं चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि आप बड़े बड़े सीड फार्म बनायें जिनसे गेहूं, चने, वगैरह का अच्छे से अच्छा सीड दिया जा सके। लेकिन अगर आप २५–२५ एकड़ के फार्म रखेंगे तो इनमें कास्ट आफ कल्टीवेशन जरूरत से ज्यादा होगी, निगरानी अच्छी नहीं होगी और न अच्छा सीड ही तैयार हो सकेगा। आप किसी भी स्टेट में चाहे जितने १–२–५–१० भी सीड फार्म खोलें लेकिन २५–२५ एकड़ के फार्म से कोई लाभ नहीं हो सकता।

मैन्योर के लिए मैं मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि वह हर राज्य में फरटीलाइजर फैक्टरीज खोलना चाहता है लेकिन मैं चाहता हूं कि फरटीलाइजर का दाम कम किया जाए।

तीसरी योजना की समाप्ति तक हमारी ३० परसेंट खेती सिंचाई में आ सकेगी। ऐसी हालत में यह जरूरी है कि आप माइनर और मीडियम इर्रीगेशन की स्कीम्ज पर ज्यादा ध्यान दें। मैं चाहता हूं कि हम इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें ताकि तीसरी योजना के अन्त तक हमारी खेती का ५० प्रतिशत सिंचाई में आ जाए।

इसके अलावा आपका इंटेंसिव एग्रीकल्चुरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चल रहा है। हम लोगों के सामने खेती के नमूने रखे जाते हैं। यह अच्छा है। लेकिन जब आज हमारा लक्ष्य है कि हम तीसरी योजना के अन्त तक अन्न का उत्पादन ३३ परसेंट बढ़ाएं तो आवश्यक है कि इंटेंसिव एग्रीकल्चुरल डिस्ट्रिक्ट फार्म्स का उत्पादन ३३ परसेंट का दुगुना और तिगुना बढ़ना चाहिए नहीं तो जो दो करोड़ रुपया हम इनके लिए दे रहे हैं उसका कोई जस्टीफिकेशन नहीं रहेगा।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन्स के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। इसका एक रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। एक मिनिस्टरों का झुंड बाहर गया था, रूस में। हमारे सेंटर के मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टरों में ५० परसेंट बाहर जाएं यह मैं वाजिब नहीं समझता। एक दो मिनिस्टर जा सकते हैं। यह ठीक है कि वहां जाकर उन्हें कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। परन्तु मेरा निवेदन है कि पहले वे भारतीय कृषि का ज्ञान प्राप्त करें और तब बाहर सीखने के लिए जायें।

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं और कोई बात कहने से पहले, श्री वी० पी० नायर के पशु हत्या के ख्यालात के बारे में एक निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि डा० राम सुभग सिंह जी ने भी किया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर उनकी पार्टी ईमानदारी से वही चाहती है जो कि वह कहते हैं तो उसे चाहिए कि वह संविधान में तबदीली कराने के लिए एक विधेयक लाए। मैं तो ऐसा मानता हूं कि उनकी पार्टी का यह विचार है कि किसी चीज को दुरुस्त नहीं किया जा सकता, उसको तो खत्म ही करना चाहिए। लेकिन हम तो इसके विरुद्ध ख्याल के हैं। हमने तो ऐसे दोस्तों को भी इस देश में स्थान दिया जो देश के दो हिस्से करना चाहते थे और आज भी कुछ लोग देश के अन्दर ऐसा ख्याल रखते हैं कि चीन ने हमारे देश की भूमि को नहीं छीना है। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि उनके ख्यालात बदल जायेंगे। तो हम तो विश्वास करते हैं कि जिस तरह आदमी बदल सकता है इसी तरह से पशु में भी सुधार हो सकता है। लेकिन अगर उनका ईमानदारी से विश्वास है कि इन पशुओं को खत्म करना चाहिए तो वह इसके लिए संविधान को बदलने के लिए कोई विधेयक ला सकते हैं, और देश उसके ऊपर गौर करेगा और जो ठीक फसला होगा उसको लेगा। मैं यह मानता हूं कि केरल में पशुपालन में सुधार करने के लिए कुछ सहायता केन्द्रीय सरकार दे सकती है और कुछ सहायता राज्य सरकार भी दे सकती है, लेकिन इस काम की सारी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं डाली जा सकती। असल में तो वहां के पशुओं को सुधारने की जिम्मेदारी केरल के भाइयों की है। लेकिन अपनी उस जिम्मेवारी को पूरा न निबाह कर वे सरकार को बुरा भला कहें और गोहत्या के लिए आवाज उठाएं तो इसको मैं सही नहीं मान सकता।

चाहे विरोधी दल वाले कुछ भी क्यों न कहें लेकिन अगर देखा जाए तो मालूम होगा कि देश में हर चीज का उत्पादन बढ़ा है। आप चावल को लीजिए। सन् १९४७–४८ में चावल का उत्पादन २१.२ मिलियन टन था जो कि सन १९५९–६० में बढ़ कर २९.३ मिलियन टन हो गया। आप गेहूं को लें। उसका उत्पादन सन १९४७–४८ में ५.६ मिलियन टन था, जो कि सन् १९५९–६० में

[चौ० रणवीर सिंह]

९.७ मिलियन टन हो गया। इसी तरह से आप चाहे गन्ने की पैदावार लीजिए या किसी और चीज की पैदावार लीजिए उसमें तरक्की हुई है। देश के अन्दर तरक्की हो रही है और देश आगे बढ़ रहा है। और अगर कोई भाई इस चीज़ को नहीं मानते हैं तो वह केवल नुक्ताचीनी करने की गरज से ऐसा करते हैं। एकतरफ तो वह चाहते हैं कि केरल में सस्ता अनाज चाहिए और दूसरी तरफ वह चाहते हैं कि इस देश के अन्दर रुपए का फैलाव न हो, वह यह भी नहीं चाहते कि दूसरे देशों से रुपया लाया जाए। पता नहीं फिर वह किस ढंग से देश की तरक्की करने की बात सोचते हैं, या उनकी देश की तरक्की कोई नेक ख्वाहिश भी है या नहीं यह वही भाई जान सकते हैं।

लेकिन जहां तक इस देश के अन्दर कृषि की पैदावार का ताल्लुक है, जैसा मैंने पहले भी कहा था, इसके लिए यह जरूरी है कि फूड और और एग्रीकल्चर का मंत्रालय एक न रखा जाए। मैं मानता हूं कि दोनों मंत्रालयों के मफायद एक दूसरे से मुतजाद हैं। जो मंत्री खुराक के मंत्रालय को चलाएगा वह हमेशा यह चाहेगा कि सस्ती खुराक इस देश के अन्दर मिले और वह लाने की कोशिश करेगा चाहे कहीं से लानी पड़े। और नतीजा यही हुआ। चूंकि हमारे जो मंत्री महोदय हैं उनके डैजिगनेशन में भी फूड एंड एग्रीकल्चर आता है। पहले फूड आता है और बाद में एग्रीकल्चर आता है। और उसी नुक्तेनिगाह से वह इस पर सोचते हैं। बात भी सही है कि किसी भी देशवासी को भूखों नहीं मारा जा सकता। अब इस देश के अन्दर उसका नतीजा क्या बना? सन् १९४६ से लेकर सन् १९६० तक १७९१.९६ करोड़ रुपये का अनाज बाहर से आया। आज जितना कर्ज हिन्दुस्तान के जिम्मे विदेशों का है उतने रुपए अनाज मंगाने में खर्च हुए हैं। अगर देश में अनाज की पैदावार बढ़ जाती तो कोई विदेशी कर्ज न होता। बाहर से अनाज मंगाने के लिए इतना खर्च और कोई देश नहीं करता। जितना इस देश के अन्दर बाहर से अनाज आ चुका है उतना और कोई देश नहीं मंगाता है। यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यहां अजीब हालत है। हिन्दुस्तान के अन्दर सस्ता अनाज बेचने के लिए या जो भाई अनाज के उपभोक्ता हैं जो खुद पैदा नहीं करते हैं उनको सस्ता अनाज देने के लिए २७७.९२ करोड़ की सबसिडी या बोनस वगैरह की शक्ल में दिया गया। इसके अलावा फूड प्रोक्योरमेंट या बोनस वगैरह की शक्ल में दूसरी स्टेट्स को २१.०२ करोड़ रुपये दिये गये अर्थात् दूसरे मानों में २९८.९४ करोड़ रुपये इस देश के अन्दर सस्ता अनाज बेचने के लिए दिये गये। यही नहीं अगर हाल के भी आंकड़े लिए जायें और फूड के बारे में एस्टिमेट्स कमेटी की रिपोर्ट को देखा जाय तो उसमें लिखा है कि सन् १९५६-५७ में जो घाटा पड़ा अनाज का और स्टेट ट्रेडिंग में अनाज मंगाये जाने से जो खसारा हुआ सस्ता अनाज बेचने के सिलसिले में वह १८.४८ करोड़ रुपये का था। सन् १९५७-५८ में यह २३.०४ करोड़ था और सन् १९५८-५९ के अन्दर १०.२२ करोड़ था। सन् ५९-६० के अन्दर ८.८२ करोड़ था। एक तरफ तो यह हालत है दूसरी तरफ आपको मालूम है कि चीनी बहुत मीठी चीज है और उसके लिए यहां बहुत शोर हुआ और उसको हासिल करने के लिए कितनी जगहों पर लड़ाई झगड़े होने का भी खदसा हुआ और आज से कोई डेढ़ साल पहले इस देश के अन्दर इतनी चीनी पैदा नहीं होती थी जितनी कि देश को जरूरत थी। आपको याद होगा कि करीब दो साल पहले इस देश के अन्दर चीनी के लिए इस सदन के अन्दर एक वावैला हुआ था। हमारे माननीय मित्र श्री अजित प्रसाद जैन उस वक्त मंत्री थे। वे इस देश के बहुत अच्छे और लायक इंसान हैं और हमारे दोस्त थे, उनको इस्तीफा देना पड़ गया था। अब हर कोई मीठी चीज़ को खाना चाहते हैं और वह जितनी जरूरत थी उसको दे नहीं सके। एक तरफ तो यह हालत है लेकिन दूसरी तरफ इस पिछले डेढ़ साल के अंदर हालत

इतनी बदली कि पाटिल साहब ने ऐलान किया कि मैं रिआयत बख्श रहा हूं। लेकिन फालतू जितनी पैदावार हुई उस सारी का हिसाब लगाया जाय तो सिर्फ ५ करोड़ रुपये का फालतू पैदावार पर उत्पादन कर में खसारा हुआ और एक तरह से हम उसको खसारा भी नहीं मानते। उस नीति के बदलने की ही वजह से वह चीनी ज्यादा पैदा हुई और आमदनी ज्यादा बढ़ी। यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, एक वक्त था कि एक्साइज ड्यूटी जो खांड से हासलि होती थी वह कुल ५ करोड़ रुपये थी जब कि पिछले साल वह एक्साइज ड्यूटी ४६ करोड़ रुपये तक पहुंच गयी है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि कहां ५ करोड़ और कहां ४६ करोड़ ?

अब यहां इसका शोर किया जाता है कि साहब अनाज की पैदावार कम हो रही है और ज्यादा भूमि गन्ने के नीचे जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं क्योंकि आप भी एक किसान हैं और आपको मालूम है कि हर जमीन पर गन्ना पैदा नहीं किया जा सकता है। यह नहीं आज पंजाब के अन्दर वाटरलौगिंग है। पंजाब की जमीन पानी की ज्यादती की वजह से खराब हो रही है। उस जमीन के अन्दर कोई फसल पैदा हो सकती है तो वह गन्ना ही है। इसी तरह से यू० पी० और बिहार के तराई के इलाके हैं जहां वक्त के ऊपर बारिश नहीं होती है और जब होती है तो वह ज्यादा होती है और उन हालात में अगर कोई फसल पैदा हो सकती है तो वह गन्ना ही है। वह ऊख ही है। अब टी और कौफी यह तो बड़े बड़े साहूकार पैदा करते हैं और बगीचों को छोड़ दिया जाय तो अलावा गन्ने के कोई ऐसी फसल नहीं है जो कि फी एकड़ के अन्दर किसान की पैदावार बढ़ा सके।

यह मोटी सी किताब ऐग्रीकलचर लेबर के सिलसिले में निकली है और उसके जो डाइरेक्टर हैं उन्होंने इसकी प्रीफेस के अन्दर एक नोट लिखा है जिसमें वह कहते हैं कि इस देश के अन्दर जो खेती के ऊपर निर्भर करते हैं वह रूरल पापुलेशन का ६६ परसेंट है। इन में से २० फीसदी लोग खेतिहर मजदूर हैं और खेतिहर मजदूरों में से करीब ६० फीसदी लोगों के पास थोड़ी बहुत जमीन जरूर है। एक तरह से कुछ भूमिहीन हैं और कुछ भूमि वाले हैं। वह लिखते हैं कि उनके सुधार का एक ही तरीका है कि जो भाई हल के पीछे चलते हैं, खेती करते हैं उनकी पैदावार को बढ़ायें। गन्ना पैदा करना इस सिलसिले में आगे ले जाने वाला कदम है। अब मान लीजिये कि गन्ने की पैदावार ज्यादा बढ़ गयी वैसे तो मैं जानता हूं और मुझे वह जमाना याद है जब सन् ४६-५० के अन्दर एक आवाज उठी थी और हमारे डाक्टर देशमुख साहब भी उस वक्त मेम्बर थे और वह आवाज यह थी कि चीनी हमारे पास बहुत पड़ी है लेकिन ज्योंही कोई दूसरा हुक्म निकला वह चीनी पता नहीं कहां चली गई। देश के अन्दर चीनी की भूख का सवाल पैदा हो गया और चीनी बहुत मंहगी बिकी। उसी तरीके से एक दफा फिर हमारे इतिहास के अन्दर यह सवाल आया और कहा गया कि कारखानेदारों के पास चीनी बहुत ज्यादा जमा हो गई है और हमने कानून बनाया कि चीनी को बाहर भेजने के लिए ऐक्साइज ड्यूटी माफ की जाय। उसके बाद एक तोला चीनी बाहर नहीं भेजी गई लेकिन पता नहीं कानून पास होते ही वह चीनी कहां गई और इस देश के अन्दर चीनी का कहत आ गया। आज फिर एक सवाल उठा है। लोग कहते हैं कि चीनी की बहुत ज्यादा हो गई है। २६ लाख टन चीनी इस साल पैदा होगी जिसमें से ८-९ लाख टन चीनी शायद बचेगी। अब क्या चीनी बचेगी ? बैंक कहते हैं कि हमारे पास रुपया नहीं है। अब उपाध्यक्ष महोदय, अजीब हालत है। एक तरफ वह मजदूर हैं जो कि चीनी मिलों में काम करते हैं और उनको इस बात की इजाजत है कि अगर वे चाहें तो अपनी मजदूरी चीनी की शक्ल में ले लें लेकिन वह आदमी जो कि रात दिन एक करके साल भर मेहनत करके गन्ना पैदा करता है और बुरी से बुरी सर्दी और गर्मी के अन्दर काम करता है वह गन्ने की कीमत चीनी की शक्ल में नहीं ले सकता है। मैं इसकी कोई वजह नहीं देखता कि एक गांव का मजदूर जो कि चीनी मिल में काम करता है उसमें और उस वर्कर में जो कि खेत में गन्ना पैदा करता है, कोई इस तरह का फर्क रहे ? अब अगर गन्ने के

[चौ० रणबीर सिंह]

काश्तकारों को गन्ने के बदले में रुपया नहीं दे सकते चूंकि बैंक रुपया नहीं देते तो मेहरबानी करके उनको चीनी दे दीजिये। ऐसा करने से आपकी परेशानी भी घटेगी और आपको कोई गुदामों की भी जरूरत नहीं रहेगी। आपको बैंकों के पास भिखारी बनने की जरूरत भी नहीं रहेगी। मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात का ऐलान करे कि जो काश्तकार गन्ने की कीमत के बदले में चीनी चाहे उनको चीनी देने की इजाजत होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं यह कह देना चाहता हूं, मुझे याद है और इस रिपोर्ट में भी लिखा है कि रिजर्व बैंक और सरकार की नीति यह रहती है कि अनाज सस्ता बिके और इस खातिर वह रुपया बाजार से खींच लेते हैं। अगर आज चीनी ज्यादा हुई है जैसा कि वह कहते हैं वैसे मैं तो मानता हूं कि चीनी इतनी मीठी चीज है कि अगर कोई एक छटांक रोजाना खाता है तो वह आसानी से दो छटांक खा सकता है। इसलिए चीनी की अधिक पैदावार का जो बुखार है वह सही नहीं है। लेकिन खैर वह कहते हैं कि चीनी ज्यादा पैदा हो गई तो टैरिफ कमीशन और सरकार जिसने यह ऐलान किया और यह आश्वासन दिया कि १ रुपये १० आने फी मन गन्ने की कीमत दी जायगी तो हिन्दुस्तान के वह प्रदेश जहां कि गन्ने की कीमत मुकर्रर है जैसे यू० पी०, बिहार और पंजाब में तो यह १ रुपये १० आने की उस कीमत को बरकरार रखने के लिए रिजर्व बैंक को रुपये का प्रसार करना चाहिए। रिजर्व बैंक को उनकी मदद करनी चाहिए।

जहां तक इस देश में खेती की तरक्की का ताल्लुक है, आप को मालूम ही है कि उस के लिये एक महकमा चला है, जिस को कम्यूनिटी डेवेलपमेंट कहते हैं। जो लोग उस में काम करते हैं, उन को ६०, ७० करोड़ रुपया तन्ख्वाहों, जीप्स और पैट्रोल वगैरह की शक्ल में दिया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले डेढ़ साल में चीनी की पैदावार जो कहां से कहां बढ़ गई, उस के लिये जीप्स वग़ैरह पर कितना रुपया खर्च हुआ, ताकि किसान गन्ना ज्यादा पैदा करें। सिर्फ़ गन्ने की कीमत १ रुपये ७ आने मन से १ रुपये १० आने कर दी गई। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि सरकार जितनी जल्दी इस बात को मान ले, उतना ही अच्छा होगा कि देश का किसान भोला नहीं है, वह जानता है---और शायद सरकार के महकमे के अफ़सरों से ज्यादा अच्छी तरह जानता है---कि सरकार पच्चीस एकड़ भूमि पर जो सीड मल्टीप्लिकेशन फ़ार्म खोलना चाहती है, उस का नतीजा सिवाय इस के कुछ नहीं होगा कि सरकार को हमेशा हमेशा चार पांच हजार फी साल का घाटा रहेगा। अगर सरकार कोई मकैनाइज्ड फ़ार्म खोलना चाहती है, तो वह कम से कम १०० एकड़ का फ़ार्म होना चाहिए। मुझे इस में कोई ऐतराज नहीं है कि एक ज़िले में एक फ़ार्म खोला जाय, लेकिन वह फ़ार्म गवर्नमेंट के लिये इकानोमिकल होना चाहिए। अगर सरकार बीज के फ़ार्म खोले, जिस में उस को घाटा हो, और फिर वह किसानों को कहे कि अगर वे उस फ़ार्म के बीज इस्तेमाल करेंगे, तो पैदावार बढ़ेगी, तो उन को इस बात पर कैसे ऐतबार होगा? वे कहेंगे कि कैसे पैदावार बढ़ेगी। वे जानते हैं कि सरकार पैसा बहिसाब लगाती है। खेती की तरक्की के लिये रुपया चाहिए और उस रुपये के सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, ...

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रुपया नहीं दे सकता हूं।

चौ० रणबीर सिंह : . . . मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेहता कमेटी की रिपोर्ट निकली है। उस रिपोर्ट की ३४ नवम्बर की सिफ़ारिश यह है कि इस देश में रुपया देने का जो सिलसिला है, उस को सुधारा जाय और स्टेट को-आपरेटिव बैंक्स की जो मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट

उनके अपने सरमाया का बीस गुना मुकर्रर की होनी चाहिए, उस को बढ़ाया जाये । इसी तरह को-आपरेशन मिनिस्टर्ज़ का जयपुर में जो सैमिनार हुआ, उस की भी सिफ़ारिशें हैं । एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि इस देश में रिज़र्व बैंक ने एक फंड निकाला है, जिस को नेशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट लांग-टर्म आपरेशन फंड कहते हैं । उस के लिये रिज़र्व बैंक ने जो रुपया निकाला, वह ४० करोड़ रुपया था, लेकिन अभी तक उस में से २६·१६ करोड़ रुपया इस्तेमाल हुआ है । मैं यह कहना चाहता हूं कि रिज़र्व बैंक के पास सरकार का सैंकड़ों करोड़ों रुपया पड़ा है । वहां रखने के लिये तो यह फंड नहीं निकाला गया था । अगर सरकार चाहती है कि यहां के काश्तकार तरक्की करें और ज्यादा अनाज पैदा करें, तो मैं चाहता हूं कि रिज़र्व बैंक अपनी नीति को बदले और को-आपरेटिव बैंक्स की मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट बढ़ाई जाये । इसी तरह फ़ार्मर्ज़ को-आपरेटिव बैंक को मान्यता दी जाये । मेरी समझ में नहीं आता कि रिज़र्व बैंक उस के रास्ते में क्यों खड़ा रहना चाहता है । वह सस्ते सूद पर किसानों को रुपया दे सकता है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** (नासिक) : खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के १९६०–६१ के प्रतिवेदन के पृष्ठ ३ पर यह कहा गया है कि इस वर्ष खाद्यान्नों का उत्पादन अच्छा होने की आशा है । हमें हमेशा इसी प्रकार के वक्तव्य दिये जाते हैं कि उत्पादन बढ़ रहा है और हम आत्म-निर्भर होने जा रहे हैं । परन्तु वास्तव में ऐसी कोई प्रगति नहीं हो रही है । यदि हम आयात के आंकड़े देखें तो ज्ञात होगा कि १९५८ में ३,१७३,००० टन खाद्यान्न का आयात हुआ, १९५९ में ३,८०७,००० टन का और १९६० में ५,०५६,००० टन का । इन आंकड़ों से सिद्ध होता है कि हमारा आयात प्रति वर्ष बढ़ रहा है । क्या यही आत्म-निर्भरता है ? यदि खाद्यान्न का उत्पादन अच्छा है तो आयात करने की क्या आवश्यकता है ?

मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री यही उत्तर देंगे कि हम स्टाक बनाना चाहते हैं । मैं नहीं समझता चूंकि जब हमारा उत्पादन बढ़ रहा है तो स्टाक बनाने की क्या आवश्यकता है ? मेरे विचार से यह झूठी आशा दिखाना मात्र है । सरकार यह कहती अवश्य है कि अगले वर्ष हम आत्म-निर्भर हो जायेंगे परन्तु वह समय संभवतः कभी नहीं आयेगा । प्रतिवेदन के पृष्ठ २ पर खाद्यान्न उत्पादन के पिछले ५ वर्षों के आंकड़े दिये गये हैं जो निम्न प्रकार हैं :

१९५५–५६	६५८ लाख टन
१९५६–५७ . . .	६०८ लाख टन
१९५७–५८	६२५ लाख टन
१९५८–५९	७५५ लाख टन
१९५९–६०	७११ लाख टन

औसतन भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन ६८९ लाख टन होता है जो देश की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है और इसीलिए खाद्यानों का प्रतिवर्ष आयात किया जाता है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि देश का उत्पादन बढ़ाने के लिए बेकार पड़ी हुई भूमि में खेती कराई जाय । पिछले वर्ष माननीय श्री पाटिल ने बताया था कि १० करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि भारत में बेकार पड़ी है । इस भूमि का उपयोग किया जा सकता है । मैं नहीं जानता कि सरकार किन कारणों से इस बेकार भूमि में खेती करने के लिए इसको किसानों को नहीं दे देती है ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भा० कृ० गायकवाड़]

आज हमारे देश के सामने दो समस्यायें हैं । एक है खाद्यान्नों की तथा दूसरी है बेरोजगारी की । मैं समझता हूं कि हमारे देश में इस समय ७ से ८ करोड़ खेतीहर मजदूर बेकार हैं । जब फसल नहीं होती है उस समय यह घास या लकड़ी काट कर शहरों में बेचा करते हैं । और इस प्रकार इनको दो दिनों में केवल १ रुपये से १-८ रुपये तक की मजूरी होती है । कभी कभी इनकी लकड़ी आदि नहीं बिक पाती है और यह लोग भूखे ही सो जाते हैं । इसलिए मेरा सुझाव है कि यदि यह बेकार पड़ी भूमि इन बेकार खेतिहर मजदूरों को दे दी जाय तो इन बेचारों को रोजगार मिल जायेगा तथा खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ जायेगा ।

प्रतिवेदन में बताया गया है कि समस्त देश में ५१,००० उचित मूल्य की दूकानें खोली गई हैं । मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश में अधिकांशतः गांव हैं और उन में उचित मूल्य की एक भी दूकान नहीं खोली गई है । यह कहा जा सकता है कि गांवों में तो खाद्यान्नों का उत्पादन ही किया जाता है इसलिए वहां पर इन दूकानों को खोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है । मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि गांवों में खाद्यान्न जमींदारों के पास होते हैं । जमींदार अपने खाद्यान्नों के मुंह मांगे दाम मांगते हैं । इसलिए मेरा अनुरोध है कि भूमिहीन खतीहर मज़दूरों को इन जमींदारों के शोषण से बचाने के लिए यह उचित है कि गांवों में भी उचित मूल्य की दूकानें खोली जायें ।

बेचारे किसानों को बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । उदाहरण के लिए मैं बताता हूं कि जब कोई किसान बैल खरीदने के लिए, कूंवा बनाने के लिए सरकार से तकावी ऋण मांगता है तो या तो उसको ऋण देने से सरकार इन्कार कर देती है अथवा यदि ऋण दिया जाता है तो ऋण का आधा धन अफसरों की जेबों में चला जाता है । अभी एक मामला हुआ जिसमें एक किसान को २०० रुपया ऋण दिया गया । परन्तु उसको मिला केवल १०५ रुपये । इस पर उसने मामलतदार से शिकायत कर दी और तब उसको पूरा धन मिला ।

इस ऋण की किस्त न देने पर किसान से अधिक सूद लिया जाता है । मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए । हमारे देश के टाटा, बिड़ला आदि को करोड़ों रुपया बिना सूद के उद्योग आरम्भ करने के लिए दिया जाता है तो इन गरीब किसानों को क्यों नहीं दिया जाता । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए । सरकार ट्रैक्टर बड़े बड़े जमींदारों को देती है । मेरा सुझाव है कि छोटे छोटे किसानों को रियायती दरों पर ट्रैक्टर आदि दिये जाने चाहिए ।

सरकार को यह प्रयत्न करना चाहिए जिससे किसान अपने खाद्यान्नों को इकट्ठा कर सकें अर्थात् तहसीलों आदि में भांडागार बनाये जाने चाहिए जिससे खाद्यान्नों के मूल्य उचित होने पर किसान अपने खाद्यान्नों को बेच सकें । आज व्यापारी धन का फायदा उठा कर इस अनाज को किसानों से खरीद लेते हैं और बाद में मनमाने मूल्यों पर बेच देते हैं ।

भूमि सुधारों की आड़ में अनुसूचित जातियों की मुर्दे जलाने की जगहों पर भी कब्ज़ा किया गया है । मेरी सरकार से प्रार्थना है कि ऐसी जगहों को इस बहाने से नहीं लिया जाना चाहिए ।

श्री विभूति मिश्र : उपाध्यक्ष जी, जो पहले १५ मिनट बोल लिये वे फायदे में रहे और हम घाटे में रहे ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ही ने कहा कि हम ऐसा करेंगे नहीं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं आप किसी एक आदमी को आधा घंटा दे दें ।

श्री विभूति मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि और खाद्य मंत्रालय के अनुदानों का स्वागत करता हूं और उस का जोरदार समर्थन करता हूं। यह खुशी की बात है कि इस साल हमारा गल्ला अच्छा हुआ है और काफी भी हुआ है। यद्यपि जूट की पैदावार कुछ कम हुई है लेकिन दाम के लिहाज से हम को अच्छा पैसा मिल गया है। लेकिन आगे कुछ बोलने के पहले मैं श्री वी० पी० नायर के भाषण के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। खेद है कि वह इस समय सदन में नहीं हैं वह उस प्रदेश से आते हैं जहां श्री शंकराचार्य पैदा हुए थे वह कहते हैं कि देश के अन्दर दो करोड़ गाय बेकार हैं। इन को मार देना चाहियें। मैं समझता हूं कि दो करोड़ गायों को खिलाने में जितना पैसा लगेगा उस से कहीं ज्यादा लाभ उन के गोबर से हम को मिलेगा क्योंकि गोबर खाद के लिये बहुत उपयोगी है। अगर आप हिसाब लगायें कि इन गायों के गोबर से कितनी खाद हम को मिलेगी और फिर उस की तुलना उस फरटीलाइजर की कीमत से करें जो इस के अभाव में हम को बाहर से मंगाना पड़ेगा, तो आप देखेंगे कि इन गायों का रहना देश के लिये कितना जरूरी है। मुझे तो लगता है कि हमारे वी० पी० नायर साहब को खेती का ज्ञान नहीं है तभी वह ऐसी बात कहते हैं। हम ने अपने यहां देखा है कि बंजर भूमि में लोग गायों को लाकर रखते हैं और उनके गोबर और गोमूत्र से वह भूमि उपजाऊ हो जाती है। हमारे तिवारी जी जो बैठे हैं वह इस बात को जानते हैं क्योंकि वे लोग इन के ही जिले के हैं जो हमारे जिले में आ गये हैं। तो वे इस प्रकार भूमि को उपजाऊ बनाते हैं।

यहां पर हमारे कम्युनिष्ट भाई कहते हैं कि देश की बेकार गायों को मार देना चाहिये। लेकिन मुझे विश्वास है कि वे गावों में ऐसा नहीं कहेंगे। क्योंकि आजकल चुनाव आने वाले हैं इसलिये गावों में वे दूसरी बात कहेंगे। लेकिन मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि इन गायों को मारा जाय और गोमांस खाया जाय।

अब मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि हमारी प्लान्ड इकानामी है और हर चीज के लिये योजना बनायी जाती है। इतना बड़ा योजना भवन बना हुआ है और उस में बहुत से लोग काम करते हैं और सब चीजों के उत्पादन के लिये प्लान बनाते हैं, लेकिन खेती के लिये कोई प्लान नहीं बनाया जाता। अगर खेती के लिये भी प्लान बनाया जाय कि हम को फलां फलां चीज इतनी बोनी चाहिये तो मैं समझता हूं कि बड़ा अच्छा होता। लेकिन खेती के लिये कोई प्लान क्या नहीं बनाया जाता यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं नहीं समझ पाता कि योजना का काम किस तरह से हो रहा है।

इस के अलावा दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस साल उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में गन्ने की खेती ज्यादा हो गई है। अगर ३० जून तक सारी फैक्टरियां चलें तो सम्भव है कि सारे गन्ने का क्रशिंग हो सके। हमें इस दिशा में अपने प्रधान मंत्री जी से मदद मिली है कि हमारे यहां कुछ फैक्टि-रियां जो बन्द थीं उन को चलाया गया है। हमारे फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर इस में तत्पर हैं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम पैसा देंगे। अब आज कल हालत यह है कि हमारे किसान जो गन्ना दे रहे हैं उन को पैसा नहीं मिल रहा है और यह ऐसा समय है जब किसानों को बैल खरीदने होते हैं शादी विवाह करने होते हैं, जमीन की मालगुजारी देनी पड़ती है और कपड़े लत्ते पर खर्च करना होता है। किसान को पैसे की जरूरत है और उस को पैसा नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ यह हमारे मिल वाले कहते हैं कि हमारी चीनी जो पड़ी है उस की रिलीज नहीं हो रही है। जरूरत इस बात की है कि हमारी चीनी बाहर जाय। अब वह कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। कितना बैंक से लेने की लिमिट है वह ले चुके हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार कुछ निर्णय करे और मिल वालों को चीनी रिलीज करने के लिये कहे मैं चाहता हूं कि चीनी की रिलीज के बारे में उदारतापूर्वक विचार किया जाय। किसान आज अगर अपने गन्ने की कीमत चीनी की शक्ल में लेना चाहे तो सरकार को चीनी की इजाजत दे देनी चाहिये। मजदूर अपनी मजदूरी की एवज में चीनी चाहे तो उस को चीनी दे देनी चाहिये। पबलिक को चीनी देने में सहूलियत पैदा करनी चाहिय और चीनी को एक्सपोर्ट करना चाहिये।

[श्री विभूति मिश्र]

हमारे पाटिल साहब कहते हैं कि हमारी चीनी का दाम ७०० रुपया प्रति टन है लेकिन बाजार में अभी उपाध्यक्ष महोदय, चीनी का दाम ४०० रुपये प्रति टन है। इस तरह हर टन पर हम को ३०० रुपये का घाटा पड़ता है। यहां लोक सभा के रिसर्च एंड रेफ्रेंस ब्रांच ने एक कागज निकाला है जिस के कि अनुसार सन् १९६१ में इंगलैंड ने आस्ट्रेलिया से ४५ पौंड २ शिलिंग पर टन के हिसाब से चीनी खरीदी है जो कि एक्सचेंज रेट में १ रुपया का १ शिलिंग ५-३१/३२ पैंस होता है। इस का मतलब यह हुआ कि इंगलैंड आस्ट्रेलिया से ६१० रुपये टन के हिसाब से चीनी खरीदेगा। अब जब इंगलैंड को आस्ट्रेलिया की चीनी ६१० रुपये टन पड़ती है तो वह हमारी चीनी क्यों नहीं खरीदता है। और जब कि हम कौमनवैल्थ में हैं। रिसर्च एंड रिफ्रेंस विभाग ने जो कागज निकला है उस के मुताबिक हम अमरीका से हर साल अरबों रुपये का सामान मंगाते हैं और अमरीका को भी हम से चीनी आदि खरीदनी चाहिये। पी० एल० ४८० में हम ने करोड़ों और अरबों रुपये का सामान अमरीका से मंगाया है। इसलिये यह आवश्यक बात है कि अमरीका भी हमारी चीनी खरीदे।

पी० एल० ४८० में १-४-५६ से ३०-४-५६ तक ४,४१४ मिलियन की एंड एथोराइज्ड थी जबकि हम ने अन्दाजन ३७३६ मिलियन रुपय का सामान मंगाया है। जब हम अमरीका से इतना सामान मंगाते हैं तो क्या अमरीका हम से चीनी नहीं ले सकता है? मैं समझता हूं कि अमरीका को हमारी चीनी एक्सपोर्ट हो सकती है।

पहले तो हम से कहा जाता है कि अधिक उत्पादन करो और जब हम अधिक पैदा करने लगते हैं तो इन को इस से घबड़ाहट पैदा होने लगी है। हमारे मिनिस्टर साहब ने बतलाया है कि गन्ने की खेती बढ़ गई है। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि यह जो गन्ने की पैदावार बढ़ी है यह इस कारण है कि आज हमारे किसान ज्यादा तगड़े हैं, खूब पानी देते हैं, अच्छी खाद देते हैं और ढंग से खेती करते हैं और इस लिये हमारे गन्ने की पैदावार बढ़ी है। अब ज्यादा पैदावार करके दिखाने पर तो उचित यह है कि सरकार उन को ईनाम देती, शाबाशी देती और उन को हर प्रकार से प्रोत्साहन व सुविधायें देती लेकिन उल्टे यह कहा जा रहा है कि उन्होंने इतनी अधिक पैदावार कर ली। जरूरत इस बात की है कि हमारी प्लांड एकोनामी हो। आज मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि कृषि मंत्रालय और योजना मंत्रालय द्वारा प्लानिंग नहीं की जाती है। किसानों को अधिक पैदावार करके दिखाने के लिये ईनाम मिलना चाहिये था लेकिन उन को ईनाम और सबसिडी नहीं मिलती है जब कि टाटा, बिड़ला और अन्य लोगों को सरकार हर तरह से प्रोत्साहन देती है। किसानों को आप सबसिडी दीजिये। सरकार को प्रतिवर्ष चीनी की एक्साइज ड्यूटी की शक्ल में ४५ करोड़ रुपया मिलता है। सरकार उस में से ५ करोड़ रुपया किसानों को सबसिडी की शक्ल में दे।

मैं यह भी चाहता हूं कि जब तक सारे गन्ने की क्रशिंग पूरी न हो जाये कोई शुगर फैक्टरी बन्द न हो। सारा गन्ना क्रश हो जाने पर ही किसी शुगर मिल को बन्द किया जाय। किसानों को उन के गन्ने का पूरा पेमेन्ट दिलाने की व्यवस्था की जाये। पेमेन्ट न होने से किसानों को आजकल बड़ी तकलीफ है। दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि आज सरकार की ओर से गुदामों की उचित व्यवस्था नहीं है। फैक्टरी वालों के गुदाम नहीं हैं। सरकार को चीनी के गुदामों की भी व्यवस्था करनी चाहिए। अब गेहूं के वास्ते तमाम जगह गुदामों की व्यवस्था की जाती है लेकिन हमारी चीनी को रखने के लिए जगह का व्यवस्था नहीं की जाती है।

यह भी कहा जाता है कि साहब चीनी रिलीज करने से उसके दाम गिर जायेंगे। अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं जरा यह बतालना चाहता हूं कि यह चीनी मिल मालिक कितना भारी मुनाफा कर रहे हैं। इन चीनी मिल मालिकों ने इतने दिनों के अन्दर इतना पैदा कर लिया है जिसका कि कोई हिसाब किताब नहीं है। एक पुरी साहब जो कि शुगर मिल एसोसिएशन के प्रेसीडेंट हैं और हमारे चौधरी साहब के जिले के हैं उन्होंने अपने भाषण में इस चीज को कहा है कि चीनी के दाम कम होने चाहियें। टैरिफ कमीशन की कौस्ट स्ट्रक्चर श्रौफ शुगर एण्ड फेयर प्राइस पेएबुल टु दी शुगर इण्डस्ट्री की रिपोर्ट में यह बतलाया गया है कि नार्दन इण्डिया में स १९५७-५८ में शुगर की फेयर सैलिंग प्राइस ३५.३० नये पैसे रही। बम्बई वगैरह के बारे में नहीं बतला रहा हूं। नार्दनइण्डिया की बाबत उसमें बतलाया गया है। सन् ५८-५९ में ३६ रुपये ४३ नये पैसे। अब चीनी जो हमारे वहां बिकती है तो में आपको बतलाना चाहता हूं कि यह चीनी के उद्योगपति कितना मुनाफा उठाते हैं। डी० चीनी हमारी ३६ रुपये ८१ नये पैसे के हिसाब से बिकती है जबकि सी० चीनी ३८ रुपये ५१ नये पैसे की दर से बिकती है। इस तरह आप देखेंगे कि २ रुपया और ९५ नये पसे का शुगर मिल मालिकों को फायदा होता है। उस रिपोर्ट के तीसरे पैरे में यह दिया हुआ है :--

"आयोग ने यह सिफारिश की है कि उत्पादन लागत के अतिरिक्त १२ प्रतिशत लाभ की अनुमति दी जानी चाहिए जिससे कारखाना लाभांश आदि ठीक प्रकार से दे सके।"

इस तरह आप देखेंगे कि १२ प्रतिशत का डिवीडेंड शुगर फैक्टरी वालों को दिया गया है। इसके अलावा फी मन चीनी के पीछे यह २ रुपये ९१ या ९२ नये पैसे का फायदा और हो रहा है। २५ साल से उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है। हर मन के पीछे उनको करीब ३ रुपया एक्सट्रा दाम मिलते हैं। अब यह १२ परसेंट का मुनाफा हो और यह २ रुपये ९१ या ९२ नये पैसे का प्रतिमन चीनी मिल मालिकों को एक्सट्रा मुनाफा हो और इतने पर भी जो पुरी साहब कहते हैं कि गन्ने के दाम कम करने चाहियें तो यह मुनासिब बात नहीं है।

इसके सम्बन्ध में डाइरेक्टर आफ नेशनल शुगर इंस्टीच्युट कानपुर से ने यह कहा है :--

"कुछ कारखानों का विस्तार हो चुका है तथा कुछ का किया जा रहा है। परन्तु इस काम का भार उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ना चाहियें। इसलिये इसकी जांच करना आवश्यक है कि किस कारखाने की मरम्मत होनी चाहिये तथा किस की नहीं।"

उपाध्यक्ष महोदय, उन लोगों को इतना फायदा पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी वे कहते हैं कि रिप्लेसमेंट के लिये पैसा दो। पहले वे हर मन में दो रुपये ले रहे थे और अब लगभग तीन रुपये ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन को १२ परसेंट डिविडेंड--मुनाफा दिया गया है। इस के बावजूद वे कहते हैं कि गन्ने का दाम कम होना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है कि इन परिस्थितियों में भी वे कहें कि गन्ने का दाम कम करना चाहिए।

कारखानेदार कहते हैं कि गन्ने की कीमत गिरानी चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नार्थ इण्डिया में तो कण्ट्रोल है--पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश में कण्ट्रोल है, लेकिन साउथ में कण्ट्रोल नहीं है। वहां ज्यादा दिनों तक फैक्टरियां चलती हैं। लिहाजा साउथ में शूगर का कास्ट आफ प्राडक्शन और भी कम होगा। हमारे यहां भी फैक्ट्रियां ज्यादा दिन तक चलेंगी। मेरा अन्दाजा है कि साउथ में पिछले तीन चार बरसों में फैक्ट्री वालों ने नौ करोड़ रुपया कमाया है। फिर भी साउथ वाले कहते हैं कि हम को एक्सटेंशन और एक्सपेंशन के लिये मौका नहीं मिलता है। यह बहुत गैर मुनासिब बात है। मैं वहां की सरकार और केन्द्रीय सरकार से कहूंगा कि जो रुपया वहां के फैक्ट्री वाले

[श्री विभूति मिश्र]

कमा रहे हैं, या तो उसको सरकारी खजाने में रखा जाये, या उससे कोई डेवेलपमेंट का काम किया जाय ।

सरकार खेती की तरफ जो ध्यान दे रही है, वह कागज पत्रों में है । खेतों की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है । इस सम्बन्ध में मैंने पिछली दफा कहा था कि हर एक मिनिस्टर को गांवों में जाकर यह देखना चाहिये कि वहां खेती के विषय में क्या हो रहा है और हम को यह बताया जाय कि कौन मिनिस्टर किस स्टेट में यह देखने के लिये गया है । अभी डा० राम सुभग सिंह ने कहा कि आठ नौ मिनिस्टर इस सम्बन्ध में रशा गये थे । मैं अपनी स्टेट की बात करना चाहता हूं । मेरा अन्दाजा है कि वहां की पापुलेशन ४.४३ लाख है । मैं पूछना चाहता हूं कि १९५७ से लेकर १९६१ तक हमारे मन्त्रीगण ने वहां कितनी विजिट्स कीं । मैं चाहता हूं कि हर एक आदमी के काम को देखना चाहिये कि उसने कितनी विजिट्स की और कितनी नहीं कीं, वह कहां गया और कहां नहीं गया, इत्यादि ।

खेती का महकमा इतना महत्वपूर्ण और जबर्दस्त है कि उसमें उसी आदमी को रखना चाहिए, जिस को इस विषय का ज्ञान और जानकारी हो । यह सब को ज्ञात है कि हिन्दुस्तान की कम से कम ५५ फीसदी आमदनी खेती से होती है, लेकिन उस के विकास और उस की समस्याओं की ओर यथोचित ध्यान नहीं दिया जाता है । अमरीका से यहां टीम आई और चली गई, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि उससे इस देश की खेती को क्या लाभ हुआ । आज खेतिहर को पैरिटी प्राइस देने की जरूरत है । मैं यह नहीं चाहता कि कनज्यूमर को नुकसान हो, मैं चाहता हूं कि शहर वालों और गांव वालों किसी को नुकसान न हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि खेती में जो उत्पादन होता है, उसकी कीमतों को अन्य चीजों की कीमतों के साथ जोड़ दिया जाय । कृषि मन्त्री ने इस विषय में कहा कि हम कमेटी बनायेंगे । हम को इन्फ़र्मेशन है कि शायद वह तो कमेटी बनाना चाहते हैं, लेकिन उस कमेटी का मामला प्लानिंग कमीशन में चला गया और वहां फंस गया है । हम देखते हैं कि जब खेतिहर से सम्बन्ध रखने वाला कोई प्रश्न आता है, तो कमेटी नहीं बनाई जाती है, लेकिन जब शहर वालों, अखबार वालों और पूंजीपतियों के हित की कोई बात होती है, तो तुरन्त कमेटी बना दी जाती है । मैं चाहता हूं कि हमारे मन्त्रीगण हमारे सामने हाउस में कहें कि यह उन के बस की बात नहीं है । यह ठीक है कि इसमें उन को थोड़ी दिक्कत है । वे केबिनेट के मेम्बर हैं । वे कैसे रेस्पांसीबिलिटी अलग करें ? लेकिन हम लोग तो उन के साथ हैं ।

इस जनगणना की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस देश में ७१ फीसदी गांवों की आबादी है, जिसका अर्थ यह है कि इस हाउस के ५०० मेम्बरों में से ३३५ गांवों के वोट पर आय हैं, लेकिन हम लोगों की पुछवाई नहीं होती है । मैं चाहता हूं कि कम से कम पैरिटी प्राइस के बारे में एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाय, ताकि खेतिहर को उसके उत्पादन का उचित पैसा मिल सके ।

श्री र० सिं० किलेदार (होशंगाबाद) : श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, आरम्भ में ही मैं खाद्य और कृषि मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं . . . .

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : काहे के लिये ?

श्री र० सिं० किलेदार : . . . . कि उन्होंने देश में खाद्य की परिस्थिति को सुधारा है । आज से दो साल पहले यहां पर—सदन के भीतर और बाहर, दोनों जगह—गल्ले और शक्कर के बारे में काफी होहल्ला मचता था । इस साल वैसी कोई आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही है और इसलिये वह हम सब की बधाई के पात्र हैं । लेकिन जो कुछ उन्होंने यह सब किया है, वह देश के भीतर उत्पादन बढ़ा कर नहीं किया है । उन की करामात इस बात में रही कि उन्होंने बड़ी भारी मात्रा में खाद्यान्न

अमरीका से प्राप्त किया और उसके यहां आने के कारण देश के भीतर जो संग्रहीत गल्ला था, जो लोगों ने छिपा कर रख छोड़ा था, वह भी बाजार में आया और इस कारण से देश में इस वक्त गल्ले की बहुतायत दिखाई पड़ रही है। वास्तव में अगर देखा जाय, तो गत वर्ष उसके पहले वर्ष की अपेक्षा उपज कुछ कम हुई। अगर हम अपनी स्थानीय और देश के भीतर की उपज नहीं बढ़ायेंगे, तो तीन चार साल के बाद जब पी० एल० ४८० के द्वारा यहां गल्ला आना रुक जायगा, उस वक्त देश की हालत खराब हो जायगी। मैं चाहता हूं कि इस विषय में गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय और अभी जो निश्चिन्तता हमारे सामने आ गई है खाद्य के सम्बन्ध में, उस को दूर किया जाय और निरन्तर इस बात का उद्योग किया जाय कि खाद्य उत्पादन की उन्नति वैसे ही होती रहे, जैसी कि पहले होती थी।

मैं खाद्य मन्त्री महोदय को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने गेहूं के प्रतिबन्ध को तोड़ दिया। मध्य प्रदेश में पार साल गेहूं की जो उपज हुई, उस को बाहर जाने से रोका गया, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को बहुत हानि हुई। स्टेट ट्रेडिंग के नाम से जो गल्ला वहां किसानों से खरीदा गया, यद्यपि कहने के लिये तो चौदह रुपये मन के भाव से उनसे लिया गया, लेकिन वास्तव में उनके पास बहुत कम पहुंचता था। इसके पीछे बहुत से कारण थे, जिन को विस्तार से कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वह मामला खत्म हो गया है। लेकिन एक बात जो सामने रखने की है, वह यह है कि जो भाव किसानों को इस वक्त मिल रहा है, खास कर मध्य प्रदेश के किसानों को, जहां पर कि खेती केवल सूखी होती है, जहां ड्राई कल्टीवेशन होती है, जहां पानी का कोई इन्तजाम नहीं है, वह पर्याप्त नहीं है और उसके विषय में विचार किया जाना चाहिए। कई बार यह चर्चा इस सदन में और कनसल्टेटिव कमेटी में भी आई है। आज भी कई माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है और मेरी समझ में शायद कृषक समाज का भी यह विचार है कि इस तरह की एक कमेटी बनाई जाय, जो कास्ट आफ प्राडक्शन की जांच करके इस बात को निर्धारित करे कि सब से नीचे की प्राईस क्या हो और यदि गल्ले का भाव उससे कम होता है, तो सरकार किस प्रकार किसान की मदद करे, जो क्वांटम आफ प्राइस सपोर्ट तय करे।

शक्कर के सम्बन्ध में पहले जो यहां बहुत शोरो-गुल मचता था, वह समाप्त हो गया है और उसकी हालत बहुत सुधर गई है। आज हमारे देश में शक्कर की कमी नहीं है और उत्पादकों की तरफ से इस बारे में आग्रह किया जा रहा है कि इस के ऊपर से सब कंट्रोल हटा दिये जायें। मेरी समझ में, जैसा कि माननीय खाद्य मंत्री जी का विचार है, अगर शक्कर के ऊपर से कंट्रोल हटा दिया गया, तो उसके भाव गिर जायेंगे। उस हालत में मिल वाले गन्ने की कीमत को कम करने के लिए जोर देंगे और अगर उसको मान लिया गया तो इसका मतलब किसानों को नुक्सान पहुंचाना होगा। यह भी एक पहलू है जिस पर आपको विचार करना है। अगर कंट्रोल हटा दिया जायगा तो सारी की सारी शक्कर यहां के कुछ बड़े बड़े काम करने वाले लोग खरीद करके रख लेंगे और वह भूमिगत हो जायगी और इस तरह से कमी उत्पन्न करके वे इसे ऊंचे भाव से बेचेंगे और बड़ा मुनाफा कमायेंगे। इस तरह से जो उपभोक्ता हैं, उनको कोई लाभ नहीं होगा। इस वास्ते मैं समझता हूं कि जो भी कंट्रोल है, वह ठीक है। हां उसमें सुधार की थोड़ी सी गुंजाइश है और वह अवश्य होनी चाहिये। पहली बात तो यह है कि इस समय जो प्रदेशों को कोटा दिया जाता है, उसको बढ़ा दिया जाना चाहिये और रेलवे मंत्रालय से आग्रह किया जाना चाहिये कि शक्कर के यातायात के लिए वह कुछ प्राथमिकता दे जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान को शक्कर जल्दी पहुंचाई जा सके। आज देखने में आता है कि जहां पर शक्कर का कंट्रोल है वहां एक आदमी को कुछ सेर ही शक्कर दी जाती है और एक दिन में कुछ बोरे ही बेचे जाते हैं। जिन दूकानदारों को इस काम को करने के लिए सरकार ने नियत किया है

उनको शक्कर समय पर नहीं मिलती है और इस वजह से कभी कभी शक्कर की कमी महसूस होने लग जाती है । रेलवे द्वारा शक्कर ले जाने के साधन भी अभी ठीक नहीं हैं । अगर हर एक प्रदेश का कोटा बढ़ा दिया जाता है और जो रेलवे द्वारा शक्कर ले जाने का साधन है, उसमें सुधार कर दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि जो स्थिति अब पैदा हो गई है, उसमें से निकला जा सकता है और साथ ही साथ जिस तरह का कंट्रोल अभी चला हुआ है, वह बहुत ही हितकर हो सकता है । इसको हटाया नहीं जाना चाहिये और इसको रहने दिया जाना चाहिये ।

शक्कर के सम्बन्ध में मुझे यह भी कहना है कि अन्तर्राष्ट्रीय भाव को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि हमारा जो भाव है वह बहुत अधिक है और इसको नीचे लाने की आवश्यकता है । इसको नीचे या तो मिलों में सुधार करके लाया जा सकता है ताकि उत्पादन में खर्चा कम हो या फिर गन्ने की प्रति एकड़ उपज बढ़ा कर ऐसा किया जा सकता है जिससे कि जो गन्ने के अभी के भाव हैं, व कुछ नीचे जा सकें लेकिन साथ ही साथ किसान को किसी तरह का नुकसान न हो जैसे पहले हुआ है । जो तरीका अब है उसके ज़रिये से देखना चाहिये कि जो शक्कर के भाव आज हैं, उनको कैसे नीचे लाया जा सकता है । संसार के जो समुन्नत देश हैं, उनमें शक्कर का पर-कैपिटा खर्च बहुत अधिक है और हमारे यहां बहुत कम है । यह कुछ तो महंगाई के कारण है और कुछ भाव ऊंचे होने के कारण । नीचे की श्रेणी के जो गरीब लोग हैं वे इस भाव पर शक्कर खरीद नहीं सकते हैं, उसका उपभोग नहीं कर सकते हैं । इस वास्ते यह बहुत जरूरी है कि बिना किसान को नुकसान पहुंचाये हुए किसी न किसी तरह से शक्कर के भाव नीचे लाये जायें ।

खाद्यान्न की आज जो स्थिति है, वह काफी आशाप्रद है । अगर यह स्थिति हमारे प्रयत्नों से आई होती, हमने अपना उत्पादन बढ़ा करके यह निश्चितता प्राप्त की होती तो यह बड़ी प्रसन्नता की बात होती । परन्तु ऐसा नहीं हुआ है । गल्ला बाहर से भारत आया है और उसके साथ ही साथ भीतर जो गल्ला पड़ा हुआ था, वह बाहर निकल आया है, जिन लोगों ने इसको संग्रह करके रखा हुआ था उन्होंने बाहर निकाल दिया है । इस वास्ते इतना बड़ा संग्रह हमें दिखाई पड़ता है । यह संग्रह उत्पादन का फल न हो करके केवल श्री पाटिल साहब की जादू की लकड़ी घुमाने के परिणाम-स्वरूप हुआ है । जिन लोगों ने गल्ला होर्ड करके रखा हुआ था, व्यापारियों ने या किसानों ने, उसको उन्होंने बाहर निकाल दिया है । आज स्थिति अच्छी है । लेकिन अगर हमने ज्यादा उत्पादन नहीं किया तो हो सकता है कि बाद में फिर हमेशा के लिए हमें दूसरों का मुंह देखना पड़े कि कब दूसरे देशों से वह आये और कब हमारा काम चले । आज हालत जरूर अच्छी है लेकिन इसको ऐसे ही बनाये रखने के लिए हमें सतत चेष्टा करनी होगी और यह तभी हो सकता है जब हम अपने उत्पादन को बढ़ायें । इसके दो ही तरीके हैं । एक तो यह है कि जो पड़ती भूमि है, जो अभी काश्त के नीचे नहीं है उसको काश्त के नीचे ला करके, उसको जोत करके गल्ला पैदा किया जाये । लेकिन हमारे पास जो पड़ती जमीन है वह ज्यादा मात्रा में नहीं है और जो थोड़ी बहुत है वह भी ऐसी नहीं है कि जिस के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करने के बावजूद भी बहुत ज्यादा उपज हो सके । दूसरा तरीका यह है और इसी में हमारा कल्याण है कि जो अभी पैदावार पर एकड़ हो रही है, उसमें बढ़ौतरी की जाये । अगर बारीकी से देखा जाये तो पता चलेगा कि हमारे देश में जो औसत उपज है वह बहुत ही कम है । चार सौ या पांच सौ पाउंड के करीब मध्य प्रदेश में वह है । उत्तर प्रदेश में ज्यादा हो सकती है । मध्य प्रदेश में चूंकि सूखी खेती होती है, इस वास्ते वहां बहुत कम औसत है । अगर एक बार भी हम उसमें पानी दे दें तो उपज बहुत बढ़ सकती है । मध्य प्रदेश में इसका प्रयोग हुआ है और उससे पता चला है कि इस में एक सौ फीसदी की वृद्धि हो सकती है, चार सौ

पाउंड से आठ सौ तक पैदावार जा सकता है। अगर वक्त पर पानी दिया जाता है, खाद वगैरह प्रचुर मात्रा में दी जाती है तो तीन गुना तक उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। उत्पादन बढ़ कर दो हजार पाउंड तक पहुंच सकता है। पानी का होना बहुत जरूरी है। कभी कभी कहा जाता है कुछ लोगों की तरफ से, और एक पैम्फलेट में मैंने पढ़ा भी था कि पानी की अपेक्षा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना कुछ सस्ता पड़ेगा और इस संकट के काल में फर्टिलाइज़र का उपयोग ज्यादा किया जाना चाहिये। परन्तु मुझे मालूम पड़ता है कि यह बात गलत है। फर्टिलाइजर का उपयोग तभी ज्यादा फायदेमन्द हो सकता है जबकि उसके लिए भरपूर पानी हो। अगर पानी नहीं होगा तो फर्टिलाइज़र से अकसर नुकसान होने का डर बना रहेगा। उससे दाना पतला पड़ जाता है और जल्दी सूख जाता है।

पानी के जो साधन हैं, बड़ी और मध्यम सिंचाई की योजनायें, उनके अलावा छोटी सिंचाई योजनायें, नल कूप और कुएं भी इस्तेमाल किये जा सकते हैं और ये जल्दी लाभ पहुंचा सकते हैं। इनके लिए सरकार को बड़ी मात्रा में तकावी देनी चाहिये और लोगों को इनको बनाने का प्रोत्साहन देना चाहिये। जितनी अधिक मात्रा में पानी दिया जायगा उतनी अधिक मात्रा में खेती की पैदावार बढ़ेगी। जितना अधिक उत्पादन होगा उतनी ही निश्चितता की स्थिति हमारे देश में उत्पन्न होगी।

एक बात जिस की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सभी यह कहते हैं कि अन्न उत्पन्न करने के लिए और अच्छी फसल उत्पन्न करने के लिए तीन चार चीज़ों की आवश्यकता है। इसके लिए अच्छा खेत, अच्छा बीज, अच्छी खाद और पानी की आवश्यकता है। जितनी अधिक मात्रा में पानी दिया जायेगा उतनी ही अच्छी उपज होगी। समय पर अगर बोनी हो तो निश्चित रूप से फसल अच्छी हो सकती है। अभी तक हमने भौतिक साधनों के ऊपर ही विचार किया है, इस बात का विचार नहीं किया है कि इस सब को जो करने वाला है, जो किसान है, उसका हित किस में है, वह क्या चाहता है। हम आज खेत के ऊपर ध्यान देते हैं, किसान के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वह भी आखिर एक प्राणी है और वह भी कुछ आराम चाहता है। वह भी चाहता है कि जो फसल वह पैदा करे, उसका लाभ उसे मिले, उसके बाल-बच्चे आराम से रहें। पाटिल साहब ने जब पद-ग्रहण किया था तो आरम्भ में ही एक पालिसी स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका यह उद्योग रहेगा कि किसानों को उचित कीमत मिले। अगर आप चाहते हैं कि उसको उचित कीमत मिले तो उसके लिये यह जरूरी है कि जो खर्चा उसका बैठता है, उस पर भी विचार किया जाये। अगर उसको थोड़ा मुनाफा मिलता है तो वह अपने बाल बच्चों को पढ़ा सकेगा, अपने परिवार के लिए कपड़े लत्ते का इंतिज़ाम कर सकेगा, आराम का जीवन व्यतीत कर सकेगा। आज की जो कीमतें हैं उनके भीतर कहां तक इन सब बातों की गुंजाइश है, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि ऐसी कमेटी बनाई जाये जो यह पता लगाये कि आखिरकार गल्ला पैदा करने में या खाद्यान्न पैदा करने में कितना खर्च बैठता है। जब तक इस तरह की कमेटी के जरिये इस बात का निर्णय नहीं होगा, तब तक आप नीचे की कीमत भी मुकर्रर नहीं कर सकेंगे . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब खत्म करें।

श्री र० सि० किलेदार : दो साल में पहली बार बोल रहा हूं। पांच मिनट तो और दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

श्री र० सिं० किलेदार : इसके लिए एक कमेटी की बहुत जरूरत है। बार बार आप इस बात का जिक्र करते हैं, फिर भी मेरी समझ में नहीं आता है कि अधिकारीगण ऊपर के जो हैं, वे क्यों इसका विरोध करते हैं। इसको बना देने मात्र से ही किसान को आप कुछ देने वाले नहीं हैं। लेकिन मालूम पड़ता है कि किसान की जो हालत है, उसको आप छिपे ही रहने देना चाहते हैं, उसको बाहर आने देना नहीं चाहते क्योंकि आप समझते हैं कि अगर वह बाहर आयेगी तो उसकी हालत बदल जायेगी।

मैंने देखा है कि जो आपके सीड फार्म हैं, जो डेमंस्ट्रेशन फार्म्स हैं, एक्सपेरिमेंटल फार्म्स को आप लीजिये, कोई भी प्राफिट पर नहीं चल रहा है। मध्य प्रदेश की बात मैं जानता हूं वहां कोई भी फार्म ऐसा नहीं है जिस में मुनाफा होता हो और करीब करीब हर एक में नुकसान हो रहा है। बड़ी बड़ी रकमें नुकसान में जाती हैं। सरकार के पास इतने साधन हैं, इतना पैसा है और एवेज एरिया एक फार्म का २०० एकड़ के करीब या इससे कुछ ज्यादा बैठता है और इतना होते हुए भी वहां टोटा बैठता है। जब ऐसी बात है तो जो छोटे किसान हैं, उनको कैसे मुनाफा होगा, कैसे फायदा होगा। ऐसा मालूम होता है कि इस सारे मामले पर पर्दा डाला जा रहा है। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि परदा डालने से या दबाने से जो यह आग भीतर जल रही है यह नहीं दबायी जा सकती। वह चीज तो सामने आयेगी और अब समय आ गया है कि उसको सामने आने दिया जाये। अगर आप उसको दबा कर रखेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है।

यहां पर उस दिन हमारे वित्त मंत्री महोदय ने कहा था कि हमने तीसरी प्लान के लिए टैक्स लगाये हैं और क्योंकि वह जनता का प्लान है इसलिए उसके लिए पैसा भी जनता से ही आना चाहिए। इस देश की जनता में किसानों की संख्या ही सबसे ज्यादा है। इसलिए निश्चित रूप से जो टैक्स लगाये गये हैं उनका सबसे ज्यादा भार किसानों पर ही पड़ेगा। ठीक है। उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जब योजना से आमदनी होती है तो वह किसानों तक नहीं पहुंच पाती, जो नेशनल इनकम बढ़ती है प्लान के जरिये वह ऊपर ही रह जाती है। कुछ दिन पहले चर्चा हुई थी कि एक कमेटी बनायी जायेगी जो यह जांच करेगी कि जो नेशनल इनकम हुई है वह अगर किसान और मजदूर के पास नहीं पहुंची तो किसके पास रह गयी। पता नहीं उस कमेटी ने क्या किया लेकिन उस नेशनल इनकम में से किसान को कुछ फायदा नहीं मिला है।

जिन चीजों की हमको गल्ला पैदा करने के लिए जरूरत होती है उन पर आपने टैक्स लगा दिया है जैसे डीजल आइल है, पानी है या मशिनरी है। आप इंडस्ट्री को जिस तरह से सस्ता बिजली देते हैं वैसे एग्रीकल्चर को नहीं देते। हमको सस्ती बिजली मिलनी चाहिए जैसे कि इंडस्ट्री को मिलती है। मेरी समझ में नहीं आता कि कृषि को उद्योग क्यों नहीं माना जाता जब कि यह देश का सब से बड़ा उद्योग है और जैसा कि श्री पाटिल साहब ने बतलाया इसका टर्नओवर ५००० करोड़ का है जो कि किसी भी उद्योग से ज्यादा है। लेकिन इसके बारे में जो दूसरी तरह की निगाह रहती है यह मेरी समझ में नहीं आता। शायद इसका यही कारण है कि किसान संगठित नहीं है और उनका संगठन जल्दी नहीं हो सकता इसलिए उसकी आवाज आपके पास तक नहीं पहुंच पाती। अब समय आ गया है कि हमको विचार करना चाहिए और यह देखना चाहिए अगर किसान ज्यादा पैदा नहीं करेगा तो देश के लोगों को आप कहां तक बाहर से मंगा मंगा कर खिलायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य खत्म करें।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : वह किसानों की आवाज हमारे कानों तक पहुंचा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : और भी हैं जो पहुंचायेंगे ।

श्री र० सिं० किलेदार : अगर आप ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं तो मैं आग्रह नहीं करता । लेकिन जो हमारे यहां गल्ला बाहर भेजने की छूट दे दी गयी है इसके सम्बन्ध में मुझे केवल एक शब्द कहना है । यह काम स्टेट ट्रेडिंग द्वारा होता है । लेकिन मेरे राज्य में इस स्टेट ट्रेडिंग से किसान को लाभ नहीं हुआ । उसे उलटा नुकसान हुआ है । अगर यह धन्धा जो नारमल ट्रेड चैनल्स हैं उनमें रहे तो ज्यादा अच्छा होगा । एक समय था जब कि ये लोग चार आने बोरे के मुनाफे से धन्धा कर लेते थे । लेकिन बीच में आर्थिक स्थिति बिगड़ जाने के कारण काला बाजार आ गया और ये लोग काले बाजार में धन्धा करने लगे । लेकिन इसके लिए उनको दोष नहीं दिया जा सकता । अगर हम अब काले बाजार को दूर करके केवल सफेद बाजार को ही रहने दें तो यह लोग फिर थोड़े मुनाफे पर काम करने लगेंगे । जिस काम को ये लोग चार आने के मुनाफे पर कर सकते हैं उसको करने के लिए अगर सरकारी अफसर जायेगा तो दो रुपये लगेंगे । मैं चाहता हूं कि स्टेट ट्रेडिंग करने से पहले इस बात पर थोड़ा सा विचार कर लिया जाये कि इसमें कितना किसान का फायदा है और कितना सरकार का फायदा होगा । केवल एक स्लोगन उठाने से कोई लाभ नहीं होगा ।

†श्री पु० र० पटेल (मेहसाना) : श्रीमान, कटौती प्रस्तावों को देखते हुए मुझे श्री प्रकाश वीर शास्त्री का एक कटौती प्रस्ताव नजर आया जिसमें उन्होंने खाद्यान्नों के मूल्य कम करने के लिये कहा है । मैं समझता हूं कि उन्हें यह कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने से मूल्यों के औचित्य के बारे में विचार कर लेना चाहिए था । मैं औचित्य के बारे में विचार करने के लिए दो परीक्षण सामने रखता हूं । पहला परीक्षण है समान मूल्य रखना । आप देखिये कि १९५० में चावल के मूल्य देशनांक १०० मान लेने पर १९५१ में देशनांक १०४ हो जाते हैं तथा १९६० में ९९ हैं । गेहूं के देशनांक भी १९५१ में ९६ थे जो जनवरी १९६१ में ९१ हो गये हैं । ज्वार के १९५१ के ९५ थे जो जनवरी १९६१ में ११४ हो गये । इससे स्पष्ट हो जाता है कि गरीब आदमियों द्वारा खाये जाने वाले खाद्यान्नों के मूल्य बढ़े हैं तथा धनी आदमियों के द्वारा खाये जाने वाले खाद्यान्नों के मूल्य नहीं बढ़े हैं ।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

गरीब गांव में रहते हैं तथा अमीर शहरों में । परन्तु फिर भी गरीब बढ़े हुए मूल्यों का हल्ला नहीं मचाते हैं जबकि अमीर अर्थात नगर में रहने वाले अधिक मूल्य का हल्ला मचाते हैं ।

समान मूल्यों को लीजिये । १९५१ में खाद्यान्नों के देशनांक ११३ · ७ थे तथा आम वस्तुओं के ११९ · ६ । सभी वस्तुओं के १२५ · ६ । सभी अनाजों के ११६ · ३ । इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि खाद्यान्नों के मूल्य कम हुए हैं । परन्तु यदि मूल्यों को समान बनाया जाये तो गेहूं और चावल के मूल्य बढ़ाने होंगे ।

पी एल–४८० के अधीन गेहूं का आयात किया जा रहा है । मैं समझता हूं कि ऐसा करना किसानों के हित में नहीं होगा । किसानों को तभी लाभ हो सकता है जब आयात किये गये गेहूं के मूल्य कुछ बढ़ा दिये जायें अथवा किसानों को कुछ सहायता दी जाये ।

किसानों को अपनी जरूरियात की चीजें खरीदने में अधिक धन व्यय करना पड़ता है जबकि खाद्यान्नों के लिए उनको कम धन मिलता है । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए तथा प्रयत्न करना चाहिए जिससे इनको इनकी जरूरियात की चीजें सस्ते मूल्य पर मिल सकें ।

---

†मूल अंग्रजी में

सूरतगढ़ के यंत्रीकृत फार्म की उत्पादन लागत लीजिये । १९५६–५७ में यह १८३·१ रुपये की थी । १९५८–५९ में यह १४५·८ रुपये की हो गई । १९५९–६० में यह १२१·६ रुपये हो गई । जब बड़े फार्म की यह हालत है तो छोटे फार्मों की हालत तो और भी खराब होगी । छोटे फार्मों के आंकड़े भी श्री एम० एस० रनधावा ने अपनी "भारत में कृषि की स्थिति" पुस्तक में बताये हैं । उनको देखने पर भी पता लग जाता है कि इन फार्मों में भी बहुत नुकसान हो रहा है ।

जब ऐसी हालत है तब सरकार से मूल्यों में कमी करने की मांग करना उचित नहीं है । मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह अपना वायदा पूरा करें तथा कृषि उत्पादों के लिए किसानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयत्न करें ।

मेरे साम्यवादी दल के मित्र ने बताया है कि गायों को कत्ल किया जाना चाहिए क्योंकि वह अब बेकार हैं । मैं अन्त में यही कहना चाहता हूं कि साम्यवादी दल के सत्तारूढ़ हो जाने पर वह अपने वृद्ध आदमियों को भी कत्ल कराना चाहेंगे ।

†**श्री बलराज मधोक (नई दिल्ली)** : सभापति महोदय, खाद्यान्न जनता की सबसे बड़ी आवश्यकता है तथा खेती देश का सब से बड़ा उद्योग है । परन्तु दुर्भाग्यवश दो योजनायें समाप्त हो जाने के बाद भी खाद्यान्नों का उत्पादन नहीं बढ़ा है । प्रतिवेदन में बताया गया है १९५८–५९ में खाद्यान्नों का उत्पादन ७५० लाख टन था जो १९५९–६० वर्ष में ७१० लाख टन हो गया । प्रश्न यही उठता है कि इस उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या क़दम उठाये जा रहे हैं । किसानों को प्राकृतिक विपत्तियों से किस प्रकार बचाया जायेगा ।

पहली तथा दूसरी योजनाओं में सिंचाई योजनाओं पर बहुत धन व्यय किया गया है । भाखड़ा बांध बनाया गया है । परन्तु इस बांध के पानी के वितरण में भी राजनीति ने अपना हाथ दिखाया और गुड़गांव जैसे जिले जिनको पानी की जरूरत थी, उनको पानी नहीं मिल पाया ।

जल आयोग के सभापति श्री कंवर सेन ने बताया है कि राजस्थान नहर बन जाने के बाद राजस्थान में स्वर्ग की अवतारणा हो जायेगी । मुझे संदेह है कि यह नहर ही कभी चालू नहीं होगी क्योंकि फालतू पानी तो पाकिस्तान को दे दिया गया है तथा अब से दस वर्ष तक आगे तक आशा नहीं कि राजस्थान को पानी दिया जायेगा ।

मेरा अपना विचार यह भी है कि जम्मू तथा काश्मीर प्रदेश में जहां पर पानी की बहुतायत है वहां पर बांध बनाये जा रहे हैं । सिंचाई योजनायें बनाई जा रही हैं परन्तु जम्मू के कण्डी क्षेत्र, जहां पानी की कमी है, में सिंचाई के लिए एक भी पैसा व्यय नहीं किया जा रहा है । कण्डी में पिछले पांच वर्षों से कठुआ नहर खोदी जा रही है परन्तु अभी तक तो यह बन नहीं पाई है । यदि यहां पर छोटी सिंचाई योजनायें बनाई गई होतीं तो निश्चित रूप से लाभ होता ।

यह कहना बेकार है कि खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए यंत्रों से खेती कराई जाये । हमारे देश में अधिकांश व्यक्तियों के पास १० एकड़ से अधिक भूमि नहीं है । इसलिए आवश्यक है कि ऐसा प्रयत्न किया जाये जिस से किसान अपने वर्तमान औजारों के द्वारा खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा सकें । किसानों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है । यदि ऐसा कर दिया गया तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ जायेगा ।

मेरे कुछ माननीय मित्रों ने बताया है कि गायों तथा बेकार पशुओं को मार डालना चाहिए । कुछ मानवीय सदस्यों ने इसका विरोध भी किया है । मैं विरोध करने वाले सदस्यों अर्थात् कांग्रेसियों

†मूल अंग्रेजी में ।

से पूछना चाहता हूं कि साम्यवादियों के इस सुझाव के विपरीत गायों तथा पशुओं की हालत सुधारने के लिए वह क्या काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि कहने तथा करने में बहुत अन्तर होता है। वस्तुतः आज गायें बड़ी संख्या में कत्ल की जाती हैं। माननीय सदस्यों को समझना चाहिए कि देश के पशुओं को मारने के बजाये उनकी हालत सुधारने का अधिक महत्व है क्योंकि इस प्रकार शक्तिशाली होकर हमारे बैल गहरी खुदाई कर सकेंगे तथा गहरी खुदाई के द्वारा खाद्यान्नों का अधिक उत्पादन हो सकेगा।

कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि पुरानी गाय देश पर भार हैं। मैं बताना चाहता हूं कि यह भार नहीं हैं। यदि हम इनके गोबर आदि का इस्तेमाल करने लगें तो पर्याप्त खाद हमें मिल सकती है। खाद का हम आयात करते हैं। इस आयात को बन्द किया जा सकता है।

गोसदनों की स्थिति देखिये। लुधियाने के गोसदन में दो महीने पहले सौ गाय मर गईं क्योंकि सर्दी में उनको उढ़ाने के लिये वस्त्र नहीं थे। उनको खिलाने को चारा नहीं था। केवल कागजों पर लिखे जाने के लिए यह गोसदनों की व्यवस्था की गई है।

आज हमारे देश में वनस्पति का उत्पादन ३ '१७ लाख टन से बढ़ कर ३.३३ लाख टन हो गया है। बड़ शर्म की बात है कि एक हानिकर वस्तु का उत्पादन बढ़ रहा है। वनस्पति में रंग मिलाने की जांच के लिये एक समिति नियुक्त की गई परन्तु अब तक इसके बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि वनस्पति में रंग मिलाने की सरकार की इच्छा ही नहीं है। सरकार को इसको प्राथमिकता देनी चाहिये।

दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों की हालत बहुत खराब है। उनके लिये सरकार ने जो मकान बनाये हैं वह रहने योग्य नहीं हैं। आप यह उनका कल्याण कर रहे हैं। कल्याण अधिकारी बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। मैं तो समझता हूं कल्याण अधिकारी कर्मचारियों के कल्याण करने के बजाय अपना कल्याण करते हैं। इसकी जांच की जानी चाहिए।

मुझे प्रसन्नता है कि रुद्रपुर का विश्वविद्यालय खुल गया है। परन्तु मुझे यह देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ है कि इस विश्वविद्यालय में पढ़े हुए व्यक्तियों को इतना भी खेती का ज्ञान नहीं है जितना साधारण व्यक्ति को ज्ञान होता है। मैं तो समझता हूं कि सरकार इन कृषि विश्व-विद्यालयों पर धन बरबाद कर रही है।

अधिक भूमि में आज नक़द फसल बोई जाती है। जिससे अधिक धन मिले। मेरा सुझाव है कि अनाज की फसल तथा नक़द की फसल में संतुलन होना चाहिए। मुझे यह देख कर बड़ा दुःख होता है कि खेतों में अधिकांशतः गन्ना उगाया जाता है। किसानों से ऐसा करने का कारण मैंने पूछा है। उन्होंने बताया है कि इससे हमें धन मिलता है। इसलिए इन दोनों फसलों में संतुलन होना चाहिए।

चीनी के कारखाने बनाये जा रहे हैं तथा इनके लाइसेंस अपने अपने आदमियों को दिये जाते हैं। जब हमारे यहां चीनी का उत्पादन बढ़ रहा है तो चीनी का निर्यात किया जाना चाहिए। इसके लिए चीनी के मूल्य प्रतिस्पर्द्धात्मक होने चाहिएं तथा बड़े बड़े स्टाक रखने के बजाये चीनी का खुला व्यापार करने की व्यवस्था कर देनी चाहिए।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** (कुंबकोणम) : इस वर्ष अच्छी फसल हो जाने के कारण हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हमारी खेती की समस्या हल हो गई है। १० प्रतिशत की कमी हो जाने पर ही संकट पैदा हो सकता है। इसलिए इसका ध्यान रखा जाना जरूरी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन]

मैं यह बताना चाहता हूं कि मंत्रालय को यह नहीं समझना चाहिए कि उत्पादन में सुधार उनके द्वारा बताई गई टैक्नीकों के कारण नहीं हुआ है। मेरे विचार से तो यह सुधार केवल इस कारण हुआ है कि देश में बाढ़ तथा सूखा नहीं पड़ा है। इसलिए कृषि उत्पादन की समस्या मैं समझता हूं वैसी ही बनी हुई है। हमें अपने कृषि उत्पादन को वैज्ञानिक बनाने की आवश्यकता है। समस्त भूमि का भू-परीक्षण किया जाना चाहिए। दौरा करने के लिए विशेषज्ञ दल बनाने चाहिएं।

मेरा सुझाव है कि भांडारों का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए। नगरों में भांडार बनाने बिल्कुल बेकार होते हैं क्योंकि नगर का जलवायु गरम होता है और गरमी के कारण अनाज खराब हो सकता है। इसलिए भांडारों को गांवों में बनाया जाना चाहिए तथा भांडारों को बनाने का काम बैंकों को सौंपा जाना चाहिए।

भांडार बनाने के बाद, खाद्यान्नों के खरीदने तथा बेचने के मूल्यों को इसके आधार पर निश्चित किया जाना चाहिए। भांडार बनाने के बाद यह भी आसान हो जायेगा कि आगामी दो तीन मौसमों के मूल्यों की घोषणा की जा सके।

देश में आज कुछ इस प्रकार की भावना है कि योजना आयोग केवल दिल्ली में बैठ कर काम करता है इसलिए उसको देश के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं का ज्ञान नहीं होता है। मेरा सुझाव है कि सरकार को क्षेत्रवार सलाहकार नियुक्त किये जायें जिससे गेहूं तथा चावल के अलग अलग क्षेत्रों में गेहूं तथा चावल की समस्याओं को समझने वाले लोग सलाहकार बनें।

आज हमारे देश में जनसंख्या की बड़ी समस्या है। केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में खाद्यान्नों से अधिक जनसंख्या है। खाद्यान्नों का उत्पादन १९४७-४८ में ५२० लाख टन, १९५५-५६ में ६५८ लाख टन हुआ है। इस बात को सभी ने स्वीकार किया है कि जनसंख्या २ प्रतिशत वार्षिक बढ़ रही है और इसलिए १९६५-६६ तक ४८०० लाख हो जायेगी जब कि पहले आंकड़ों के आधार पर १९६५-६६ तक खाद्यान्नों का उत्पादन इतना नहीं हो पायेगा जो ४८०० लाख व्यक्तियों के लिये पूरा हो सके।

मंत्रालय के प्रतिवेदन में बताया गया है कि छोटी सिंचाई योजनाओं को बढ़ाने के लिए २१.९४ करोड़ रुपयों को बढ़ा कर २७.९४ करोड़ रुपये कर दिये गये हैं। मुझे यह जान कर भी प्रसन्नता हुई है कि ३००० कुवें बनाये जाने की आशा है तथा ४०,००० कुवों को गहरा बनाया जा रहा है। परन्तु मेरा सुझाव है कि दक्षिण भारत के बहुत से तालाबों में से रेत निकालने का काम भी किया जाना चाहिए।

१९६० से १९६४ तक पी एल-४८० के अधीन १६० लाख मीट्रिक टन गेहूं तथा १० लाख मीट्रिक टन चावल हमें मिलेगा। परन्तु हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हमें यह सहायता नहीं मिलेगी तब हमारा क्या हाल होगा। इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये कुछ प्रश्नों और कटौती प्रस्तावों का उत्तर देता हूं। मैं श्री चे० रा० पट्टाभिरामन के भाषण से सहमत हूं तथा यह कह सकता हूं कि अब खाद्यान्नों के संबंध में जनता में विश्वास पैदा हो गया है।

स्थिति में जो वर्तमान सुधार हुआ है उसके कई कारण हैं । उसका पहिला कारण यह है कि देश में इस वर्ष खाद्यान्नों का उत्पादन सबसे अधिक हुआ है । यद्यपि सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तो भी यह अनुमान लगाया गया है कि इस वर्ष देश में खाद्यान्नों की उपज ७·६ करोड़ टन से अधिक ही होगी ।

चावल का उत्पादन ३३७ लाख टन हुआ है । उपलब्ध जानकारी से यह ज्ञात हुआ है कि गेहूं का उत्पादन १ करोड़ टन के करीब होगा । ज्वार बाजरे की पैदावार में वृद्धि नहीं हुई, जो कि गेहूं और चावल की पैदावार में हुई । इसमें संदेह नहीं कि प्रकृति ने भी हमारी सहायता की तथापि हमें यह स्वीकार करना होगा कि कृषि मंत्रालय, सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालय द्वारा की गई कार्यवाही से भी मदद मिली है । पिछले दस वर्षों में यदि चावल के आंकड़ों की तुलना की जाय तो ज्ञात होगा कि चावल के उत्पादन में ५० प्रतिशत की वृद्धि हुई है । गेहूं का उत्पादन १९५१-५२ में केवल ६० लाख टन था जो अब बढ़ कर १ करोड़ टन हो गया है । १९५१-५२ में खाद्यान्नों की कुल पैदावार मोटे तौर पर ५·१ करोड़ टन थी जो अब बढ़ कर ७.६ करोड़ टन हो गई है । इससे ज्ञात होता है कि खाद्यान्नों की पैदावार में ५० प्रतिशत की वृद्धि हुई है । तथापि आंकड़ों तथा अनुमानों की गलती इत्यादि के लिये कुछ छूट देने के उपरांत हमने यह स्वीकार किया है कि वास्तविक वृद्धि ३१ प्रतिशत हुई है ।

१९६१ की जनसंख्या के अनुसार देश की कुल जनसंख्या ४३.८० करोड़ है इस प्रकार १९५१ की तुलना में जनसंख्या में २१·५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

उक्त अनुमान के अनुसार खाद्य उत्पादन में ३० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार खाद्य उत्पादन की वृद्धि जनसंख्या के उत्पादन से अधिक रही है । तथापि जहां तक पूर्वी क्षेत्र के राज्यों का संबंध है वहां की जनसंख्या में २५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि उत्पादन में केवल १९ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । तथापि हम आशा करते हैं कि निकट भविष्य में पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों में भी भारत के अन्य राज्यों की तरह खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होगी ।

तीसरी परियोजना के लिये खाद्यान्नों के लक्ष्य निर्धारित करते समय हमने जनसंख्या की वृद्धि को भी ध्यान में रखा है । तृतीय योजना के अनुसार खाद्यान्नों की उपज का लक्ष्य १९५५-५६ में १० करोड़ टन रखा गया है । यह लक्ष्य इस आधार पर रखा गया था कि आबादी तब तक ४३·८० करोड़ हो जायेगी तथापि आंकड़ों के अनुसार १९६५-६६ तक कुल आबादी ४९ करोड़ हो जायेगी । १० करोड़ टन खाद्यान्न से प्रति व्यक्ति १७¹/₂ औंस खाद्यान्न उपलब्ध हो सकेगा । मेरे विचार से यह हमारी आवश्यकतायें पूरा करने के लिये काफी होगा ।

जहां तक कीमतों का संबंध है स्थिति में कुछ सुधार हुआ है तथापि मैं सभा को नवीनतम कीमतों के संबंध में जानकारी देना चाहता हूं । श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने चढ़ती हुई कीमतों के बारे में कहा है और यह आरोप लगाया गया है कि मंत्रालय कीमतों को स्थिर रखने में असफल रहा है ।

१ अप्रैल १९६१ में गेहूं की थोक कीमतों का देशनांक ९०·७ था जब कि पिछले साल यह देशनांक ९२ था । अगस्त १९६० में चावल की कीमतों का देशनांक ११५·३ था जो गिर कर १ अप्रैल में १००·९ हो गया । पिछले वर्ष खाद्य पदार्थों का देशनांक

[श्री अ० म० थामस]

१०६.३ था जो इस वर्ष १ अप्रैल को घट कर ९९.९ हो गया था । यद्यपि किसी किसी क्षेत्र में अभी भी कीमतें काफी ऊंची हैं तथापि यदि सारे देश की कीमतों पर मोटे तौर पर लेवें तो उनमें अधिक वृद्धि नहीं हुई है । साथ ही में यह भावना भी दूर कर देना चाहता हूं कि कीमतों में इतना गिराव नहीं हुआ है कि वे किसानों के लिये अलाभकारी हो गयी हैं ।

जहां तक पी० एल० ४८० के अधीन हुए समझौतों का, जिनमें सबसे अंतिम समझौता ३ मई १९६० को हुआ, संबंध है, मेरे लिये यह आवश्यक है कि मैं सभा को यह बताऊं कि उत्पादन के बावजूद भी हमें आयात में वृद्धि करने की आवश्यकता क्या हुई है । हमें यह स्वीकार करना होगा कि आबादी में वृद्धि हुई है । यह वृद्धि हमारे अनुमान से अधिक है । नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हमारी जनसंख्या ४३.८० करोड़ है ।

दूसरा तथ्य यह है कि विकास योजनाओं के कारण लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हो गयी है । तीसरे हमारे लिये आपातकाल के लिये व्यवस्था करना भी आवश्यक है । साथ ही हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि खाद्यान्नों की कीमत देश की अर्थव्यवस्था की आधारभूमि है । अतः यह आवश्यक है कि उपयुक्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हों जिससे कि कीमतों में उतार चढ़ाव न हो सके ।

जहां तक पी० एल० ४८० समझौते का प्रश्न है हमने यह नहीं कहा है कि यह अमेरिका की उदारता का नमूना है । इस समझौते की भूमिका में भी यही लिखा गया है कि यह दोनों पक्षों के लाभ के लिये किया गया है । निसंदेह इसके द्वारा अमेरिका अपने आधिक्य की समस्या हल कर रहा है । इस बात का इस समझौते में भी उल्लेख किया गया है । इसके द्वारा अमेरिका की खेती का स्थायित्व बना रहता है । इतना ही नहीं इसके द्वारा प्राप्तकर्ता देश की प्रगति और विकास की गति में स्थिरता आती है । यदि इसके उपबन्धों का बारीकी से अध्ययन किया जाय तो यह ज्ञात होगा कि इससे प्राप्त-कर्ता देस को कई लाभ होते हैं । माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि क्या इन शर्तों के अधीन किसी अन्य देश से आयात करने का प्रयत्न किया गया है । मैं स्पष्ट रूप से यह बता देना चाहता हूं कि इन शर्तों पर किसी भी अन्य देश से आयात प्राप्त करना असंभव है । अतः यदि कीमतों को स्थायी रखने के लिये तथा आपातकाल के प्रयोजन के लिये बड़े पैमाने पर आयात करना आवश्यक हो और हमारे पास उसके लिये विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं हो तो हमें इस आयात की कीमत अपनी मुद्रा में अर्थात रुपयों में देनी होती है । इस समझौते के अधीन यही किया गया है ।

इस राशि के उपयोग के सम्बन्ध में भी हमें यह जानना चाहिये कि हमें इससे क्या विशेष लाभ प्राप्त होते हैं । पहिले के पी० एल०-४८० समझौते के अधीन ८० प्रतिशत निधि का उपयोग प्राप्तकर्ता देश को ऋण या उपदान के रूप में देने में किया जाता था । इस समय इसका प्रतिशत बढा कर ८५ प्रतिशत कर दिया गया है । इस राशि का ५० प्रतिशत ऋण और ५० प्रतिशत उपदान के रूप में दिया जायेगा । अवशेष १५ प्रतिशत में से १० प्रतिशत का उपयोग अमेरिकी व्यय के लिये किया जायेगा और अवशेष ५ प्रतिशत का उपयोग अमरीकी सरकार गैर-सरकारी उद्योगों द्वारा इस देश में करेगी ।

पी० एल०-४८० के अधीन किये गये आयातों का तात्कालिक प्रभाव स्फीति को रोकने वाला सिद्ध होगा । क्योंकि वह खाद्यान्नों की राशि को बेचते हैं और तब उस रुपये को वापस ले लेते हैं । प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि बाद में आर्थिक विकास के लिये उसका उपयोग होने पर इसका क्या प्रभाव होता है । इस संबंध में यह ध्यान रखना चाहिये कि इस राशि को भी देश में तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये उपलब्ध संसाधनों का हिसाब लगाते समय शामिल किया गया है । अतः तीसरी पंच वर्षीय योजना के दौरान देश में विकास कार्यों के लिये इसका उपयोग किया जायेगा ।

यदि माननीय सदस्य वित्त मंत्रालय द्वारा परिचालित 'वैदेशिक सहायता' शीर्षक पुस्तिका पढ़ेंगे तो उन्हें ज्ञात होगा कि इस प्रतिरूप निधि में से चम्बल परियोजना, हीराकुड परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना तथा कई अन्य परियोजनाओं को सहायता दी जा रही है । अवशेष ५ प्रतिशत भी जिसे कूली संशोधन के अधीन पृथक रख दिया गया था उसे भी देश के भीतर विकास कार्यों में व्यय किया जायेगा । इससे मैसूर सीमेंट, हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम निगम तथा प्रीमियर टायर्स को सहायता दी जायेगी । इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि यह समझौता बहुत लाभकारी है ।

यदि हम अपनी मुद्रा में खाद्यान्नों का आयात करने में समर्थ भी हो जांय तो उनके आयात में जहाजी भाड़ा क्या लगेगा । पी० एल०-४८० के अधीन अमेरिकी जहाजों को दिया जाने वाले भाड़े का ५० प्रतिशत रुपयों में दिया जा सकता है और वह पी० एल० ४८० निधि के अधीन माना जायेगा । यह राशि लगभग ४० करोड़ रुपये होगी ।

माननीय सदस्य ने यह कहा है कि यह राशि ४० वर्षों में चुकायी जाने वाली है और इस पर हमें ४ प्रतिशत ब्याज देना होगा । उन्होंने कहा है कि अमेरिकी गेहूं की दरों में भी अन्तर है । इसमें सन्देह नहीं है कि आस्ट्रेलिया का गेहूं सस्ता है । तथापि हमें गेहूं के प्रकार की ओर भी ध्यान देना है । आस्ट्रेलिया का गेहूं अधिक समय तक रखे जाने योग्य नहीं होता है । अमेरिकी गेहूं अधिक समय तक रखा जा सकता है । इसमें प्रोटीन की मात्रा भी आस्ट्रेलियन गेहूं से अधिक रहती है ।

कनाडा का गेहूं अमेरिकी गेहूं से अधिक महंगा होता है । तथापि चीन ने २० लाख टन गेहूं का कनाडा से आयात किया है वे २० लाख टन और अधिक आयात करने वाले हैं इस गेहूं की कीमत उनको डालर में चुकायी जायेगी ।

विश्व के अन्य देशों को जो गेहूं बेचा जाता है उसकी कीमत भी वही होती है जो कि पी० एल०-४८० के अधीन दिये गये गेहूं की होती है । अतः इन सब बातों पर विचार करने के उपरांत श्री वें० प० नायर के तर्क कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं ।

मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि इस आयात से खाद्यान्नों के क्षेत्र में हमारी स्थिति मजबूत हुई है । अतः अब इस प्रकार के आन्दोलन होने बन्द हो गये हैं जैसे कि पहिले पश्चिमी बंगाल में हुए थे ।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन ने यह कहा है कि खाद्य मंत्रालय को चाहिये कि वह लोगों की खाद्य संबंधी आदतें बदलने का प्रयत्न करे । उन्होंने कहा है कि चावल खाने वालों को गेहूं खाने को कहना तब तक लाभदायक सिद्ध नहीं होगा जब तक कि आप उन्हें यह विश्वास न दिला दें कि ऐसा करने से उनका ही लाभ होगा । निःसंदेह भोजन संबंधी आदतों में परिवर्तन करना भोजन को

[श्री अ० म० थामस]

अधिक पुष्टिकारक बनाने के हित में है। हम ने मंत्रालय में काफी बड़े पैमाने पर रक्षित भोजनों के विकास तथा उनको लोकप्रिय बनाने का काम अपने हाथ में लिया है। श्री वें० प० नायर ने पशु पालन तथा मत्सयपालन के विकास की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाया है। वस्तुतः शाकाहारी व्यक्तियों के हित में हमें कई ऐसे खाद्यान्नों को लोकप्रिय बनाना चाहिये जिनका हम उत्पादन करते हैं। इस संबंध में गवेषणायें और खोज की जानी चाहियें। प्रशासनिक प्रतिवेदन में उन कार्यक्रमों जिक्र किया गया है जो सहायक खाद्य पदार्थों के विकास के लिये किये जा रहे हैं। अतः मैं यह बताना चाहता हूं कि हमें इन के महत्व का पता है। इन कार्यक्रमों को आरम्भ करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिये खाद्य मंत्रालय में एक टैक्निकल विभाग खोला गया है। एक वैज्ञानिक खाद्य सलाहकार तालिका भी बनायी गयी है जिसके कार्य इस प्रकार होंगे (१) खाद्यान्नों की खपत की प्रणाली में इस आशय से परिवर्तन करना कि खाद्य पदार्थों पर निर्भरता कम हो तथा भोजन अधिक पुष्टिकारक और संतुलित हो (२) तैयार किये जाने वाले सहायक पदार्थों के उत्पादन और खपत संबंधी टेक्नीकल समस्यायें (३) वैज्ञानिक अनुसंधान के परिणामों का व्यावहारिक प्रयोग।

पुष्टि संबंधी समस्याओं तथा राष्ट्रीय पुष्टि सलाहकार समिति के संचालन अंगों के रूप में कार्य करने के लिये खाद्य मंत्रालय में एक पुष्टि विभाग की स्थापना की गयी है। इस संबंध में स्वेच्छा संस्थाओं को भी सहायता दी जा रही है। तीसरी योजना में सहायक खाद्यों की व्यवस्था करने के लिये ८ करोड़ रुपयों का उपबंध किया गया है। इस वर्ष के बजट में इस प्रयोजन के लिये ७४ लाख रुपये रखे गये हैं।

मैं श्री चे० रा० पट्टाभिरामन से इस बात में सहमत हूं कि खाद्यान्नों के लिये उपयुक्त भांडागारों की आवश्यकता है। तथापि यह आवश्यक नहीं है कि ये गोदाम केवल गांवों में ही हों। खाद्यान्नों के आयात, रक्षण, वितरण, तथा यातायात को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि सभी औद्योगिक नगरों तथा बन्दरगाहों में भी इसकी व्यवस्था की जाय। इस समय हमारे पास २२.९७ लाख टन की भांडागार क्षमता है। जिस में से खाद्य विभाग के पास ५.८० लाख टन की क्षमता है। इस में अभी हाल वृद्धि हो जायेगी और इस प्रकार यह क्षमता ७.३६ लाख टन हो जायेगी। हम ने १५.८१ लाख टन की क्षमता किराये पर ली हुई है। २७ लाख टन की क्षमता के गोदाम बनाने के संबंध में अंतिम निश्चय किया जा चुका है। कार्यक्रम के अधीन सरकार के पास गोदामों की क्षमता बढ़ कर ८ लाख टन हो जायेगी। इस के लिये तृतीय योजना में ३५ करोड़ का उपबंध किया गया है। हमने अपने विभाग में जो पुनर्गठन किया है उस से आशा है कि निर्माण की गति वांछनीय स्तर तक आ सकेगी। खाद्य विभाग के मुख्य इंजीनियर का कहना है कि वह इस वर्ष इस संबंध में ७.५ करोड़ रुपये व्यय कर सकते हैं।

केन्द्रीय भांडागार निगम के अधीन हम ने गांवों में गोदामों के निर्माण का कार्यक्रम बनाया है। इस से किसानों को सहायता मिल सकेगी। हम इस बात का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि गांव गांव में भांडागारों की स्थापना हो सके। श्री मा० कृ० गायकवाड ने कहा है कि हम गांवों

में सस्ते अनाज की दुकानें नहीं खोल रहे हैं। इस संबंध में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सस्ते अनाज की दुकानें खोलना राज्य सरकारों का कार्य है। वे क्षेत्र विशेष की आवश्यकता को देखते हुए वहां दुकानों को खोलते हैं। तथापि यह भी आवश्यक होता है कि नगर तथा औद्योगिक केन्द्रों में अनाज की कीमतें नीची रखी जायें। जबकि गांवों में भूमिहीन श्रमिकों को खाद्यान्न के रूप में भी मंजूरी देने की प्रथा है। मेरे माननीय मित्र ने एक ओर तो यह कहा है कि किसानों को खाद्यान्नों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और दूसरी ओर यह कहा कि गांवों में सस्ते अनाज की दुकानें खोलनी चाहियें। गांवों में सस्ती अनाज की दुकानों से हमें यह अनुभव हुआ है कि वहां अनाज की पर्याप्त बिक्री नहीं होती है।

†**श्री पु० र० पटेल** (मेहसाना) : मैंने कहा है कि आप किसानों को ज्यादा दें।

†**श्री अ० म० थामस :** किसान के हितों की रक्षा करने के लिए खाद्यान्नों के वितरण में से लाभ प्राप्त करना वांछनीय नहीं है। यही सामान्य नीति है।

†**श्री पु० र० पटेल :** लाभ का प्रश्न नहीं। आप अनाज का आयात करके किसानों के लिए मूल्यों को सस्ता कर रहे हैं।

†**श्री अ० म० थामस :** गेहूं का मूल्य १४ रुपये प्रति मन है। हम इस के विक्रय से कोई लाभ कमाना नहीं चाहते। चावल के मूल्य में राज सहायता का अंश विद्यमान है। प्रासंगिक व्यय के अलावा यह दो रुपया प्रति मन तक बैठेगा। माननीय मित्र को लागत की तरफ से भय नहीं होना चाहिये। मंगवाये गये गेहूं में पौष्टिक तत्व काफी है और जनता भी इसे पसंद करती है। इसी कारण हम यद्यपि १४ रुपये प्रति मन के हिसाब से वितरण कर रहे हैं तथापि इसके मूल्य बढ़ गये हैं। गुजरात में इसका मूल्य २६ रुपये प्रतिमन है। देशी गेहूं का मूल्य १७, १८ और १९ रुपये मन तक हो चला है। नियंत्रित मूल्य से देशी गेहूं के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कुछ क्षेत्रों में मूल्य १६/१७ रुपये प्रति मन है और तब भी हमें इसे खरीदना पड़ रहा है। आप दिल्ली में गेहूं के मूल्यों की बाबत पूछिये।

†**श्री पु० र० पटेल :** स्थानीय उत्पादन के आंकड़ों के बारे में क्या कहते हैं आप ?

†**श्री अ० म० थामस :** माननीय मित्र श्री बलराज मधोक वनस्पति के बारे में काफी कुछ बोले। जिस समय इस पर चर्चा हुई वह यहां नहीं थे। मैंने सब चीजों का उत्तर दे दिया है तथापि कुछ तर्क बार-बार दिये जा रहे हैं।

गन्ने और चीनी के मूल्यों के प्रश्न पर काफी कुछ कहा गया है। मेरे वरिष्ठ साथी इन सब बातों का उत्तर देंगे। मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि स्थिति चिन्ताजनक नहीं है। उस दिशा में भी उपर्युक्त कार्यवाही की जायगी।

†**श्री बें० प० नायर :** मैं बताना चाहता हूं कि मैंने जो आंकड़े आदि सभा के समक्ष बताए हैं ये सब एफ० ए० ओ० के प्रतिवेदन से लिए हैं।

†**डा० सुशीला नायर** (झांसी) : खाद्यान्नों के बारे में संतोष पैदा करना ही खाद्य मंत्री की बड़ी सफलता है। आज की स्थिति में यह कहना भी उपयुक्त नहीं है कि हमें बाहर के

†मूल अंग्रेजी में

[डा० सुशीला नायर]

देशों से अनाज का आयात नहीं करना चाहिए। किन्तु इसी के साथ साथ जब हम यह सोचते हैं कि अब हमें शायद हमेशा ही अनाज का आयात करना पड़े तो हमें निराशा होती है। मुझे याद है कि एक बार अमरीका में हमारे प्रधान मंत्री ने बताया था कि हम आगे चलकर अनाज का आयात नहीं करेंगे।

[श्री मूल चन्द दुबे पीठासीन हुए]

इस कारण हमें अब उत्पादन पर भी जोर देना चाहिए। मंत्री महोदय ने बताया है कि हम ने अनाज के उत्पादन को डेढ़ गुना बढ़ाया है परन्तु एफ० ए० ओ० के प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि अनाज के उत्पादन में २० लाख टन तक की ही वृद्धि हुई है जो बड़ी भारी चीज नहीं है।

हम उत्पादन को बढ़ाने के लिए ही मुख्य सिंचाई योजनायें कार्यान्वित कर रहे हैं परन्तु मेरा विचार है कि हमें छोटी योजनाओं की भी बड़ी भारी आवश्यकता है।

यह बात भी कही जाती है कि किसानों के आगे कोई उज्ज्वल भविष्य का प्रांगन नहीं है इस कारण वह नकद फसलों को ही प्राथमिकता देता है। परन्तु क्या हमारी सरकार वैज्ञानिक आधार पर कोई ऐसी योजना तैयार नहीं कर सकती जिस से कि सारी कृषि का कार्य क्रम ही समन्वित ढंग पर चले। कृषि की लागत का अंदाज भी वैज्ञानिक आधार पर लगाया जाये।

पंजाब का उदाहरण हमारे सामने है, वहां एक ओर अधिक भूमि में खेती की जा रही है और दूसरी ओर भूमि के कटाव से उतनी ही भूमि समाप्त होती जा रही है। यह चीज बड़ी खतरनाक है। सरकार को इस का भी उपचार करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सरकार को उतने ही अनाज का आयात करना चाहिए जितने को यह संभाल कर रख सकती है। बहुत सा अनाज पहले जाया हुआ है।

जहां तक चीनी का संबंध है, यह पता चला है कि सरकार नियंत्रण हटाने के पक्ष में नहीं क्योंकि इस से उत्पादकों को हानि होने की आशंका है। किन्तु उपभोक्ताओं के हित को कौन देखेगा। चीनी पर आप जो शुल्क लगाते हैं उसका वास्तविक भार उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है। इसलिए उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान भी रखना चाहिए। यद्यपि अनाज के मूल्य स्थायी रहे हैं तथापि इन का निर्धारण लागत के आधार पर होना चाहिए ताकि किसानों के हितों की रक्षा हो सके। ग्राम विकास आदि कार्य करने और सिंचाई की छोटी योजनाओं के निष्पादन के लिए सामुदायिक विकास और सलाहकार मंत्रालय को खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है। इस के अलावा किसानों को ऋण संबंधी सुविधाएं दिलाने की व्यवस्था भी करनी चाहिए, चाहे वह सहकारी संस्थाओं के रूप में हो या अन्य किसी रूप में।

जन संघ के माननीय सदस्य ने गाय के लिए श्रद्धा प्रदर्शित करते हुए सभा में बड़ी भावुक वाणी का प्रयोग किया। यदि उन लोगों को गौ से वास्तविक श्रद्धा है तो उन्हें आगे आकर गो-रक्षा के लिए वास्तविक काम करना चाहिए।

सुश्री मणिबेन पटेल (आनन्द) : श्रीमन्, हम जाना चाहते हैं कि चीनी के बारे में सरकार ने क्या सोचा है । यह मामला इतना गम्भीर बन रहा है कि अगर इस का कोई रास्ता नहीं निकाला जायेगा, तो अगले साल गन्ने की पैदाइश क्या होगी, यह बड़ी समस्या होगी । इस का एक कारण यह भी है कि जितनी चाहिए, उतनी गन्ने की क्वालिटी और शूगर परसेंटेज की क्वान्टिटी को सुधारने की कोशिश नहीं की गई है । मुझे ऐसा लगता है कि जो सैस प्रथम उत्तर प्रदेश में गन्ने की क्वालिटी सुधारने के लिये लगाया गया था, वह जनरल रेवन्यू में डाल दिया गया और संशोधन के लिये उस का उपयोग नहीं किया गया, इस कारण यह हुआ है ।

मैं यह भी जानना चाहती हूं कि हिन्दुस्तान में खाली दो फैक्ट्रियों के चीनी के दाम क्यों ऊंचे रखे गये हैं । उस का कारण क्या है ? सब को एक प्रकार से न्याय करने के अलावा दो फैक्ट्रियों के अलग दाम तय करने, उन को ज्यादा प्राइस देने का कारण क्या है, यह हम समझना चाहते हैं ।

हम कई सालों से करोड़ों रुपये का अन्न बाहर से ला रहे हैं उस में शिपिंग में भी काफी रुपया खर्च करना पड़ता है । क्या माननीय मंत्री को ऐसा नहीं लगता है कि अगर इस का दस फीसदी भी किसानों को इन्सेन्टिव के लिये दिया गया होता, तो अन्न की समस्या ज्यादा जल्दी हल हो सकती थी । आज किसान को मौसम पर बीज और खाद नहीं मिलता है । कई दफा उस को खाद और बीज लेने के लिये हेड-क्वार्टर्ज पर जाना पड़ता है, तब भी उस को पूरा नहीं मिलता है । तो कुछ ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये कि मौसम से पहले ठीक समय पर किसानों को खाद और बीज मिल जाये । बड़े बड़े किसानों को तो मिलता है, लेकिन छोटे छोटे किसानों को भी मिले, इस का हर जगह प्रबन्ध करना चाहिए । ऐसा एक दो प्रान्तों में हो, यह काफी नहीं है ।

डेयरी उद्योग के बारे में भी मैं कुछ समझना चाहती हूं । हर जगह बड़ी बड़ी डेयरीज खोली जा रही हैं, यह बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उस के पीछे केवल यही विचार नहीं होना चाहिये कि शहरों को, नगरवासियों को अच्छा दूध मिले और होना भी नहीं चाहिये : डेयरी के उद्योग से किसान को लाभ हो, एक पूरक धन्धे की हैसियत से उस को काम मिले, उस की कैटल वैल्थ अच्छी हो, उस का दूध बढ़े, इस के लिये क्या कुछ किया जाता है ?

इस के अलावा मैं देखती हूं कि करोड़ों रुपये से बाहर से मिल्क पाउडर लाया जाता है, क्योंकि डेयरी की और प्राडक्ट्स बनाना चाहते हैं । जरूर बनाइये । बाहर से दूध के जो पाउडर आते हैं, वे बन्द होने चाहिएं, और हमारे यहां जो दूध है, वह कैसे बढ़े, इस विषय में सोचना चाहिये । यहां पर काफी दूध बढा है, लेकिन उस को किस तरह से जमा किया जाय और डेयरी की तरफ लाया जाय, यह भी देखना चाहिये, न कि करोड़ों रुपयों का पाउडर ला कर बड़ी बड़ी डेयरियां अच्छी तरह से चलें, इस पर सरकार की और अफसरों की शक्ति खर्च की जाय । आज जरा हिसाब लगायें कि कितना दूध का पाउडर बाहर से आता है कितने दिनों के बाद उस को न लाया जायगा, क्या इसका प्रोग्राम बनाया गया है ? जहां जहां सरकार ने डेयरीज बनाई हैं, वहां किस किस गांव के किसानों को फायदा हुआ, वहां सहकारी ढंग पर दूध लाने की क्या कोशिश की गई, इस पर माननीय मंत्री निगाह डालें और ठीक प्रबन्ध करें ।

[सुश्री मणिबेन पटेल]

हमारे यहां कई चीजें होती हैं, परन्तु उन का ठीक उपयोग हो, प्रिजर्वेशन हो, छोटे छोटे उद्योगों की तरह से, घरों में भी प्रिजर्वेशन किया जा सके, ऐसा कुछ किया गया है ? आसाम में कितने संतरे होते हैं, कितना पाइन एपल होता है और उनका कितना नाश होता है, इसका आप अन्दाजा लगायें । परन्तु बड़ी फैक्टरियों में यह समस्या हल नहीं की जा सकती है । अगर हर घर में उसको प्रिजर्व करके नहीं रखा जा सकता है, प्रिजर्वेशन प्लांट नहीं डाले जा सकते हैं तो कम से कम हर देहात में आप डाल दें । जिसके पास दो पेड़ हैं, चार पेड़ हैं या दस पेड़ हैं उसके सामने जो समस्या उत्पन्न होती है, वह हल हो सकेगी । उसको उनका ठीक से दाम मिले और उसकी वस्तु का नाश न हो, इसके बारे में आपने क्या किया है, यह मैं आपसे समझना चाहती हूं।

रुई की बात अब मैं कहना चाहती हूं । मेरी राय है कि जो भी दाम रूई के आपको तय करने हों, जो भी सीलिंग लगानी हो, वह मौसम के पहले लगा देनी चाहिये ताकि किसान को पता चल सके कि उसको बोने से उसे लाभ होगा या नहीं। आज आपने रूई के दामों पर सीलिंग लगाई है और उसके साथ जबर्दस्ती की है कि इतना दाम उसको लेना पड़ेगा, इससे ज्यादा दाम नहीं मिलेगा परन्तु उसके पास तो पैसा नहीं है कि वह उसको होल्ड कर सके और देख सके कि कब उसे अच्छे दाम मिलें और कब वह अपनी रूई बेचें । उसके ऊपर तो आपने पाबन्दी लगा दी है कि इससे ज्यादा पैसे उसको नहीं मिल सकते हैं लेकिन व्यापारी और मिल वाले के ऊपर आपने कोई ऐसी पाबन्दी नहीं लगाई है कि उसको इस दाम से वह रुई खरीदनी पड़ेगी या कपास खरीदनी पड़ेगी। आज किसान के पास कपास पड़ी हुई है, जिनिंग फैक्टरी में रूई बड़ी पड़ी हुई है और थोड़े दिन के बाद वारिश आएगी लेकिन मिल वाले और व्यापारी लोग आज लेते नहीं है और सोचते हैं कि आपने जो सिलिंग लगाई है उससे कम दाम पर वह खरीद सकेंगे । कहां तक किसान उसको रख सकता है ? उसको मजबूर हो कर कम दाम पर देनी पड़ेगी । मैं चाहती हूं कि इसका भी कोई बन्दोबस्त आप करें ।

तम्बाकू के बारे में मैं पांच सात साल से बराबर कोशिश कर रही हूं। यह मामला अभी तक हल नहीं हुआ है । जब मैं अफसरों को या मिनिस्टर साहब को वहां ले जाती हूं तब तो वे लोग मानते हैं, कबूल करते हैं कि इसको ठीक करना चाहिये क्योंकि इससे किसान को तकलीफ होती है और सरकार को भी पूरा रेवेन्यू नहीं मिलता है

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

परन्तु जब वे वहां से यहां आते हैं तो क्या होता है, क्या कायदे कानून हैं, मुझे पता नहीं है । वह चीज उसी तरह से चल रही है और आज तक भी मामला तय नहीं हुआ है। मेरी विनती है कि एग्रिकल्चर मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिल कर के तम्बाकू का मामला तय करे और जहां तक कपास का सम्बन्ध है, उसके दाम--कामर्स मिनिस्ट्री से मिल कर के ठीक करे ताकि किसानों को नुकसान न हो ।

हमारे यहां ईश्वर की कृपा से आबोहवा हर प्रकार की अच्छी है, धरती भी है, मौसम भी अनुकल है और हमें कई चीजों की जरूरत है जिनको कि हम बाहर से बराबर लाते रहते हैं। ये जो चीजें हैं इन के बारे में रिसर्च करके पता लगाया जाना चाहिये कि ये यहां हमारे देश में कहां पैदा हो सकती हैं। केशर है यह केवल एक जगह ही होता है, काश्मीर में । इससे हमारा काम नहीं चलता है, इतना ही बस नहीं है, काफी केशर आज भी बाहर से आता है। इसी तरह से हींग है जो अफगानिस्तान में पैदा होती है लेकिन हमारे यहां उसका सबसे

अधिक उपयोग होता है। उसको यहां पैदा करन की कोशिश की जानी चाहिये। उसके लिए हमारे यहां उपयुक्त मौसम और हवा है। इसी तरह से कोको है और कई दूसरी चीजें हैं। अगर हम इनके बारे में जरा रिसर्च करें तो हमारे जो किसान पहाड़ों पर रहते हैं वे इनको पैदा कर सकते हैं जिससे उनको धंधा मिल सकता है, पैसा मिल सकता है और साथ ही साथ हमारा जो फारेन एक्सचेंज है, वह भी बच सकता है।

आपने क्या कभी सोचा है कि रेल का जो फ्रेट है, वह फल के मुकाबले में सब्जी पर अधिक लिया जाता है और इसका क्या रहस्य है? पहले जब अंग्रेजों का यहां राज्य था, तो कई साल पहले कलकत्ता राजधानी थी और जो वायसराय हुआ करते थे और जो बड़े-बड़े अफसर होते थे उनको खाने के लिए फलों की आवश्यकता पड़ती थी। चूंकि फल कलकत्ते में पैदा नहीं होते थे, इस वास्ते वहां वे दूर-दूर के स्थानों से जाते थे और इसी वजह से फलों के लिए फ्रेट कम था और आज भी कम है। पर सब्जी तो आस पास होती थी और सब्जी का फ्रेट अधिक है। आज ऐसी परिस्थिति है कि सब्जी दिल्ली से अहमदाबाद तक जाती है, बम्बई तक जाती है और वहां से और जगहों पर जाती है। आसपास की जगहों पर जो पैदा होती है, वह भी इसी तरह से आती जाती है। सब्जी पैदा करने वाले फलों के बड़े बड़े बगीचों के मालिकों जैसे नहीं हैं। वे छोटे छोटे किसान हैं। परन्तु उनसे फ्रेट चार्जिज अधिक लिये जाते हैं। उसमें अजीब तरीका है कि पपीता अगर कच्चा हो तो सब्जी में माना जाता है, पका हो तो फल में माना जाता है। इसी तरह से केले कच्चे हों तो सब्जी और पके हों तो फल। नींबू फलों में नहीं आते हैं, सब्जी में आते हैं, इसलिए उसके फ्रेट अधिक लिए जाते हैं। बेचारे किसान लोग और व्यापारी रेलवे मिनिस्ट्री से कई सालों से इसके बारे में मेहनत कर रहे हैं परन्तु रेलवे मिनिस्ट्री सुनती नहीं है। मेरी आपसे विनती है कि आप इसके बारे में रेलवे मिनिस्ट्री से मिल कर तय कीजिये और सब्जी का जो फ्रेट रेट है, उसका एक ही दाम तय कराइये जोकि फलों का है। आज छोटे-छोटे किसान काफी सब्जी पैदा कर देते हैं और हमारे लोग आज सब्जी काफी खाने लगे हैं और यह एक जगह से दूसरी जगह काफी मात्रा में जाने भी लग गई है। इसका ठीक से बन्दोबस्त रेलवे में होना चाहिये। फलों और सब्जियों का, दोनों का करीब-करीब १५—२० परसेंट रेल में नुक्सान होता है क्योंकि उनका हेंडलिंग ठीक नहीं होता है। आप रफ्रिजरेटिड वैगंज तो नहीं दे सकते हैं, वेंटीलेटिड वैगंज तो दे सकते हैं। ऐसी वैगंज देने का आपको प्रबन्ध करवाना चाहिये जिससे कम से कम फल और सब्जी का नुक्सान हो।

हमारे विरोधी पक्ष के एक भाई ने गो-रक्षा की बात कही है। मैं पूछना चाहती हूं कि जो लोग गो-रक्षा की बात करते हैं, उनमें से कितने लोग हैं जो गौ का पालन करते हैं और किस तरह से करते हैं, कितने लोग गाय का दूध पीते हैं, गाय का घी खाते हैं और कितने लोग उसमें से चीज नहीं खाते हैं। चीज के अन्दर एक प्राडक्ट होता है जिसको रेनेट कहते हैं जो कि चीज को प्रिजर्व करने के काम में आता है। गाय के बछड़े की आंत से, एक बहुत ही नाजुक भाग से वह निकलता है। हमारे लोग जानते नहीं है और बड़े-बड़े चुस्त ब्राह्मण लोग भी यह चीज खाते हैं। ये जो बहुत बार गो-रक्षा के बारे में चिल्लाते हैं, उनमें से कितने लोग ऐसी दवाओं का उपयोग नहीं करते जिनमें गाय की कोई न कोई चीज नहीं होती है, यह सब देखने की जरूरत है चिल्लाने के पहले। हां यह मैं मानती हूं कि गाय के बारे में ज्यादा हमको करने की जरूरत है। परन्तु यह मिनटों में नहीं हो सकता है, कोई

[सुश्री मणिबेन पटेल]

मशीन की बात नहीं है। गाय की औलाद सुधारनी है तो उसमें काफी समय लगेगा। परन्तु इसमें भी हमारी गवर्नमेंट किसानों को कुछ इंसेंटिव दे सकती है। जो लोग गाय को और बुल को अच्छी तरह से रखे, उनको वह कुछ इंसेंटिव दे सकती हैं। बुल का अच्छी तरह से पालन न करने की वजह से गाय की औलाद गिर गई है। जिस गांव के अन्दर या घर के अन्दर बैल को अच्छी तरह स रखा जाए, गाय को अच्छी तरह से रखा जाए, जो किसान अच्छी तरह से अपनी गाय को रखे और हर साल उस गाय का दूध बढ़ता जाता हो, उसको कुछ न कुछ इंसैंटिव देने की अगर योजना की जाए तो मैं मानती हूं कि गाय की हालत, आज नहीं मगर एक लम्बे अर्से के बाद, पचास साल के में, हम सुधार सकने में सफल हो कसते हैं। इसके लिए एक लम्बा प्रोग्राम आपको बनाना होगी, ऐसी मेरी राय है।

†**श्री इंद्रजीत लाल मल्होत्रा** (जम्मू तथा काश्मीर): श्रीमान, यद्यपि इस वर्ष अनाज की स्थिति पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ ठीक दिखायी देती है तथापि हमें अपने प्रयन्न नहीं छोड़ बैठने चाहिएं। इस वर्ष रबी की फसल अच्छी नजर आती है। उसका कारण यही है कि इस वर्ष प्रकृति नें देश पर कृपा दृष्टि रखी है।

इस प्रसंग से अनाज के मल्यों का प्रश्न भी उठ खड़ा होता है। यह ठीक है कि किसान देशभक्त हैं और वह अधिकाधिक अनाज पैदा करने को कोशिश करेंगे परन्तु सरकार का यह कर्तव्य है कि वह मूल्यों को एक निश्चित सीमा से नीचे न गिरने दे ताकि किसान को अपनी मेहनत का फल मिल जाय। फोर्ड फाउंडेशन के एक दल का कहना है कि किसानों को कम से कम उतनी रकम तो अवश्य ही मिलनी चाहिये जिससे वे नयी चीजों को खरीदकर खेती की उपज बढ़ाने के काम में लगा सकें।

देश में अनाज के मूल्यों को स्थायी रखने की दृष्टि से सरकार अमरीका से गेहूं का आयात करती है किन्तु फिर उसको बाजार में फैलाकर स्टाक में देसी गेहूँ रखा जाता है। मूल्यों की दृष्टि से यह चीज ठीक है किन्तु इस बात का ध्यान अवश्य रखना होगा कि कहीं किसान इसी गहूँ को बोने न लगें। यह गेहूं यहां पैदावार न देगा।

हमारे देश में ९५% अनाज की प्राप्ति केवल ८५ जिलों में से होती है। यदि उन्हीं जिलों में जोरदार प्रयास किये जायं तो अनाज की समस्या हल हो सकती है। पर साथ ही हमें दूसरे जिलों में यत्न करते रहना होगा। इसके अलावा काम करने में बहुत सी प्रशासनिक बाधाएं उपस्थित हो जाती हैं, उन्हें भी सदा दूर करते रहना चाहिए।

देश के अदर उर्वरकों के और अधिक कारखानें लगने चाहिए और उनके वितरण की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए।

कृषि गवेषणा का काम ठीक तरह से नहीं चल रहा है। अतिवृद्ध विभाग अधिकारियों को और अवसर दिये जा रहे हैं। युवकों को अवसर देने चाहिए। लगता है जैसे इस विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ रहा हो। विभागीय गटबंदी को समाप्त कर देना चाहिए।

काश्मीर में हमारी सरकार ने दो और कृषि कालेज खोले हैं। वहां धान की दोहरी खेती भी सफल रही है। इसलिए इस प्रयोग को और सफल बनाने के लिए सरकार को प्रयास

†मूल अंग्रेजी में

करना चाहिए। श्री बलराज मधोक ने जम्मू की सिंचाई योजनाओं का उल्लेख किया है। उन्हें मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि वे आकर देखें कि क्या कहुआ नहर आदि की क्रियान्विति हो रही है या नहीं।

†पंडित कृ० चं० शर्मा (हापुड़): कहते हैं कि रोम के वीरों ने यूनान विजय किया पर अकाल ने रोम को नष्ट कर दिया। इस कारण दुर्भिक्ष दुस्सह है। भूमि की उर्वरता नष्ट होने से अनाज की उपज कम हो जाती है। भारत की भूमि की उर्वरता भी अब बहुत क्षीण हो चुकी है। दूसरे दशों में अनाज की पैदावार के सिलसिले में एक क्रान्ति आ चुकी है। आज बड़े-बड़े खेतों में मशीनों की सहायता से खेती होती है और परम्परागत तरीके फीके पड़ चुके हैं। किन्तु भारत में उन्हीं उपयोगहीन पुराने तरीकों से ही खेती जारी है। इस कारण हमारी समस्या अतिशय भयंकर है।

हम आज आयात पर ही निर्भर करते हैं। अमरीका से अनाज मंगाना और खुद कुछ हिम्मत न करना भी बड़ा खतरनाक है। इस तरह से देश का गुजारा नहीं चल सकता। अंग्रेजी अफसरों की सी कुछ न करने धरने की नीति का अनुसरण हम भी किये जा रहे हैं। इससे हमें हानि होगी। हांट स्प्रिंग्स कांफ्रेंस का यह निश्चय कि अनाज पैदा करना हर राष्ट्र का कर्तव्य है हमें रह रह कर याद दिलाता है कि हमें भी मेहनत करना चाहिए।

सब से पहले हमें अपनी आबादी घटानी चाहिये और फिर हमें अनाज उगाने के तरीकों में भी सुधार करना चाहिये। आज गांव वाले लोग नगर वासियों की अपेक्षा काफी मेहनत कर रहे हैं परन्तु उन की प्रति व्यक्ति औसत आय फिर भी कम है। देश का किसान निर्धन है। वह शिक्षित भी नहीं है। किसानों की स्थिति ठीक करने के लिये विशेषज्ञों ने अनेक उपाय बतलाये हैं। उन्हीं में से महत्वपूर्ण उपायों का अनुसरण हमें करना चाहिये। देश के किसानों को भी संगठित हो कर अपने हितों की रक्षा करनी चाहिये।

यहां मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप कपास उगाने के लिये लगे समय का हिसाब लगाइए। उस में से कुछ कपास का कपड़ा बुन लिया जाता है। अब देखिये दो सेर कपास पर कितना श्रम खर्च होता है और खाद की कितनी लागत आती है। फिर मेहनत के हिसाब से वितरण का अनुमान लगाइये। (यहां पर कुछ सदस्य हंसे)। इस में हंसने की क्या बात है। यदि मेहनत करने वालों की इस प्रकार हंसी उड़ेगी तो एक दिन क्रान्ति आ जायेगी। विदेशों में क्रान्तियां आई हैं और हंसने वालों की जानें ले ली गयी हैं। मुझे खेद है कि ऐसे विषय पर भी माननीय मंत्री हंसते हैं। अन्य देशों में किसानों के दबाव के सामने सरकारें झुक गयी हैं। आप विदेशों से अनाज मंगवाते हैं पर क्या आप के अपने हाथ नहीं या यहां पर भूमि नहीं जो खेती नहीं हो सकती। आप न्यूयार्क के सामने हाथ पसारने की बजाये मेहनत कीजिए ताकि लोग भी सहयोग करें।

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख): बजट सम्बन्धी चर्चा, अनाज की स्थिति पर अवश्य परिलक्षित होती है। इस समय हम ने दुर्भिक्ष आदि की बातें नहीं सुनी। चर्चा से ज्ञात होता है कि हमारी अनाज की हालत काफी हद तक संतोषजनक है।

पहले माननीय सदस्य ने पशुओं की बाहुल्यता का जिक्र किया और दूसरों ने चीनी के आधिक्य का उल्लेख किया। इन्हीं दो प्रश्नों को मुख्य रूप से उठाया गया है। गौ के बारे में भी यहां पर श्री व० प० नायर और अन्य सदस्यों के बीच बराबर विवाद चला है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० पं० शा० देशमुख]

जहां तक चीनी की समस्या का सम्बन्ध है, सरकार कारखानेदारों और उपभोक्ताओं की समस्याओं के हल के लिये पूरी कोशिश करेगी ।

पिछले दस वर्षों से हम योजना के अनुसार काम कर रहे हैं । इस लिये हमारे मंत्रालय की सफलताओं का मूल्यांकन योजना की मदों के आधार पर ही किया जाना चाहिये । आखिर योजनायें भी तो सभा द्वारा अनुमोदित होती हैं ।

यदि यूंही कुछ कहने की अपेक्षा हम विस्तृत रूप से किसी बात का परीक्षण करें तो हमें पता लगेगा कि हम ने काफी सफलता प्राप्त की है । कृषि उत्पादन उन कुछ मदों पर निर्भर है जिन्हें हमें कार्यान्वित करने के लिये कहा जाता है । उर्वरकों, सिंचाई सुविधाओं, तथा बीजों आदि के मामले का भी काफी महत्व है ।

यद्यपि सब चीजों की जानकारी हम ने रिपोर्ट में दे दी है तथापि संक्षेप से मैं पुनः सारी बातें बताना चाहता हूं । जहां तक सिंचाई की छोटी योजनाओं का सम्बन्ध है हमारे मंत्रालय ने इस ओर काफी ध्यान दिया है और ९० लाख एकड़ भूमि के लिये ऐसी योजनाओं के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था कर दी है । भूमि परिरक्षण के सम्बन्ध में भी हम ने दूसरी योजना के अन्त तक के लक्ष्य को लगभग पूरा कर लिया है । हम ४३२८ बीज फारम स्थापित कर चुके हैं और ४००० बीज फारम स्थापित होने वाले हैं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने बीज-फार्मों के क्षेत्र फल के बारे में आपत्ति की है । यह ठीक है कि छोटे छोटे फार्म अधिक खर्चीले होंगे । इसीलिये हम ने शुरू से ही यह कहा है कि अगर राज्य सरकारों को बड़े बड़े फार्म मिल जायें तो वे बड़े बड़े फार्म बनायें । २५ एकड़ का फार्म रखने का उद्देश्य यह था कि जिस क्षेत्र में यह फार्म स्थित है उस क्षेत्र के लिये यह न्यूकीलअर बीज की व्यवस्था कर सके । राज्यों से कह दिया गया था कि अगर उन को २५ एकड़ से बड़े फार्म मिलें तो वे बड़े फार्म ले सकते हैं । कुछ राज्यों ने बड़े बड़े फार्म शुरू भी किय हैं अतः यह आपत्ति निराधार है ।

फिर हमें कृषि के विकसित साधनों को भी देखना पड़ता है । आशा है कि "गैहन कृषि जिला कार्यक्रम" से अधिक उत्पादन होगा । डा० रामसुभग सिंह ने यह पूछा है क्या हम ने इन जिलों के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया है । हम इतना कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम के अनुसार हम ५ वर्ष में ५० प्रतिशत अधिक उत्पादन कर सकते हैं ।

विभिन्न उर्वरकों तथा औजारों आदि के बारे में भी बहुत सी बातें पूछी गई हैं । इन सब का विवरण हम वार्षिक प्रतिवेदन में दे चुके हैं । जहां तक कटौती प्रस्तावों की बात है मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि सभी कटौती प्रस्तावों की मंत्रालय ने जांच कर ली है और चर्चा के दौरान में माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उन पर अच्छी तरह विचार किया जायेगा ।

श्री नायर ने सुझाव दिया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को भारत सरकार का ही एक अंग बनाया जाये और ऐसा करना अच्छा होगा । यह परिषद् आज की नहीं है बल्कि बहुत दिनों से चली आ रही है । मेरा विचार है कि इस परिषद् के गठन में न ही कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्यों कि यह संतोषजनक ढंग से काम कर रही है और न ही उस में परिवर्तन करने से कोई लाभ होगा । इस के कुछ लाभ भी हैं एक तो यह लाभ है कि यह बहुत ही लचीलेपन से काम कर रहा है । दूसरे अगर इसे सरकारी संस्था बना दिया जाये तो प्रशासन सम्बन्धी बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न

हो जायेंगी। अब तक बहुत सी निजी संस्थायें यहां अनुसंधान कार्य करती हैं तथा विश्वविद्यालय भी यहां अपने विद्यार्थी भेजते हैं। सरकारी संस्था हो जाने के बाद इन लोगों को सुविधायें देना बड़ा कठिन हो जायेगा। अतः वर्तमान स्थिति ही अच्छी है। फिर इस के अलावा हम उन विशेषज्ञों की सलाह भी ले लेते हैं जो कि इस में नौकरी नहीं कर रहे हैं। यह परिषद् बहुत ही सन्तोषजनक ढंग से काम कर रही है अतः इस में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मुरारका तथा कुछ अन्य सदस्यों ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पर आरोप लगाये हैं। उन की अच्छी तरह जांच की जायेगी और यह प्रयत्न किया जायगा कि भविष्य में ये कमियां दूर हो जायें ताकि लोगों को शिकायत का मौका ही न मिले। अगर ये दोष इस संस्था में रहे तो फिर इस संस्था का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय सदा इस बात के लिये प्रयत्नशील रहा है कि उर्वरक कारखाने जल्दी काम शुरू करें ताकि उर्वरकों का संभरण बराबर होता रहे। जहां तक औजारों की बात है मैं कह सकता हूं कि उन की कुछ अवहेलना हुई है। लेकिन तीसरी योजना में उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मैंने यह भी सुझाव दिया है कि प्रत्येक राज्य में एक औजारी कारखाना हो ताकि अच्छी किस्म के औजार मिल सकें। औजार खरीदने के लिये किसानों को ऋण देने की भी व्यवस्था है। आशा है कि इन बातों से स्थिति में काफी सुधार हो जायेगा।

सरकार ने मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, और सूकर पालन की ओर समुचित ध्यान दिया है। हालांकि इन का उत्पादन देश की आवश्यकता के अनुसार नहीं है। मैं मानता हूं कि इस क्षेत्र में और भी तेजी से काम करने की जरूरत है। लेकिन वार्षिक विवरण में हम ने यह बता दिया है कि मुर्गीपालन तथा मत्स्यपालन में हम ने काफी सन्तोषजनक उन्नति की है।

चीनी के बारे में आज से $१^{१}/_{२}$ वर्ष पूर्व जितनी शिकायत थी वह अब नहीं है। कपास, जूट, तथा अन्य दूसरी चीजें भी देश के विकास के लिये बहुत आवश्यक हैं। इन फसलों के बारे में हम ने ठोस प्रगति की है। इन का उत्पादन बढ़ा है और आशा है कि पांच साल के बाद हमारा खाद्य का उत्पादन प्रति वर्ष ७०० लाख टन से भी अधिक होने लगेगा। हमारे यहां प्रति एकड़ भी उत्पादन बढ़ा है। एक बात और भी है कि कृषि का उत्पादन मौसम तथा मानवीय प्रयत्नों पर बहुत निर्भर किया करता है। हमारे देश में अकाल तथा बाढ़ भी आई है जिस से कृषि उत्पादन को काफी हानि का सामना करना पड़ा है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मुझे आशा है कि हमारे यहां इस वर्ष इतनी अच्छी फसलें होंगी कि हम संभवतः द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य की पूर्ति कर लेंगे। इस क्षेत्र में हमारे सामने नाना प्रकार की कठिनाइयां आई हैं लेकिन उन के बावजूद भी हम आशा करते हैं कि खाद्यान्न की स्थिति अच्छी है। और हमें अधिक दिन तक अनाज का आयात न करना पड़ेगा। आयात तो एक अस्थायी साधन है।

जहां तक गोदामों की बात है इस सम्बन्ध में हम कार्य कर रहे हैं। किसानों को कोई १९० करोड़ रुपये ऋण के तौर पर दिये जा चुके हैं जब कि छः या सात साल पहले केवल २३ करोड़ रुपये ही ऋण के स्वरूप में दिये गये थे। मैं जानता हूं कि ऋण की यह राशि काफी नहीं है बल्कि हमें इस का ५ गुना ऋण के रूप में दिया जाना चाहिये लेकिन हमारी सामर्थ्य के अनुसार तथा सहकारी संगठन की क्षमता के अनुसार जितना अधिक से अधिक हम कर सकते थे उतना हम ने किया है।

उद्यान विद्या पर भी हम ने काफी विचार किया है। और हम हर प्रकार से उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं। काजू की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। आशा है कि काजू की खेती को दिये जा रहे प्रोत्साहन के फलस्वरूप काजू की खेती का क्षेत्रफल एक वर्ष से पहले ही दूना हो जायेगा। निर्यात की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही केरल के हजारों लोगों की जीविका का साधन भी यह बना हुआ है।

पशुधन के बारे में भी उल्लेख किया गया है। लेकिन अच्छी किस्म के जानवर रखने के लिये यह आवश्यक है कि पशुओं की जन संख्या में कमी हो। गोसदनों के बारे में भी हम ने विचार किया है। यह काम अकेले सरकार के बस की बात नहीं है। जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक गौवध बन्द नहीं हो सकता। गोसदन ही इस का एक मात्र साधन है। हम सभी चाहते हैं कि गायों की रक्षा की जाये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार): जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं डा० देशमुख की स्पीच सुन कर किसी कदर हैरान भी हुआ और किसी कदर एक तरह से मुझे तसल्ली भी हुई। एक तरफ तो मैं श्री वी० पी० नायर से सुनता हूं कि जितने यहां के कैटिल हैं सब यूजलैस हैं। अब इस देश के अन्दर तरह तरह के लोग बसते हैं। इधर मिस्टर वी०पी० नायर बसते हैं जो कि कहते हैं कि एनिमल हस्बैंडरी यह जरूरी चीज है और जितनी निकम्मी गायें हैं उन को स्लाटर कर दिया जाये। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी बसते हैं जो कि यह कहते हैं कि किसी सूरत में भी गाय को नहीं मारा जाना चाहिए। उस के लिए वह जो रीजनिंग देते हैं वह सिर्फ यह नहीं है कि ऐसा वह रैलीजस सेंटीमेंट की वजह से कहते हैं बल्कि वह यह भी रीजनिंग देते हैं कि देश में एकोनामिक स्वराज्य होना है तो वह गाय के जरिए आना है। इस संबंध में मैं ने दो स्पीचेज सुनीं। एक डा० सुशीला नायर की जिन्होंने फरमाया कि जहां तक एकोनामिक इंटरेस्ट्स का सवाल है गाय को हमें एकोनामिक बनाना चाहिए और दूसरी स्पीच सुनी डाक्टर देशमुख की, जिन्होंने फरमाया कि हम इन दोनों के बीच का रास्ता अखतियार करते हैं। उधर नहीं चाहते कि उनको स्लाटर किया जाये और इधर यह भी नहीं चाहते हैं कि उन को जिंदा रहने दिया जाये। मुझे उनकी स्पीच सुन कर बड़ा ताज्जुब हुआ और साथ ही दुःख भी हुआ। मैं उस चीज को देश के वास्ते ठीक नहीं समझता।

अब मवेशियों की सुरक्षा के लिए हम ने अपने कांस्टीट्यूशन में दफा ४७ और ४८ रक्खी हैं और वक्त की तंगी की वजह से म उन दोनों दफाओं को हाउस के सामने पढ़कर नहीं सुना सकता। इस देश की कांस्टीटुएंट असेम्बली ने इसको पास कर दिया है कि काऊ स्लाटर शुड बी बैंड। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस पर ठीक से अमल नहीं किया जा रहा है। लेविल औफ न्युट्रीशन बढ़ाना सरकार की प्राइमरी ड्यूटी है। ४७ आर्टिकल की रू से अब जाहिर है कि लेविल औफ न्युट्रीशन कैसे बढ़ सकता है जब तक इस देश के अन्दर दूध की पैदावार न बढ़े। सरकार इस ओर क्रिमिनल नेगलेक्ट कर रही है। डाक्टर साहब की यह बात सुन कर कि वह यह पर्वाह नहीं करते कि गाय जिंदा रहती है या नहीं मुझे बहुत ज्यादा ताज्जुब हुआ और साथ ही दुःख भी हुआ। मैं उन को बतलाना चाहता हूं कि यह सवाल सिर्फ रैलीजीस नहीं है और मैं उस बेसिस पर अर्ज भी नहीं करना चाहता। मैं उस कांस्टीट्यूशन की दफा ४८ के वास्ते जिम्मेदार हूं और इस का आथर हूं। मैं बतलाना चाहता हूं कि जिस समय मैं ने यह आर्टिकिल ४८ पेश किया था तो एकोनामिक बेसिस पर इसकी जरूरत साबित की थी और हाउस ने सही तौर पर उस को मंजूर किया था। गाय की रक्षा हमारे देश के लिये एक एकोनामिक सवाल है।

अभी अपने एक नय मेम्बर साहबकी मैं ने तकरीर सुनी जिन्होंने कहा कि हमारी एग्रीकलचर मिनिस्ट्री ने कुछ नहीं किया है। मैं तो उस को सुन कर हैरान रह गया कि आखिर किस तरीके की यहां पर तकरीरें की जाती हैं। मै अपने दोस्त को बतलाना चाहूंगा कि भाखड़ा बान्ध बनने की वजह से जिला हिसार का अनाज का प्रोडक्शन ८ गना बढ़ गया है। पहले ५४ मिलियन टन अनाज पैदा होता था जब कि अब ७५ मिलियन टन अनाज की पैदावार हमारे प्रदेश में हो रही है। अब यह हकीकत होने पर कहा जाय कि हमारी अनाज की पैदावार बढ़ी नहीं है तो यह चीज दुरुस्त नहीं है और मैं तो इस तरह की स्पीचेज़ सुन कर हैरान रह जाता हूं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, शायद एलेक्शंस् को मद्देनजर रख कर कहा जाता है लेकिन इस तरह से कहना कतई दुरुस्त और वाजिब नहीं है।

स मिनिस्ट्री की तवज्जह देश में दूध की पैदावार में कमी होते जाने की तरफ दिलाना चाहता हूं। मैंने दो तीन वर्ष हुए जब इस हाउस के अन्दर बतलाया था कि सन् १९५१ के मुकाबले सन् १९५६ में जा कर दूध की पैदावार सरकारी आंकड़ों के अनुस र ५ करोड़ मन कम हो गई। मतलब यह है कि ६ अरब रुपया सरकार ने इस देश का जाया किया। अब वह फिगर्स एसी हैं जो कि किसी से छिपी हुई नहीं हैं। लेकिन उस के लिए कोई जबाब नहीं दिया गया। मैं मिनिस्टर साहब से जानना चाहूंगा कि सन १९५६ से ले कर आज तक गायों में कितनी बढ़होत्री की है और दूध की पैदावार कितनी बढ़ाई है। मैं ने एग्रीकलचर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट को बड़े गौर से पढ़ा और यह जानने की कोशिश की कि यह मालूम हो सके कि इस देश में दूध की कितनी पैदावार बढ़ी है लेकिन इस में उसका कोई जिक्र नहीं मिलता है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि शिडयूल्ड कास्ट्स के लोगों का स्टैन्डर्ड आफ लिविंग जिसको कि सरकार बढ़ाना चाहती है वह तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि देश में छाछ की पैदावार नहीं बढ़ेगी और दूध की पैदावार नहीं बढ़ेगी। इस लिए इस देश में दूध की पैदावार बढ़ाना सब से जरूरी चीज है। मैं पूछना चाहता हूं कि सन् ५६ से आज तक हमारे देश में दूध की पैदावार कितनी बढ़ी है? अब रिपोर्ट में सब चीजों का जिक्र है। सबसिडिएरी फुड का जिक्र है और बीसियों चीजों का जिक्र है लेकिन उस के अन्दर मिल्क का कहीं जिक्र नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप की मिनिस्ट्री की तरफ से जो रिपोर्ट छपें उस में दूध के बारे में इत्तिला दी जानी चाहिए।

मैं आनरेबुल फुड मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने वायदे के मुताबिक देश के अंदर गोसंवर्धन कौंसिल कायम की और उस को आपने बड़े अख्तियारात दिये हैं। उस ने कुछ काम शुरू भी किया है। मैं उन की खिदमत में और साथ ही अपने वजीर आजम की खिदमत में जो कि यहां इस वक्त मौजूद नहीं हैं, कहना चाहूंगा कि उन्होंने हमको इस गोसंवर्धन के लिए बतौर प्रसीडेंट एक बहुत बड़ा आदमी दिया है जो कि हिन्दुस्तान में अपनी किस्म का एक ही आदमी है और जिनकी कि हम बहुत इज्जत करते हैं लेकिन आप करते यह हैं कि एक के बाद एक जिम्मेदारी उन पर डाल रहे हैं। अब शिडूल्ड ट्राइब्स और कास्ट्स के वास्ते जरूरत पड़े तो उनको जिम्मेदारी सौंप दी। अब उनका जैसा शरीफ और नेक आदमी कभी भी चाहे उस पर कितना ही काम और जिम्मेदारी लाद दी जाय, अपने ऊपर लेने से इन्कार नहीं कर सकता और पीछे नहीं हट सकता लेकिन इस बात का नतीजा यह है कि वह महीनों यहां से गैरहाजिर रहते हैं और गोसंवर्धन का काम नहीं कर पाते। उसको प्रौपरली एटैंड नहीं कर पाते। हैं। अब सुना जाता है कि उन को एलेक्शंस् के वास्ते तजवीज किया गया है। अब यह तो वही मामला हुआ कि एक अनार और सौ बीमार। मेरा इशारा अपने श्री ढेबर भाई से है जिन के कि ऊपर यह सब जिम्मेदारियां

एक एक कर के लादी जा रही हैं अब ढेवर भाई तो अपनी जबान से कहने से रहे कि उन पर इतनी जिम्मेदारियां और काम न लादें जांय। यह तो सरकार का काम है कि उन पर इतनी सारी जिम्मेदारियां न लादी जांय ताकि जो काम गोसवर्धन का उन के पास पहले से है उस को वह प्रापरली एटैंड कर सकें। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करना चाहती। मेरी मिनिस्टर साहब की खिदमत में गजारिश है कि जब उन्होंने इतनी कृपा कर के हम को एसे आदमी दिये हैं, तो बराय मेहरबानी उन को मौका दें कि वह पूरा काम कर सकें। शक है और मझे बहुत खशी है कि जहां तक कैटल का सवाल है, देश में हमें इस से बैटर आदमी नहीं मिल सकते। हम देखते हैं कि प्लानिंग कमिशन में श्री श्रीमन्नारायण हैं और यहां पर पाटिल साहब और डा० देश मुख हैं। मैंने पहले भी उन की जबान से सुना है और वह हमेशा इस हाउस में कहते हैं कि हम दफ़ा ४८ के पाबन्द हैं, लेकिन आज मैं एक नई बात सुन रहा हूं, जो मेरे लिय ताज्जुबकिी है। जनाब वाला इस को ज़रा ग़ौर से देखें कि इस का क्या नतीजा निकलेगा। नतीजा यह निकलता है कि मेरे पास जो फ़िगर्ज़ थीं, उन का आज तक कोई जवाब नहीं है। १९५० से एक औंस भी दूध नहीं बढ़ा है। इस देश में १९४८ में सात औंस की दूध की औसत थी और आज ४.७५ की औसत है। मैं जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में क्या किया है। उस ने कुछ नहीं किया है। उस की नेग्लीजेंस वैसे ही जारी है। इस में कोई शक नहीं है कि गोसंवर्धन कौंसिल बना दी गई है, लेकिन उस से यह मामला तय नहीं होगा। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस देश में करीब १५ करोड़ गाय हैं और चार करोड़ भैंसें हैं, कल २० करोड़ जानवर हैं। श्री कृष्णप्पा ने पिछली दफ़ा फ़रमाया था कि और देशों में तीस परसेंट फाडर प्रोडकशन होता है। उन्होंने इस सिलसिले में अमरीका और रशा का ज़िक्र किया। अमरीका में ६८ परसेंट और विलायत में २१ परसेंट होता है, लेकिन इस देश में फ़ाडर के लिय सिर्फ़ ४ परसेंट ज़मीन दी जाती है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर यह गवर्नमेंट बिज़िनेस मीन करती है, तो गोसंवर्धन कौंसिल तो एक तरफ़ रही, जहां तक फ़ाडर का सवाल है, आईन्दा के लिये कम से कम १६ परसेंट ज़मीन तय कर दीजिये, यहां पर १६ परसेंट ज़मीन पर फ़ाडर बोया जाय। अगर यह गवर्नमेंट यह नहीं करेगी, तो उसकी सब तरकीबें धरी की धरी रह जायेंगी। गवर्नमेंट की तरफ़ से कहा जाता है कि देश में १०० और गोशालायें खोली जायेंगी। मैं पूछना चाहता हूं कि उस से क्या असर पड़ेगा। ५२ करोड़ मन दूध के मूकाबले में १०० गोशालाओं में कितना दूध होता होगा? मुश्किल से पांच दस हजार मन। गवर्नमेंट की तरफ़ से यह भी कहा जाता है कि दिल्ली में, १,८०० मन, बम्बई में ५,००० मन और कलकत्ता में १,४०० मन दूध का इन्तज़ाम किया गया है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि य तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो लिलिपुटियन चीजें हैं देश में बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत है और उन की तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए।

जब तक गवर्नमेंट इस देश में एसी कन्डीशन्ज पैदा नहीं करेगी कि हर गाय और बैल को, हर जानवर को पूरा चारा मिल सके, तब तक यह नामुमकिन है कि इस सवाल को हल किया जा सके। आज इस देश में क्या सूरत है? आज यहां पर ४८ परसेंट एसे आदमी हैं, जिन के पास पांच एकड़ जमीन है और ३१ परसेंट एसे हैं, जिन के पास ढाई एकड़ जमीन है। क्या गवर्नमेंट उन से उम्मीद करती है कि व अपने जानवरों को चारा खिला सकेंग? इस सिलसिले में सब तरह की फसलों कों को-आर्डिनेशन करना गवर्नमेंट का फर्ज है।

गवर्नमेंट ने एनिमल न्यूट्रीशन के लिये एक कौंसिल बिठाई थी। उस की रिपोर्ट मेरे पास है। उसमें आप्टीमम बैलेंस्ड फुड के बारे में कहा गया है कि इन्सानके लिये १४ औंस सीरियल्ज और ३ औंस

पल्सिज की जरूरत है। ये दोनों के दोनों पूरे हो चुके हैं। आज के दिन देश में ७५ मिलियन टन अनाज होने से २० औंस खुराक गवर्नमेंट दे सकती है, जब उस को देना है १४ और ३, कुल १७ औंस। जहां तक सीरियल्ज का सवाल है, उस की सैल्फ-सफिशेएन्सी एटेन कर ली गई है, लेकिन मुसीबत यह है कि यह सैल्फ-सफिशेन्सी एटेन करने के बाद भी गवर्नमेंट अपनी जबान से नहीं कहती है कि हम ने वह एटन कर ली है। बैलेंस्ड फूड दूध १० औंस देना चाहिये, लेकिन उस के बजाये ४.७५ औंस देते हैं। मिल्क और मिल्क प्राडक्ट्स देनी चाहिये २, परसेंट लेकिन देते हैं .३९। आप्टीमम बैलेंस्ड फूड में जो कमी है, वह इस बात की है कि मिल्क प्राडक्ट्स नहीं दी जाती हैं और इस तरफ़ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिये।

मुझे वह दिन याद है, जब किदवई साहब ने हाऊस में कहा कि हम थोड़ी सी शूगर इम्पोर्ट करेंगे। उस वक्त मैं ने उनकी खिदमत में कहा कि हम को डूब कर मर जाना चाहिये, हमें इस देश में मुंह नहीं दिखाना चाहिये कि हम शूगर इम्पोर्ट करते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि मुझे उम्मीद है कि आईन्दा शूगर इम्पोर्ट नहीं होगी। मुझे खुशी है कि आज शूगर इतनी ज्यादा हो गई है कि इम्पोर्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। गवर्नमेंट ने विलायत से १६ मिलियन टन अनाज मंगाया है। हम ने पी० एल० ४८० की बातें भी सुनीं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे पाटिल साहब के अलफाज पर यकीन है। मैं उन से यह एशोरेंस चाहता हूं, और मझ उम्मीद है कि वह उस को पूरा करेंगे, कि १६ करोड़ टन का बफर स्टाक बनाने के लिये वह आईन्दा इस देश में फूडग्रेन्ज इम्पोर्ट नहीं करेंगे। ७५ मिलियन टन से हम सैल्फ-सफिशेन्ट हैं। जब हमारी पैदावार १०० मिलियन टन हो जायेगी, तो वह सैल्फ-सफिशेन्सी और भी ज्यादा हो जायेगी। जो बफर स्टाक बनाया जायगा, उस को रिप्लेस कर के देश के अनाज से बफर स्टाक बनाया जायेगा, यह एशोरेंस इस देश में एक एक आदमी को बड़ी भारी तसल्ली देगी और मुझे उम्मीद है कि यह एशोरेंस पूरा हो जायेगा।

इस डिबेट में इन्टरवीन करने में मेरा मतलब यह था कि अब वह वक्त आ गया है, जब कि यह सवाल नहीं है कि कितना अनाज पैदा करें, कितनी रुई पैदा करें कि और कितनी क्या चीज पैदा करें, लेकिन यह जरूर देखना चाहिये कि पंजाब में जैसे प्योर सीड काटन लगाया गया है और वहां पर एक खास तरह की रुई पैदा की जाती है——डा० देशमुख इस को जानते हैं——जिस का नतीजा यह है कि अपनी काटन पालिसी की वजह से हम ने अपने देश का करोड़ों रुपये का फायदा कर दिया। इसी तरह मैं चाहता हूं कि देश में सब चीजों को-आर्डिनेटिड हों। मैं गन्ने के खिलाफ नहीं हूं। जितना गन्ना पैदा हो, उतनी चीनी एक्सपोर्ट की जाये और उस से सब दौलत देश को मिलेगी। जहां तक फूड का ताल्लुक है, उस में सैल्फ-सफिशेन्सी होनी चाहिये, लेकिन उसके लिये यह जरूरी है कि क्राप पैटर्न को तब्दील किया जाय। जहां तक फाडर प्राडक्शन का सवाल है, और देशों की तरह ३ परसेंट तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन १५, १६ परसेंट आसानी से कर सकते हैं। अगर ऐसा कर दिया जाय, तो फिर १०० करोड़ रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। प्लानिंग कमीशन ने एनिमल हसबैंड्री के लिये जो १०० करोड़ रुपया रखा है, वह उस के लिय पूरा नहीं होगा उससे कुछ नहीं होगा। वह दिया, उस के लिये हम मशकूर हैं। हमारे पास अलफाज नहीं हैं। कि हम उस के लिये शुक्रिया अदा कर सकें। लेकिन इस का फैसला सिर्फ इस तरह से होगा कि क्राप पैटर्न में कम से कम १६ फीसदी आराजी फाडर प्राडक्शन के लिये बढ़ावें।

मिक्सड फार्मिन्ग के लिये एक करोड़ रुपया रखा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक बीघा जमीन पर भी मिक्सड फार्मिंग हुई। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट जैसी मिक्सड फार्मिंग चाहती है, वह वैसी ही हो। मैं ने फर्स्ट और सैकंड फाइव यीअर प्लान्ज को देखा है। दोनों में वही चीजें दोहराई

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

गई हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया है। अब सैकंड फाइव यीअर प्लान खत्म हो रहा है। गवर्नमेंट ने एनिमल हस्बैंड्री को तरक्की देने के लिये जो कुछ तय किया था, उस का क्या असर हुआ है? एक औंस भी दूध नहीं बढ़ा है और वह नहीं बढ़ सकता, जब तक कि देश में हर एनिमल की जिम्मेदारी गवर्नमेंट न लेगी। महात्मा गांधी और किदवई साहब कहते थे कि हर एनिमल की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, यह ख्याल गलत है कि कैटल के मालिक की ही है—जैसे हर इन्सान की भूख की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, उसी तरह कैटल की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की है। अगर यह दुरुस्त है, तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उस दिन देश का भला होगा, जिस दिन हर एक फार्मर के फील्ड पर एनिमल्ज, बैल, मजबूत होंगे। पहले बैल ३५, ४० मन बोझा उठाते थे और अब मुश्किल से १५, २० मन उठाते हैं। पहले गाय १२, १५ सेर दूध देती थीं और आज ७, ८ सेर देती हैं। यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह सब गवर्नमेंट की नग्लिजेंस है। गवर्नमेंट को पचासों दफा हम ने कहा है कि इस बारे में एक्शन लो। उसने एक्शन लिया है, लेकिन रीयल एक्शन नहीं लिया गया है। जरूरत इस बात की थी कि मासिज को समझाओ और फार्मर्ज को इस बारे में इन्ट्रस्टिड करो, लेकिन वह अभी तक नहीं किया गया है और वह नहीं किया जा सकता है, जब तक कि आप पैटर्न को तब्दील न किया जाय। जितनी गोशालायें थीं, उन सब की जमीन पर सीलिंग लगा दी गई। जिन के पास जमीन थी, जिस पर वे ढंगर चरा सकते थें, वह भी नहीं रही। मीडोज को भी खत्म कर दिया गया। ४ परसेंट मीडोज बाकी रह गई है। हमारे बुजर्गों ने पंजाब के हर एक गांव में बड़ी बड़ी जमीनें गोचर भमि के तौर पर चराने के लिय छोड़ी थीं। व भी तोड़ दी गईं। दस परसेंट आप्टिमम तय किया गया था, वह भी तोड़ दिया गया, पंचायत को दे दिया गया है। यह उन गरीब बचारे जानवरों के साथ जुल्म है, जो मुंह से नहीं बोल सकते हैं। कोई कन्फिलक्ट जानवर और आदमी में नहीं है। यह ख्याल गलत है कि इस देश में जो दूध आता है अमरीका से आता है, उस में फैट कन्टेन्ट होता है और हमारे मुल्क के मुकाबले में ज्यादा होता है। मझ बताया जाय कि अमरीका में कौन सा कनसेन्ट्रेट दिया जाता है। हर एक आदमी हमारे मुंह पर यह कहता है कि यह नामुमकिन है कि इस देश में यह मसला हल हो सके। क्यों? इस लिये कि इस देश में ७८ परसेंट के लिये चारा है और २८ परसेंट के लिये कनसेंट्रेट। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वे लोग हिसाब को भूल गये। सारे एक्सपर्ट्स को क्या हो गया? फर्स्ट फाइव यीअर प्लान में सीरियल्ज का २० परसेंट इन्क्रीज हुआ। कहा जाता है कि सैकंड फाइव यीअर प्लान में १५, १६ परसेंट का इन्क्रीज हुआ है, जिस का मतलब यह है कि ३६ परसेंट इन्क्रीज हो गया सीरियल्ज में। इस का चारा कहां गया। आदमी तो चारा खाता नहीं है। वह तो जानवर के लिये ही हुआ। इस के माने य हैं कि चारे की तादाद बढ़ी है, जो कि जानवर के काम के लिये है। लेकिन जानवरों की परिवरिश करना और उन की नस्ल को सुधारना बड़ा मश्किल है। इस में वक्त लगता है। इस लिये इस बारे में कहा जाता है कि इस देश में जमीन नहीं, यह नहीं है, वह नहीं है। दूसरे मुल्कों में आदमी को रोटी खाने के लिये छः सात एकड़ जमीन चाहिये। हमारे देश में फी आदमी के हिसाब से आधा एकड़, पौन एकड़ या एक एकड़ से ज्यादा नहीं है। अगर कोई कहता है कि हम मर रहे हैं, तो यह कतई भी ठीक नहीं है। हमारे देश में अनाज और चारा काफी है। दोनों बड़े आराम से रह सकते हैं अगर हम मिक्स्ड फार्मिंग करें। जो हम कहते हैं, उस को अगर हम अमल में लायें, तो यह काम हो सकता है। मैं चाहता हूं कि आइंदा जो रिपोर्ट आये उस के आनरेबल अन्दर मिनिस्टर साहब को साफ साफ दिखाना चाहिये कि ये ये काम इस के बारे में हुए हैं। आज जो रिपोर्ट आप ने पेश की है, यह देखने के काबिल नहीं है। इस रिपोर्ट के अन्दर कहीं पर भी एनिमल हसबैंड्री का दूध के लिहाज से एक लफ्ज भी नहीं लिखा गया है। आपको शर्म आनी चाहिये। इतना

सख्त इडिक्टमेंट हाउस में हुआ है लेकिन फिर भी आप ने इस की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। आपने छः अरब रुपया देश का बरबाद कर दिया है, पांच करोड़ मन दूध कम कर दिया है। आपने यह तक नहीं कहा है कि इस सबकी क्या वजहात हैं। आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है, आप इसकी वजह बताने की जुर्रत नहीं कर सकते हैं।

मैं नहीं चाहता कि इन खर बियों को रिपीट करूं। मझे शर्म आती है यह कहते हुए कि हमारे मिनिस्टर साहबान की वजह से यह चीज हो गई है। मैं चाहता हूं कि आइंदा जो रिपोर्ट आप हमें दें उसमें यह दिखायें कि फिलवाका इतना दूध बढ़ गया है, इतनी जानवरों की तरक्की हुई है। एक मैम्बर साहब ने कहा कि जब तक आर्टिकल ४८ के मुताबिक गवर्नमेंट नहीं चलती है, तब तक कांस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कांस्टीट्यशनल गवर्नमेंट के मिनिस्टर होना तो यह आप का फर्ज है कि सारी कांस्टीट्यूशन की प्राविजंज को आप मानें। यह देश का हुक्म है। यह आर्टिकल ऐसे नहीं बन गया है। इस आर्टिकल को ले कर हमारे नायर साहब और उनके फैलो ट्रैवलर्ज सुप्रीम कोर्ट तक में गये हैं और इस को चैलेंज किया है और कहा है कि यह दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि यह दुरुस्त नहीं है, देश की इकानामिक हालत के मुताबिक है और इस पर अमल किया जाना चाहिये।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो चीज सैक्टीफाई हो गई है उस पर अमल होना चाहिये। यह देश का तकाजा है, इस पर अमल करने में ही सारे देश की भलाई है। ग्रेन का जो प्राबलैम है, वह साल्व नहीं होगा, फूड का जो प्राबलैम है, वह साल्व नहीं होगा जब तक आप इस मसले का ठीक हल नहीं करते हैं। दूध में न्यूट्रटिव वैल्यू बहुत अधिक है, एक सेर दूध में साढ़े छः छटांक आटे की वेल्यू है . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मैम्बर साहब से रिक्वैस्ट करूंगा कि यह चेयर ले लें। उन को तकलीफ होगी अगर ज्यादा बोलेंगे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आप मझे खत्म करना चाहते हैं

श्री ब्रजराज सिंह : हम चाहते हैं कि आप बहुत देर तक रहें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जरूरत से ज्यादा वक्त दिया है आपने मुझ को, इसका मैं खयाल रखूंगा . . .

उपाध्यक्ष महोदय : आपको जो तकलीफ थी, उसकी याद में आपको दिला रहा हूं। इसके बाद मैं आपसे दरख्वास्त करने वाला हूं कि आप चेयर ले लें। उस वक्त जब दूसरो के लिए आप घंटी बजायेंगे, तो आपको तकलीफ होगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : हर इन्सान को जितने घंटे वह स्पीच तैयार करने में लगाये स्टेडी करने में लगाये, एक मिनट फी घंटा के हिसाब से तो वक्त मिलना चाहिये। मैं आपसे सच करता हूं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वह बीस घंटे की मेहनत के बाद कह रहा हूं।

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : पंडित जी का कहना है कि दूध का उत्पादन कम हो गया है। उनका यह भी कहना है कि इस बारे में उन्होंने सरकार से भी प्रश्न किया और सरकार उसका कोई उत्तर नहीं दे सकीं मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि पशुधन

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मों वें० कृष्णप्पा]

की गीनती पांच साल में एक बार की जाती है। सन् १९५१ में दूध का उत्पादन ४९९० लाख मन था। सन् १९५६ में यह मात्रा बढ़कर ५२८० लाख मन हो गया। इस प्रकार दूध के उत्पादन में ६ करोड़ मन की वृद्धि हुई है। हो सकता है कि प्रति पशु दूध के उत्पादन में कमी हुई है और इसका कारण यह हो सकता है कि पशुओं को अच्छा चारा आदि नहीं मिलता। और नाकारा पशु भी इस दूध के उत्पादन की कमी के कारण हैं। विभिन्न राज्यों में गोवध बंद हो जाने के कारण नाकारा गायों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।

श्री रामजी वर्मा (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, चंद मिनट का समय जो आपने मुझे बोलने के लिए दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दो एक बातों की तरफ ही आकर्षित करना चाहता हूं।

इस मुल्क में खाद्य की स्थिति को सुधारने के लिए हमारे वर्तमान मंत्री जी ने जो प्रयास किया है, उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। इसके लिए उनको जरूर बधाई मिलनी चाहिये। उन्होंने बाहर से कर्जे का गल्ला ला करके स्थिति में सुधार कर दिया है। लेकिन मैं मंत्री जी और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कर्ज लेकर लाने की जो प्रवृत्ति है यह बहुत अच्छी नहीं है। हमारी सारी एनर्जी, सारा पैसा समस्त अवसर जो हैं, वे कर्जा प्राप्त करने में लगा रहे हैं और जो ध्यान हम इस ओर दे रहे हैं वही ध्यान हमने अगर लोगों की ओर किसानों की ओर दिया होता तो मैं समझता हूं कि समस्या बहुत कुछ हल हो गई होती। बरसों से इस बात का वादा किया जा रहा है और सरकार से यह मांग की जा रही है कि प्राइस फिक्सेशन बोर्ड बनना चाहिये और किसानों को उसकी पैदावार का उचित मूल्य दिया जाना चाहिये। लेकिन किसी न किसी बहाने सरकार इस मांग को मंजूर करते हुए भी टालती जा रही है और दाम मुकर्रर करना नहीं चाहती है। अगर उचित दाम किसान को आज नहीं मिल रहे हैं, तो वह सरकार की इस नीति के कारण ही नहीं मिल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत प्रयास के बाद, बहुत संघर्ष के बाद आपने अपने मंत्री-काल में गन्ने की प्राइस थोड़ी बहुत बढ़ाई है और इसके नतीजे के तौर पर आपने देखा है कि किस कद्र गन्ना पैदा करके किसानों ने दिखा दिया है। मैं यह नहीं कहता कि गन्ने की जितनी प्राइस बढ़ी है वह उचित है, वह बहुत कम है। लेकिन उसी से किसान को जो उत्साह मिला उसका नतीजा यह है कि गन्ना इतना पैदा हुआ है कि आपके लिए गन्ने को खपवाना और शकर कर मिलों में पेरवाना मुश्किल हो गया है। जितनी आज हैं, वे इसको क्रश करने में असमर्थ हैं, सरकार असमर्थ है और उस गन्ने को कंज्यूम नहीं किया जा रहा है। अब आप उनको यह कह कर या स्टेट मिनिस्टर यह कह कर कि गन्ना बहुत हो गया है निरुत्साहित करना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जितनी चीनी की देश को आवश्यकता है, उसके मुताबिक गन्ना मुल्क में नहीं है। जो मैं कहना चाहता हूं यह है कि थोड़ा सा दाम गन्ने का आपने बढ़ाया और उसके फलस्वरूप किसान में इतना उत्साह बढ़ा कि गन्ना ही गन्ना हो गया। इसी तरह से व्हीट के, राइस के और गल्ले के दाम अगर आप बढ़ा दें, प्राइस फिक्सेशन बोर्ड बिठा दें और हर साल उन चीजों के दाम तय हुआ करें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसानों में इस कद्र उत्साह का संचार होगा कि वे गल्ला भी भारी मात्रा में पैदा करके आपको दे देंगे और उसी तरह से दे देंगे जिस तरह से उन्होंने केन गन्ना दिया है। परन्तु गल्ले की तो आज आपके लिए एक समस्या ही बन गई है और

आपको नहीं सूझता है कि इसको कैसे हल किया जाए अगर किसानों को उत्साहित किया जाए तो फिर न अमरीका से और न ही आस्ट्रेलिया से आपको कर्जे लेने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इनसैंटिव आप किसान को देना नहीं चाहते हैं। आप गलत पालिसी अख्तियार करते हैं। आप बाहर से कर्जा ले करके और मुल्क के कंधो पर इन कर्जों का बोझा लाद करके समस्या को हल करना चाहते हैं। आप यहां के लोगों पर किसानों पर विश्वास नहीं करते हैं। किसान के ज्ञान पर, किसान की पद्धति पर, और किसान खुद भी खड़ा हो सकता है, इस पर आपका विश्वास नहीं है। नए नए मैथड आप खोजते फिरते हैं, कर्जा ले करके कमी को पूरा करना चाहते हैं। आप कोआप्रेटिव की बात करते हैं, कोआप्रेटिव फार्मिंग की बात करते हैं, फिर चाहे वे सर्विस कोआप्रेटिव्ज हों या कोई और हों, उस पर भी आप अमल नहीं करते हैं। आप इस चीज को लागू क्यों नहीं करते हैं, चालू क्यों नहीं करते हैं जब आप देहातों के लिए प्लान करना चाहें तो आप गांव वालों से कह दें, पंचायतों से जो कि अब बन गयी हैं कह दें, कि तुम को अपने गांव का गल्ला प्लान करना पड़ेगा, तुमको यह प्लान करना पड़ेगा कि तुम को कितना कर्जा चाहिए, कितनी तुमको तकावी चाहिए, कितना सीड चाहिए और कितना फरटीलाइजर वगैरह चाहिए, और आपको उनसे कहना चाहिए कि तुमको अपने इस साल के उत्पादन से अगले साल अधिक उत्पादन दिखाना होगा। मैं समझता हूं कि अभी यहां के किसानों में जीवन शक्ति बाकी है जिसके जरिए से वह आपको अधिक गल्ला पैदा करके दे सकते हैं और फिर आपको किसी तरह का कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको उनमें विश्वास नहीं है, आप उनमें इंसेंटिव पैदा होने देना नहीं चाहते और उनको उचित प्रयास नहीं करने देते कि जिसके जरिए से वे अपना काम खुद कर सकें। यह हालत है। इसी कारण से इस देश की खाद्य समस्या हल नहीं होती। जब तक आप उनका विश्वास नहीं करेंगे, और उलटा अपने चन्द अफसरों का विश्वास करेंगे, अपने मंत्रिमंडल का विश्वास करेंगे और जब तक आप उन हजारों, लाखों और करोड़ों किसानों को, जो कि देश में फैले हुए हैं, यह समझेंगे कि ये जाहिल बेकार हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं, तब तक आपकी यह समस्या हल नहीं हो सकती। आप उनका भार उनके कन्धे पर डालिए और उनके मन में आत्म विश्वास पैदा होने दीजिए। जब करोड़ों किसानों में आत्म विश्वास पैदा हो जाएगा तो मुल्क की खाद्य समस्या अवश्य हल हो जाएगी और आपके सामने गल्ले की अधिकता की समस्या उसी तरह खड़ी हो जाएगी जिस तरह कि आज गन्ने की समस्या आपके सामने है।

गन्ने के सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं। गन्ने के सम्बन्ध में सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है और प्रगति को रोकने वाली है। एक तरफ किसानों ने इतना गन्ना पैदा किया है कि आपके लिए समस्या बन गयी है और आपको उसे अपनी मिलों में खपाना कठिन हो रहा है। दूसरी तरफ अगर लोग छोटी-छोटी मशीनें लगा कर खंडसारी वाले उस गन्ने का उपयोग करना चाहते हैं जिसको आप मिलों में क्रश नहीं कर सकते, तो उनके रास्ते में आप रोड़ा अटकाते हैं और इस चीज को रोकना चाहते हैं। इस मुल्क के व्यापारी, इस मुल्क के किसान आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उस आगे बढ़ते हुए कदम को अगर कोई रोकता है तो वह हमारी सरकार की गलत नीति है।

मैं अपने खाद्य मंत्री जी से यह जरूर निवेदन करूंगा कि जब से उन्होंने यह भार लिया है तब से लोगों में थोड़ा सा आत्म विश्वास पैदा हुआ है कि हां मुल्क की यह समस्या हल हो जाएगी। लेकिन जो उन्होंने बाहर से कर्जा लेने का तरीका अपनाया है यह तरीका ठीक नहीं

[श्री रामजी वर्मा]

है। कुछ दिनों तक आप इस कृत्रिम तरीके से लोगों को रख सकते हैं। लेकिन सही तरीका किसानों में आत्मविश्वास पैदा करने का है।

कोआपरेटिव फार्मिंग के सिलसिले में भी मुझे दो एक बातें कह देनी हैं। आप यदि अफसरों के जरिए से गांवों में कोआपरेटिव फार्मिंग कराएंगे तो मैं कहता हूं कि हिन्दुस्तान में फिर भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा।

अभी सवेरे जिक्र हो रहा था और डा० राम सुभग सिंह जी ने बतलाया कि आप हर गांव में एक छोटा सा सीड फार्म बनाने जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि यह भी बिल्कुल गलत पालिसी है। इसके बजाए आपको यह चाहिए कि गांवों के खेतों में से जिस खेत में सब से अच्छी पैदावार हो आप गांव वालों से कहिए कि उसी को सीड के काम में लाएं, उन को खुद यह काम करने दीजिए। आपने पंचायतें बना रखी हैं, उन के जरिये आप बहुत काम ले सकते हैं। इस तरह से सरकार का भार बहुत हलका हो सकता है और अफसरों की तन्ख्वाह बच सकती है और लोगों में आत्म-विश्वास पैदा हो सकता है।

इसके बाद चूंकि समय हो गया है, और बहुत रिक्वेस्ट के बाद उपाध्यक्ष जी ने मुझे समय दिया है, मैं एक ही बात और कहना चाहता हूं। शुगर वेज बोर्ड की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसकी सिफारिशों को अमल में लाया जाए। बड़ी बड़ी कमेटियां बनती हैं, उनकी रिपोर्टें आती हैं और आप उन सबको ताक पर रख लेते हैं। मैं आप से कहूं कि इस तरह से आप लेबर में भी आत्म विश्वास खो रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू कीजिए। शुगर फैक्टरीज में जो मजदूर काम करते हैं उनकी हालत को आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं। मेरे जिले देवरिया में तो १४ शुगर फैक्टरियां हैं। वहां लेबर की क्या हालत है, केन ग्रोअरस की क्या हालत है, यह सवाल असेम्बली में भी हम उठाते हैं और यहां भी किसी न किसी तरह आये दिन उठा कर आपको तंग करते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य आपको तंग करना नहीं है बल्कि मुल्क को आगे बढ़ाना होता है। मेरा निवेदन है कि लोगों में जो हौसला है, उस हौसले से काम लीजिए, उनको उत्साहित कीजिए। ऐसा करने से हमारे देश की समस्याओं का अवश्य हल निकल आयेगा।

डा० गोविन्द दास (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले जिन ने मेरा बहुत पुराना सम्बन्ध है और जो मेरे निकटतम मित्रों में से एक मित्र रहे हैं उन श्री पाटिल साहब को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत थोड़े समय के अन्दर अपनी योग्यता का पूरा पूरा परिचय दिया है।

स्वर्गीय श्री रफी अहमद किदवाई के सिवा शायद कोई भी मंत्री इस विभाग में इतना सफल नहीं हुआ है जितने कि पाटिल साहब हुए हैं। और जब मैं उन्हें यह बधाई देता हूं तो एक प्रकार से वह बधाई मुझे स्वयं मिल जाती है क्योंकि मैं ने अभी आपसे निवेदन किया कि वे मेरे पुराने से पुराने और निकट से निकट के मित्र रहे हैं।

खेती का उत्पादन कितना बढ़ा है इस संबंध में मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास जी भार्गव ने कुछ अंक उपस्थित किए। इस विषय में कोई सन्देह तो होना ही नहीं चाहिये कि उत्पादन बढ़ा है, लेकिन दो प्रश्न हैं और बहुत बड़े हैं, क्या यह जो उत्पादन बढ़ा है इस में स्थायित्व की बात है? इस देश की खेती बहुत दूर तक प्रश्न जो वर्षा होती है कम या अधिक, दूसरे इसी प्रकार के जो

नैसर्गिक परिवर्तन होते हैं, उन पर निर्भर करती है । इधर कुछ फसलें अच्छी आयी हैं, उत्पादन बढ़ा है, लेकिन हमें यह देखना है कि जो यह उत्पादन बढ़ रहा है यह स्थायी हो जाए और हमें आगे चल कर वही कठिनाई फिर न पड़े जो अनेक बार पड़ती रही है ।

दूसरा जो प्रश्न इस सम्बन्ध में है वह अनाज के भावों का है । मैं मध्य प्रदेश से आता हूं । हम लोग इन भावों के मामले में बहुत तकलीफ उस प्रदेश में बरदाश्त कर चुके हैं । छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन होता है । एक समय आया जब धान का उत्पादन खूब बढ़ा । लेकिन भाव इतने घट गए कि बेचारे किसान फिर भी भूखों मर गए । यही बात अनेक बार गेहूं के सम्बन्ध में भी होती है । तो हमें इस विषय में दो बातों की तरफ विशेषकर ध्यान रखना है कि जो उत्पादन बढ़े वह स्थायी उत्पादन बढ़े, और उसी के साथ साथ एक खास सतह पर भाव रहें, उन से नीचे भाव न जायें, जिससे कि किसानों को उनकी मेहनत का एवजाना मिल जाए ।

उत्पादन बढ़ाने के लिए जमीन की जुताई, खाद, अच्छा बीज, सिंचाई, सब आवश्यक हैं । इस संबंध में इन सभी बातों के लिए कुछ न कुछ हो रहा है । किन्तु सर्वोपरि मैं गोरक्षा को मानता हूं । और मुझे इस बात का खेद है कि इस विषय में मैं पाटिल साहब को, श्री देशमुख साहब को, श्री कृष्णप्पा साहब को या श्री थामस साहब को और उनके विभाग के किसी व्यक्ति को भी कोई बधाई देने के लिए तैयार नहीं हूं । जहां तक कृष्णप्पा साहब का मामला है, उन के सम्बन्ध में तो मुझे बड़ा क्षोभ है उनके उस भाषण पर जो भाषण उन्होंने श्री झूलन सिन्हा साहब के विधेयक पर २५ नवम्बर, १९६० को किया था । वह भाषण, हमारे संविधान के विरुद्ध था, वह भाषण, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उस के फैसलों के विरुद्ध था, वह भाषण उन्होंने अपने संविधान के प्रति वफादार रहने के लिए जो शपथ ली है उस शपथ के विरुद्ध था ।

जहां तक गाय का मामला है, मैं हमेशा एक मत का रहा हूं । भारतीय संस्कृति का मैं एक छोटा सा पूजक हूं । भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान संस्कृति है, । उपाध्यक्ष महोदय, आपके आसन के ऊपर लिखा है "धर्म चक्र प्रवर्तनाय" । तो जहां तक गाय का आर्थिक मामला है, जो कुछ मेरे मित्र ठाकुरदास जी ने कहा उसके एक एक अक्षर का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन आप से कि यह हमारा सांस्कृतिक मामला भी है, और जब मैं यह कहता हूं तो नायर साहब का जो यहां पर भाषण हुआ, उस भाषण पर मुझे आश्चर्य होता है, दुःख होता है, क्षोभ होता है । मैं हमेशा कहता रहा हूं कि यह साम्यवादी दल और उसके सदस्य भारतीय हैं या भारत के बाहर से आये हुए हैं यह बात मेरी समझ में नहीं आती है और ऐसे लोगों को अपने को भारतीय कहना यह किसी प्रकार भी युक्तिसंगत नहीं है । उन्होंने बड़े बड़े वेद शास्त्र और पुराणों की बातें कहीं हैं । मैं समझता हूं कि उनका न किसी वेद में विश्वास है, न किसी शास्त्र में विश्वास है और न ही किसी पुराण में विश्वास है । उनका विश्वास है मास्को में, उनका विश्वास है पेकिंग में, उनका विश्वास है भारत के बाहर जो देश हैं और भारत पर आक्रमण करते हैं उन देशों पर ।

वेदों में इस सम्बन्ध में क्या कहा गया है ? युजुर्वेद में गाय को अघन्या कहा है । अघन्या का अर्थ होता है हन्तुं अयोग्या; जिसकी कि हत्या नहीं की जा सकती । गोमेध यज्ञ का वर्णन हमारे वेदों में और हमारे शास्त्रों में आया है लेकिन गोमेध यज्ञ में गो जो शब्द है उस का अर्थ वहां पर गाय नहीं होता है अपितु गो का अर्थ वहां पर पृथ्वी होता है । पृथ्वी की जुताई की जाय । गाय को मार कर उसके

[डा० गोविन्द दास]

मांस की आहुति देना यह गोमेध यज्ञ का अर्थ नहीं है। उत्तर रामचरित नाटक में गोधन अतिथि शब्द आया है। यहां पर गो का अर्थ वाणी है। जिस प्रकार से गोमेध यज्ञ में गो का अर्थ पृथ्वी है उसी प्रकार उत्तर रामचरित नाटक में गो का अर्थ वाणी है। जिन अतिथियों के सामने हमारी वाणी झुक जाती है, आदरसूचक हो जाती है उनको हम बड़ा मान कर कुछ कहते हैं वे अतिथि गोधन अतिथि हैं। ऋग वेद में एक लम्बा श्लोक है जो कि इस प्रकार है :

"यः मानुषेयण क्रिविषा सम्भवत
यो अश्व्येन पशुना यातुधानाः
यो अव्न्याया हरति क्षीरमग्ने
तेषां शीर्षाणि हरसापि व्रश्च"

इसका अर्थ यह हुआ कि जो मनुष्य का मांस खाता है और जो घोड़े आदि पशुओं का मांस खाते हैं, जो गाय का दूध इतना दुहता है जिससे उसके बच्चे भूखे रह जायं, राजा को उनके सिर धड़ से अलग कर देने चाहिएं। संस्कृत न जानने वाले व्यक्ति ही गो शब्द का अर्थ न जान कर उसका अनर्थ करते हैं और उनमें हमारे एक नायर साहब भी हैं।

गोवध कतई बन्द होना यह सबसे अधिक आवश्यक चीज है। गोवध बन्द होना सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों कारणों से आवश्यक है। अच्छे जानवरों की रक्षा भी बिना गोवध कतई बन्द किये नहीं हो सकती है। इसके मैं अनेक प्रमाण इस मन्च से अनेक बार दे चुका हूं।

जिस प्रकार मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव को आश्चर्य हुआ मुझे भी डा० पंजाबराव देशमुख की और उसके बाद कृष्णप्पा साहब की बात को सुन कर आश्चर्य हुआ। उन्होंने बेकाम पशुओं की बात कही है। सरकार इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट नीति स्वीकार कर चुकी है बेकाम पशुओं को गोसदनों में रक्खा जायेगा यह सरकार की नीति है। हमारी सरकार नहीं चाहती कि बेकाम पशु यहां पर बढ़ाये जायं लेकिन उनको मार कर और इस देश की संस्कृति और धर्मप्राण जनता के हृदय पर आघात पहुंचाना, यह हमारी नीति नहीं होनी चाहिये। हमारे बेकाम पशु न बढ़ें इसलिए आपने गो-सदन स्थापित करने की नीति अख्त्यार की है। यह आवश्यक है कि गोवध कतई बन्द किया जाय क्योंकि बिना इसके अच्छी नस्ल के अच्छे जानवरों की भी रक्षा नहीं हो सकती है।

आवश्यक चारे-दाने और खली का प्रबन्ध किया जाय। आपको अभी पंडित ठाकुर दास भार्गव ने बतलाया कि हमारे देश में चारा काफी नहीं है लेकिन इतने पर भी हम पशुओं के खाद्य पदार्थ बाहर भेजे जा रहे। सन् १९५३–५४ में गुवार के सिवा खली आदि का जो निर्यात दस लाख छत्तीस हजार सात सौ पचासी रुपये का हुआ था वह १९५९ में १९ करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। हमारे यहां के जानवर भूखों मरें और इस प्रकार से खली और गुवार आदि का निर्यात हो यह किसी प्रकार भी उचित नहीं है।

हमें साण्डों की आवश्यकता है। यह सरकार न जाने कितनी बार स्वयं इसे स्वीकार कर चुकी है परन्तु उस कमी को पूरा करने के लिये जो प्रयत्न आवश्यक हैं वे नहीं हो रहे हैं। इतना ही नहीं हमारे यहां से सांड बाहर भेजे जाते हैं। विश्व कृषि मेले के समय जो स्मृति ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है उसमें सरकार ने स्वीकार किया न कि आंगोल और गवालऊ नस्ल के भारतीय सांड ब्राजील आस्ट्रेलिया, हिन्देशिया, फिलिपाइन आदि देशों को भेजे ज ते हैं

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जो यह बार बार घण्टी बजा रहा हूं तो यह कोई खिलौना समझ कर तो बजा नहीं रहा हूं।

डा० गोविन्द दास : मैं दो मिनट में खत्म किय देता हूं :

उपाध्यक्ष महोदय : आपने एक्सट्रा टाईम मेरे घंटी बजाते रहने पर भी ले लिया है।

डा० गोविन्द दास : बस आपकी आज्ञा से मैं केवल एक मिनट में अपनी बात को पूरा किये देता हूं।

मैं पाटिल साहब को बधाई और धन्यवाद देते हुए भी यह कहूंगा कि जहां तक गोसंवर्धन का मामला है, उनको इसके बारे में उसी प्रकार से गौर से देखना चाहिए कि जिस प्रकार कि वे अपने दूसरे विभागों को देखते हैं। इस सम्बन्ध में उनकी जो राय है वह मैं जानता हूं और मुझ विश्वास है कि अगर उन्होंने अपनी राय के अनुसार काम किया तो इस देश में गोवध कतई बन्द हो जायगा। इस देश से जो हमारा पशु खाद्य का खली, गुवार आदि का निर्यात हो रहा है वह भी बन्द हो जायगा और सांडों का निर्यात भी बन्द हो। अच्छे सांडों की पैदाइश बढ़ेगी।

†श्री मो० ब० ठाकुर (पाटन) : पटेल नगर में खाद्य मन्त्रालय ने जो दूध की डेरी खोली है वह एशिया में सबसे बड़ी डेरी है और इसके लिये मन्त्रालय बधाई का पात्र है। बहुमत गोवध के विरुद्ध है अतः मेरा निवेदन है कि गोवध बन्द कर देना चाहिये हमारे देश में खाद्यान्न की कमी है इसलिये आयात करना आवश्यक है। चूंकि गेहूं के आयात और चीज़ों के मूल्य पर भी प्रभाव पड़ता है अतः मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि इसका आयात किया जाना चाहिये। लेकिन हमारा खाद्यान्न उत्पादन कम है इसलिये हमारे पास अन्य देशों से अनाज का आयात करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। खाद्यान्नों के मूल्यों के बारे में कोई नीति होनी चाहिये। मेरा निवेदन है कि खाद्यान्नों के मूल्य की जांच करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति की जानी चाहिये। जब तक मूल्य स्थिर नहीं होंगे तब तक किसानों का कोई भला नहीं होगा प्राक्कलन समिति ने भी यह सिफारिश की थी कि मूल्यों की जांच करने के लिय एक आयोग की नियुक्ति की जानी चाहिये।

मेरा राज्य खाद्यान्न के मामले में कमी वाला क्षेत्र है। वहां गोदाम नहीं हैं। आवागमन की सुविधा भी नहीं है। पीने के पानी की भी वहां बहुत कमी है। अतः मेरा निवेदन है कि वहां इन बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

जीरे का मूल्य भी बहुत गिर गया है। इससे हमें विदेशी मुद्रा मिलती है। इसका मूल्य १९५९ और १९६० के मूल्य की अपेक्षा आधा रह गया है। लेकिन इसका मूल्य बढ़ाने के लिये कुछ नहीं किया गया है। इसलिये माननीय मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि इसका मूल्य स्थिर किया जाये।

†श्री नं० रं० घोष (कूच बिहार) : छोटी सिंचाई योजनाओं की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे स्थान हैं जहां कि इस साधन से काफी अधिक अनाज पैदा किया जा सकता है। बड़ी सिंचाई योजनाओं का लाभ तो है, परन्तु इस पर खर्च बहुत आता है। परन्तु यह बात बड़ी स्पष्ट है कि यदि इन छोटी योजनाओं को जोर शोर से कार्यान्वित किया जाय तो देश का उत्पादन बढ़ सकता है। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि देश में अनाज की कमी को पूरा करने के लिये शकरकन्दी जैसे सहायक खाद्यों का उत्पादन किया जाना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

सहकारी खेती की आजकल खूब चर्चा है, परन्तु मेरा निवेदन है कि इस समय जो देश में वा ा-वरण दिखाई देता है वह सहकारी खेती के क्ष में नहीं है। अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इस पर अधिक जोर नहीं देना चाहिये। हमें इसके साथ उर्वरकों, बढ़िया बीजों और सिंचाई की छोटी योजनाओं पर जोर देना चाहिये, ताकि फसलों के सम्बन्ध में हमारी आशाओं को ठेस न लगे।

पश्चिमी बंगाल पर विभाजन का बहुत ही कुप्रभाव पड़ा है। अच्छी अच्छी नदियां पाकिस्तान के हिस्से में चली गयी हैं। अतः मछली की वहां बहुत ही कमी हो गयी है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि समस्या के इस अंग की ओर समुचित ध्यान दिया जाय। मछली बंगालियों की खुराक का एक आवश्यक अंग है। मछली उत्पादन की दिशा में लोगों द्वारा जो उपक्रम हुए वे सफल नहीं हो सके। इस दिशा में उत्पादन बढ़ाने की ओर कदम उठाय जायें। साथ ही पशुओं की नस्ल सुधारने के भी प्रयत्न किये जाने चाहियें। बनस्पति में रंग मिलाने के ढंग भी ढूंढ निकाले जायं ताकि उसे मिलावट के लिय काम में न लाया जाय।

†श्री शिवनंजप्पा (मंडय): मैं खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करने खड़ा हो रहा हूं। इस मन्त्रालय का कार्य काफी शानदार रहा है और इसके लिये मैं मन्त्री महोदय को मु ारकबाद देता हूं। परन्तु मेरा निवेदन है कि कृषि उत्पादन की वस्तुओं के बारे में कोई समुचित मूल्य नोति नहीं है। मैं सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि उसे गन्न की खेती को बढ़ावा देना चाहिये दक्षिण भारत में गन्ने का उत्पादन बहुत काफी है, वहां चीनी की नयी मिलें खोली जानी चाहियें। एक यह बात भी है कि उस गन्न के से चीनी भी अपेक्षाकृत अधिक निकलती है। इससे एक लाभ भी होगा कि हमें चीनी की उत्प ादन लागत कम करने में सहायता मिलेगी।

मेरा विचार है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे अर्द्ध-उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र गन्ने के उत्पादन के लिये उपयुक्त नहीं है। सरकार को इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके ऐसी नीति अपनानी चाहिये कि चीनी उद्योग को वह धीरे धीरे उत्तर भारत से हटा कर दक्षिण भारत के उपयुक्त स्थानों पर ले जाय। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि गन्ने के संविहित न्यूनतम मूल्य को १ रु० ६२ नये पैसे प्रतिमन से बढ़ा कर १ रु० ७५ नये पैसे प्रतिमन कर दिया जाना चाहिये।

चीनी के निर्यात की ओर हमें समुचित ध्यान देना चाहिये। चीनी के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य तथा देश के भीतर के मूल्य में कुछ अनुपात बनाये रखने की आवश्यकता है ताकि हम पर्याप्त मात्रा में चीनी का निर्यात कर स ें। चीनी पर जो केन्द्रीय व राज्य कर लग हुए हैं, उनमें कमी की जानी चाहिये। मैसूर की चीनी की मिल को अपनी उत्पादन क्षमता २००० टन से बढ़ा कर ३००० टन करने की अनुमति दी जानी चाहिये। सरकार ने मिल को इस बात की अनुमति देने में काफी उपेक्षा से काम लिया है।

†श्री लीलाधर कटकी (न ागांव): खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे देश की रोटी का ध्यान तो रखना ही पड़ता है, साथ ही उन चीजों के उत्पादन की ओर भी इसे ध्यान देना होता है जिनकी कि देश के विभिन्न उद्योगों को आवश्यकता होती है। खाद्यान्नों के मामले में [illegible] हम [illegible] हैं, तो [illegible] में अपनी फसलों को बाढ़ों तथा सूखे से बाचाना होगा। इसी में देश का हित है। मेरा यह भी निवेदन है कि सिंचाई विभाग तथा कृषि विभाग को मिला कर एक समन्वित ढंग से सिंचाई की योज-

†मूल अंग्रेजी में

नाम्रों को चलाना चाहिये । अपना उत्पादन बढ़ाने के लिये हमें अधिकाधिक भूमि में सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी ।

हमें राज्य सरकारों से कहना चाहिए कि वे कृषि उत्पादन के मामले में हर सम्भव प्रयत्न करें ताकि तीसरी योजना के भीतर ही हम खाद्यान्नों के मामल में आत्मनिर्भर हो जायें । इस मामले को युद्ध महत्व का सा मामला मान कर प्रयत्न किये जाने चाहिएं । इस मामले में पंचायतें तथा सहकारी समितियां भी बड़ा महत्वपूर्ण काम कर सकती हैं और उन्हें समुचित ढंग से बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।

श्री उमराव सिंह (घोसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया । मैं इस सिलसिले में आपको एक उलाहना दूंगा कि या तो आप जो खड़ा हो उसको बोलने के लिए बुलावें या कोई और तरीका हो कि हम पीछे बैठने वालों को भी बोलने का मौका मिल सके । मैं जानना चाहता हूं कि क्या तरीका है जिससे हमको समय मिल सके ?

उपाध्यक्ष महोदय : यही तरीका है कि जब आपको बुलाया जाए तो फौरन तकरीर शुरू कर दें ।

श्री उमराव सिंह : मैं फूड मिनिस्टर साहब को बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी विशेष योग्यता से इस देश को भूखों मरने से बचा लिया । उन्होंने बाहर गल्ले के मामले में इतनी सहानुभूति प्राप्त की कि उनका मुल्क बचा रहा । लेकिन इसी के साथ साथ मैं फूड मिनिस्टर साहब का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जहां एक तरफ उनको सफलता मिली है और उन्होंने देश को भूखों मरने से बचाया है, उसी के साथ साथ मैं उनसे चाहूंगा कि उनके सारे अंग जो हैं वे एग्रीकल्चर को बढ़ाने में लगने चाहिएं । आपके विभाग का नाम है फूड और एग्रीकल्चर । इससे मालूम होता है एग्रीकल्चर को दूसरा स्थान दिया गया है, और मैं आपसे कहता हूं कि अगर यह चीज न की गयी तो आपकी सारी सफलता असफलता में परिणत हो जाएगी । हर गांव का किसान आपसे पूछता है, इलेक्शन आने वाला है । वह आदमी आपके सामने खड़ा है, आप उसको बताएं कि आपकी सरकार ने उसके लिए क्या किया है । उसने भी अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी और उसे भी उम्मीद है कि उसे भी उसका उचित स्थान मिलेगा । लेकिन अभी गांव का किसान यह समझता है कि उसका राज नहीं आया है, अभी राज इने गिने लोगों का आ गया है । लेकिन उसको भी अपनी जल्दी उन्नति करनी है । वह देखता है कि शहरों के लोगों को सुविधाएं मिल गयीं हैं लेकिन उसको नहीं मिली हैं ।

आपने कहा कि चीनी का बहुत ज्यादा स्टाक जमा हो गया है । हम भी सोचते हैं कि हो गया है लेकिन उसका चीनी के भाव पर कोई असर नहीं पड़ता है । लेकिन गांवों में चावल ज्यादा हो गया । अगर आप किसान से पूछिए कि चावल का क्या भाव है । मैं बस्ती में गया था, मैं ने देखा कि जो चावल दिल्ली में १ रुपए दो आने सेर मिलता है उस चावल को वहां किसान एक रुपए का १ सेर १२ छटांक बेच रहा है, और उससे खराब चावल दिल्ली में १८ आने सेर बिकता है, और नई दिल्ली मे तो और भी मंहगा बिकता है । अगर कंज्यूमर्स को गल्ला सस्ते दाम पर मिलता तो वह कम से कम इसके लिए धन्यवाद देते लेकिन ऐसी बात नहीं है । बस्ती में जो चावल १२ आने सेर मिलता है उसी क्वालिटी का चावल यहां दिल्ली में लोग १ रुपये २ आने से खरीदते हैं । मैं समझता हूं कि यह कोई अच्छा नक्शा नहीं है । हमने बिचौलियों को खत्म कर दिया । मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग जो कि किसानों और कंज्यूमर्स के बीच में इतना ज्यादा फायदा उठाते हैं उनकी ओर सरकार का ख्याल जाय । सौभाग्य से आपका जन्म एक किसान परिवार में हुआ है । अब यह आपकी खुश-

किस्मती है कि बम्बई में आपको दोनों तरह के लोगों का विश्वास प्राप्त है। गांधी जी से हमारे गरीब लोग भी उम्मीद करते थे और धनी भी करते थे लेकिन गांधी जी धनी को दबा कर गरीब को आगे बढ़ाते थे। धनी से त्याग करा कर गरीबों की मदद करवाते थे। मैं आशा रखता हूं कि आप उन दोनों में एक ऐसा सामंजस्य पैदा करने में सफल होंगे और उसी तरह से आप भी करेंगे। आप पूंजीपतियों से त्याग करा कर गरीबों को राहत दिलवायें। यह चीज असह है कि यहां मिलों में इतनी चीनी पड़ी रहे और किसान को उसके वाजिब दाम न मिलें। किसान को गन्ने के दाम १ रुपया १० आने से कुछ अधिक मिलें और उसके गन्ने के दाम बढ़ा दिये जायें, एक एक आने की वृद्धि के लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाई जाती है। यहां तो यह आवाज उठाई जाती है कि किसान को जो दाम मिल रहा है उससे आना डेढ़ आना अधिक मिले लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि वहां सेंटर पर किस तरह से किसानों को उनके गन्ने के वजन के बारे में ठगा जाता है। मिल वालों के जो आदमी कांटे पर रहते हैं वह तोल के बारे में किसानों को हर तरह से परेशान करते हैं और वह उन बेचारे किसानों को भुलवा कर उनका कम वजन लिखवाते हैं और परिणाम यह होता है कि उसको प्रति मन १ रुपया भी नहीं पड़ता है। सही वजन उसके गन्ने का किताब में दर्ज नहीं किया जाता है। यहां हम लोग और हमारे मिनिस्टर साहबान भी किसानों के हित की बातें सोचते हैं और उसके लिए उचित कानून आदि भी बनाते हैं लेकिन जिस मशीनरी से किसानों को रोजाना साबका पड़ता है वह मशीनरी ठीक तरह से वर्क नहीं करती है और वह किसानों को हैरेस (परेशान) करती है।

आप किसानों के लिए सिंचाई और पानी की व्यवस्था करते हैं लेकिन होता यह है कि पानी का लाभ उसे नहीं मिल पाता है चूंकि पानी उसके खेतों में वक्त से नहीं पहुंचता है इसलिए सारा परिश्रम बेकार चला जाता है। यह सारा प्लान बेकार हो जाता है और वास्तव में किसानों को वह सुख सुविधाएं मिल नहीं पातीं हैं जिनको कि सरकार उनको देना चाहती है और ऐसा इसलिए है कि मशीनरी ठीक से वर्क नहीं करती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार अपनी मशीनरी की ओर भी ध्यान करे और उसमें आवश्यक सुधार करे। आप गल्ला किसान को सीड की शक्ल में देते हैं और उसको सवाई में वसूल कर लेते हैं। अब ऐसा करके आप किसानों पर कोई अहसान नहीं कर रहे हैं। आज सरकार एग्रीकल्चर की मद में काफी रुपया खर्च करती है लेकिन दरअसल (एक्चुएली) किसानों को उतना रुपया नहीं मिलता है। यह सेंटर में और सूबों में जो विशाल सेक्रेटेरियट खड़े हैं और उनमें सैंकड़ों हजारों कर्मचारी बैठते हैं उनकी तनख्वाहों आदि का तमाम खर्चा भी इसी मद में से खर्च होता है।

आपने यहां तो यह तय कर दिया है कि इतनी आमदनी से कम पर टैक्स नहीं लगगा और वह आमदनी टैक्स फ्री होगी लेकिन एक किसान जिसके कि पास बित्ते पर भी जमीन है दस रुपये के नीचे का भी किसान है उसकी मालगुजारी आपने नहीं माफ की है। छोटे से छोटे किसान से आप टैक्स ले रहे हैं, मालगुजारी वसूल कर रहे हैं। छोटे से छोटे किसान से भी आप लगान वसूल कर लेते हैं और उसको कोई छूट नहीं देते हैं। किसान की गरीबी का नाजायज फायदा उठाया जाता है। आज गरीब किसानों से जो टैक्सज वसूल किये जा रहे हैं उनका रिटर्न उनको नहीं मिल पाता है। उसके पानी के दाम बढ़ा दिये गये हैं। खाद के दाम भी काफी बढ़े हुए हैं। किसानों के आवश्यक (इम्पलीमेंटस) कृषि औजार आदि भी उनको काफी मंहगे मिलते हैं जब कि जरूरत इस बात की है कि वह उनको सस्ते दामों पर सुलभ हों। सरकार को किसानों के वास्ते उत्तम बीज, अच्छी खाद, सिंचाई के लिए पानी और खती के लिए जरूरी चीजें, मुनासिब और कम दाम पर सुलभ करने चाहिएं। अब किसानों के हित के लिए जो रकम रक्खी जाती है उसका बड़ा हिस्सा

इतने बड़े सेक्रेटेरियेट पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। कम्युनिटी डेवेलपमेंट के जरिए नये तरीके से खेती कैसे की जाती है इसको किसान सीख गया है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि उसको मुनासिब दाम पर आवश्यक चीज़ें सुलभ की जायें और यह जो काफी बड़ी रकम सेंटर और सूबों के सेक्रेटेरियेट के ऊपर किसानों की मद के रुपये से खर्च होती है वह इस तरह जाया न की जाय। यदि आप ऐसा कर देंगे तो किसान आपको आशीर्वाद देंगे।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि कलकत्ता के खाद्य निदेशालय के एक कर्मचारी, श्री राजेश्वर चटर्जी ने जिन परिस्थितियों में बाध्य होकर आत्म हत्या की उनकी न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। उसके परिवार को भी कुछ सहायता दी जानी चाहिए।

यह सचमुच बड़े खेद की बात है कि उत्तर प्रदेश में अभी हाल में जो त्रिदलीय सम्मेलन हुआ था, उसमें चीनी मिल मालिकों ने मजूरी बोर्ड की सफारिशों को कार्यान्वित करने से इन्कार कर दिया है। सरकार को यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिये कि गन्ना उत्पादकों तथा चीनी मिलों में काम करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा करनी है।

चीनी के नियन्त्रण के बारे में मेरा कहना है कि यदि चीनी पर नियन्त्रण इसलिए है कि उससे बड़े बड़े मिल मालिकों को लाभ हो, तो चीनी पर से नियन्त्रण हटा लेना चाहिए क्या हम चीनी का ५० प्रतिशत अंश निर्बाध बिक्री के लिए नहीं दे सकते? मैं सरकार पर इस बात के लिए जोर डालना चाहता हूं कि हमें ६ मास तक यह प्रयोग करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या परिणाम निकलता है।

मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ दिया जाना चाहिए। गन्ने के लिए समुचित मूल्य निर्धारित करने के लिए पग उठाये जाने चाहिए।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : आपकी अनुमति हो तो मैं अपना भाषण कल जारी रखूंगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा।

---

*केरल राज्य में नारियल की फसल को क्षति

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम आधे घंटे की चर्चा करेंगे।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन): केरल राज्य की आन्तरिक अर्थ व्यवस्था का आधार नारियल की अच्छी फसल पर आधारित है। केरल राज्य में नारियल के पेड़ों में एक प्रकार का रोग हो जाने के कारण, जिसे अभी तक रोका नहीं जा सका, इसके पेड़ तेजी से नष्ट होते जा रहे हैं। वहां की जनता इस संकट के कारण काफी दुःखी हो गयी है। केरल की कुल ११ लाख एकड़ भूमि में नारियल की फसल होती है। जिसमें से १०० हजार एकड़ फसल को यह रोग प्रति वर्ष क्षति पहुंचा रहा है। इस सब से २ अथवा ३ करोड़ रुपये की हानि होती है। इस दिशा में मेरा

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंटे की चर्चा

[श्री वें० प० नायर]

निवेदन यह है कि इस विषय में पूछे गये प्रश्नों का जो उत्तर सदन में सरकार की ओर से दिया गया है, वह बिल्कुल संतोषजनक नहीं है ।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि हमारे देश में ८०००० टन नारियल के तेल की कमी है । यदि नारियल का उत्पादन ३० प्रतिशत बढ़ा दिया जाये, तो यह कमी पूरी हो जायेगी । पर इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि रेडियो सक्रिय आइसोटोप्स की सहायता से इस रोग के सम्बन्ध में अनुसंधान कराने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

बड़े खेद की बात यह है कि इस रोग के मामले में केवल एक ही वनस्पति विज्ञान शास्त्री को प्रशिक्षित किया गया है । सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि केरल की सम्पत्ति—नारियल के पेड़ों --को बचाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है । मेरा निवेदन है कि इस रोग की जांच कराने के मामले में सरकार को हिचकिचाना नहीं चाहिए और इस काम के लिए जितना धन खर्च हो, उतना धन देना चाहिए । इस काम के लिए सरकार को चाहिए कि वह या तो हमारे वैज्ञानिकों को बाहर भेजे अथवा विदेशी वैज्ञानिकों के एक सक्षम दल को आमंत्रित करे ।

†**श्री वासप्पा (तिपतुर)** : क्या इन क्षेत्रों में नारियल के पेड़ों की अच्छी नर्सरियां खोलने के लिए सरकार ने कोई उपाय किये हैं ?

श्री आचार (मंगलौर) : दक्षिण कनारा जिले में भी यह रोग फैला हुआ है । क्या इस दिशा में कोई सर्वेक्षण कराया गया है और यह पता किया गया है कि यह रोग किस व्यापकता के साथ फैला है ?

†**श्री कोडियान (क्विलोन--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)** : हमें यह बताया जाना चाहिए कि नारियल पैदा करने वाले अन्य देशों में भी ऐसा कोई रोग है और क्या इस रोग का सामना करने में प्राप्त अनुभवों द्वारा सरकार ने कुछ लाभ उठाया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : सरकार को इस रोग के आक्रमण की पूरी जानकारी है इस विषय पर अनुसंधान की काफी गुंजाइश है । अनुसंधान के परिणामों पर हमारा कोई बस नहीं है । मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि नारियल के वृक्ष को नष्ट कर देने वाले रोगों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये अप्रैल, १६४८ में केन्द्रीय नारियल समिति ने कायमनकुलम् में एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया है ।

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि १६६० में केरल सरकार ने भी इस रोग से प्रभावित हुए पूरे क्षेत्र में छिड़काव करने की एक व्यापक योजना चालू की थी । इस योजना को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार तब से ही इस कार्य के लिये केरल सरकार को बराबर सहायता दे रही है ।

जड़ों के रोग पौधे को मुरझाने वाले रोगों की श्रेणी में आते हैं । इस रोग ने अन्य देशों के वैज्ञानिकों को भी अचम्भे में डाल दिया है । इस विषय में जो कुछ भी अब तक अनुसंधान कार्य

†मूल अंग्रेजी में

हुआ है, उस मामले में किसी ने हमसे अधिक प्रगति नहीं की है। यदि सम्भव हो सका तो हम विश्व खाद्य तथा कृषि संगठन से सहायता प्राप्त करेंगे। इस संगठन का नारियल उत्पादन और सफाई सम्बन्धी कार्यकारी दल का प्रथम अधिवेशन इस वर्ष के अन्त में त्रिवेन्द्रम में होने जा रहा है।

कीटाणुओं तथा विषाणुओं से क्या सम्बन्ध है, नारियल के वृक्षों पर कीटाणुओं की संख्या और कीटनाशकों का प्रभाव आदि के बारे में अनुसंधान जारी हैं। नारियल के वृक्षों पर विमान द्वारा छिड़काव किया जा सकता है अथवा नहीं इस सम्बन्ध में प्रयोग किये जा रहे हैं। तीसरी योजना के अन्तर्गत नारियल के विकास और नारियल के रोगों की रोकथाम के लिए केरल सरकार को पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जा रही है। हमें यह भी आशा है कि हम आइसोटोप के प्रयोग के लिए नये ढंगों को भी प्रयोग में ला सकेंगे। इसके लिए हम पूर्ण प्रयत्न करेंगे।

इस के पश्चात् लोक सभा १८ अप्रैल, १९६१/चैत्र २८, १८८३, (शक) मंगलवार, ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, १७ अप्रैल १९६१
———————
२७ चैत्र, १८८३ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		५३७३—९८
तारांकित प्रश्न संख्या		
१५५३	फसलों के मूल्य—निर्धारण सम्बन्धी समिति	५३७३—७५
१५५४	बिजली के उत्पादन के लिये कम शक्ति वाले टर्बाइन	५३७५—७७
१५५५	भाखड़ा बांध	५३७७–७८
१५५८	ग्रामीण सहकारी व्यवस्था	५३७८—८१
१५५९	पश्चिम बंगाल—आसाम राजपथ	५३८१–८२
१५६२	रेलवे स्टेशनों पर महात्मा गांधी की मूर्तियां	५३८३–८४
१५६३	बगमार के निकट गाड़ी की टक्कर	५३८४–८५
१५६४	पाकिस्तान को चीनी का संभरण	५३८५—८७
१५६५	स्थायी सिन्धु आयोग	५३८७–८८
१५६६	भाखड़ा में विद्युत् उत्पादन	५३८८–८९
१५६७	कनाट प्लेस, नई दिल्ली के लिए नगर आयोजकों की प्रास्थापनायें	५३८९–९०
१५६९	विशाखापत्तनम में सूखी गोदी	५३९०–९१
१५७०	वजीराबाद में पुल	५३९१–९२
१५७२	सहकारिता शिक्षा सम्बन्धी गोष्ठी	५३९२—९४
१५७३	केशवपुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, दिल्ली	५३९४–९५
१५७४	आयुर्वेदिक चिकित्सक	५३९५–९६
१५७५	कृष्णा और गोदावरी नदी के जल का वितरण	५३९७–९८
प्रश्नों के लिखित उत्तर		५३९९—५४३६
तारांकित प्रश्न संख्या		
१५५६	राज्यों में डाक्टरों की कमी	५३९९
१५५७	आन्ध्र प्रदेश में पुलों के लिये "हाई टेन्साइल" तार	५३९९–५४००

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

तारांकित
प्रश्न संख्या

१५६०	टेलीफोन निर्माण कारखाना .	५४००
१५६१	अगरताला-कलकत्ता विमान-यातायात .	५४००-०१
१५६८	दक्षिण पूर्व रेलवे के क्लर्कों के वेतन-क्रमों का निर्धारण .	५४०१
१५७१	रेलवे के लिए कोयला धोने का कारखाना .	५४०१-०२
१५७६	चीनी का उत्पादन	५४०२

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३३४६	बिना टिकट यात्रा करना	५४०२
३३४७	नौवहन भाड़ा दर . .	५४०३
३३४८	केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् बोर्ड . .	५४०३
३३४९	खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने सम्बन्धी अग्रिम परियोजनायें	५४०३
३३५०	मनमाड स्टेशन पर शिकायतें	५४०३-०४
३३५१	परभनी स्टेशन पर बिजली	५४०४
३३५२	स्मृति डाक टिकट	५४०५
३३५३	बम्बई पत्तन न्यास में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां	५४०५
३३५४	सिकन्दराबाद डिवीजन में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर .	५४०५
३३५५	हिमाचल प्रदेश में परिवार नियोजन केन्द्र .	५४०५-०६
३३५६	वाराणसी-गाजीपुर राष्ट्रीय राजपथ .	५४०६
३३५७	चपरमुख स्टेशन पर गाड़ी का पटरी से उतर जाना	५४०६-०७
३३५८	रेलवे इंजन . . .	५४०७
३३५९	हिमाचल प्रदेश वन-विभाग को निधि का आवंटन	५४०७
३३६०	पूर्व रेलवे की लोको वर्कशाप	५४०७-०८
३३६१	गुजरात राज्य में छोटे पत्तन . . .	५४०८
३३६२	बटाला कादियां सेक्शन पर यात्री सुविधायें .	५४०८-०९
३३६३	उड़ीसा डाक तथा तार सर्कल . .	५४०९
३३६४	दक्षिण रेलवे पर चाय के स्टाल . . .	५४०९-१०
३३६५	वायुअनुकूलित प्रथम श्रेणी के डिब्बों के यात्री .	५४१०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३३६६	मद्रास, त्रिचनापल्ली और मैसूर के रेलवे कार्यालय	५४१०–११
३३६७	डाक तथा तार सर्कल तथा डिवीजन	५४११–१२
३३६८	हिमाचल प्रदेश में वनौषधि	५४१२
३३६९	हिमाचल प्रदेश में भाभर घास	५४१२–१३
३३७०	महाराष्ट्र में पूर्णा परियोजना की नहर	५४१३
३३७१	राज्यों में केन्द्रीय यंत्रीकृत एकक	५४१३
३३७२	उत्तर रेलवे पर यात्री सुविधायें	५४१३
३३७३	पंजाब में तारघर	५४१४
३३७४	पश्चिम रेलवे के स्टेशनों पर बेची जाने वाली खाने की चीजें	५४१४
३३७५	फसलों का उत्पादन	५४१४–१५
३३७६	हाइड्रोलिक्स इंजीनियरी	५४१५
३३७७	नगर निगमों द्वारा योजनायें	५४१५
३३७८	आन्ध्र प्रदेश के लिये उर्वरक	५४१६
३३७९	काश्तकारों के लिये बैल	५४१६–१७
३३८०	उड़ीसा के सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में जल योजनायें . . .	५४१७
३३८१	दिल्ली में घटिया औषधियों की बिक्री .	५४१७–१८
३३८२	पटना जंक्शन पर सोने के लिए बर्थों का संरक्षण	५४१८
३३८३	मंडी टोहाना (पंजाब) में टेलीफोन	५४१८–१९
३३८४	बिजली परियोजनाएं	५४१९
३३८५	पुरी में विदेशी शराब . .	५४१९–२०
३३८६	कोरापट जिला में चावल और धान का स्टाक	५४२०
३३८७	अगरतला में पुल	५४२०
३३८८	बम्बई में रेल दुर्घटना	५४२१
३३८९	जापान का कृषि अध्ययन दल . . .	५४२१
३३९०	नई दिल्ली में डाक व तार महानिदेशालय की इमारत	५४२१–२२
३३९१	बीकानेर डिवीजन के थानों में टेलीफोन .	५४२२
३३९२	रेलवे स्कूलों के अध्यापक .	५४२२–२३
३३९३	डाक तथा तार विभाग की प्रपत्र समिति . .	५४२३
३३९४	मद्रास राज्य में डाक व तार के पदों के लिये प्रार्थना पत्र	५४२३–२४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित

प्रश्न संख्या

३३९५	मद्रास राज्य में डाक व तार विभाग के कर्मचारियों की कमी	५४२४
३३९६	मद्रास राज्य में कुक्कुटपालन का विकास . .	५४२४
३३९७	मद्रास में समुद्री मछली पकड़ना	५४२४–२५
३३९८	असैनिक अस्पताल, इम्फाल .	५४२५
३३९९	क्विलोन-एरणाकुलम् लाइन पर नये स्टेशन .	५४२५–२६
३४००	टूंडला स्टेशन यार्ड का विस्तार .	५४२६
३४०१	भाखड़ा से बिजली . . .	५४२६–२७
३४०२	उत्तर भारत में चीनी की फैक्टरियां .	५४२७
३४०३	पंजाब में हरी खाद . . .	५४२७
३४०४	अफ्रीकी घोड़ों की बीमारी का टीका .	५४२७–२८
३४०५	मद्रास राज्य में बिजली की कमी . . .	५४२८
३४०६	हैड टिकट कलेक्टरों के लिये तालिका . .	५४२९
३४०७	'डाक रहित' गांव . . .	५४२९
३४०८	डाक तथा तार सर्किलों की क्रमोन्नति .	५४२९–३०
३४०९	उड़ीसा से चावल और धान का ले जाया जाना	५४३०
३४१०	अमरीका से गेहूं और चावल का आयात .	५४३०–३१
३४११	दामोदर घाटी निगम के कर्मचारी	५४३१
३४१२	सूरतगढ़ फार्म में बाढ़ .	५४३१
३४१३	उड़ीसा में सड़क परिवहन सेवायें .	५४३१–३२
३४१४	कलकत्ता–नई दिल्ली–लन्दन टेलेक्स सेवा . .	५४३२
३४१५	हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा . .	५४३२
३४१६	नदियों पर पुल . . .	५४३२—३४
३४१८	इर्विन अस्पताल, दिल्ली .	५४३४–३५
३४१९	इर्विन अस्पताल, दिल्ली	५४३६
३४२०	इर्विन अस्पताल, दिल्ली . .	५४३६

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५४३७

(१) वक्फ अधिनियम १९५४ की धारा ६६-क की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ४ मार्च, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० ३२६ में प्रकाशित हैदराबाद मुस्लिम वक्फ बोर्ड (विघटन) आदेश, १९६१ ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

(दो) दिनांक ४ मार्च, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० ३२७ में प्रकाशित मैसूर वक्फ बोर्ड और कुर्ग मुस्लिम वक्फ बोर्ड (विघटन) आदेश, १९६१ ।

(२) भारतीय तार अधिनियम, १८८५ की धारा ७ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत भारतीय तार नियम, १९५१ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २४ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या एस०ओ० ३०६७ की एक प्रति ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ५४३७

सचिव ने चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित और ३ अप्रैल, १९६१ को सभा को दी गयी अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित सभा पटल पर रखे :—

(एक) द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (समापन) विधेयक, १९६१ ।

(दो) बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक, १९६१ ।

(तीन) बीमा (संशोधन) विधेयक, १९६१ ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . ५४३८

एक-सौ चौतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

अनुदानों की मांगें . . . . ५४३८—९१

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगो पर अग्रेतर चर्चा जारी रही ।

चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

आधे घंटे की चर्चा . . . . ५४९१—९३

श्री वें०प०नायर ने केरल में नारियल की फसलों को हुई क्षति के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या १५८७, १५८८, १५८९, १५९०, और १५९१ के १४ मार्च, १९६१ को दिये गये उत्तरों से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घण्टे की चर्चा उठाई ।

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।

मंगलवार, १८ अप्रैल, १९६१/२८ चैत्र, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि—

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा तथा मतदान और वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर भी चर्चा ।

GIPND—SS III—510 (Ai) LSD—16-6-61—125.

अनुदानों की मांगें—जारी

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय--जारी

	पृष्ठ
डा० पं० शा० देशमुख	५४७३—७६
पंडित ठाकुर दास भार्गव	५४७६—८१
श्री रामजी वर्मा	५४८२—८४
डा० गोविन्द दास	५४८४—८७
श्री मो० ब० ठाकुर	५४८७
श्री नं० र० घोष	५४८७—८८
श्री शिवनंजप्पा	५४८८
श्री लीलाधर कटकी	५४८८—८९
श्री उमराव सिंह	५४८९—९१
श्री स० मो० बनर्जी	५४९१
श्री० स० का० पटिल	५४९१
केरल राज्य में नारियल की फसल को क्षति के बारे में आधे घंटे की चर्चा	५४९१—९३
श्री वें० प० नायर	५४९१—९२
डा० पं० शा० देशमुख	५४९२—९३
दैनिक संक्षेपिका	५४९४—९८

PLS 41. LIV. 46. 61.

125

© १९६१ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और नई दिल्ली स्थित भारत सरकार के मुद्रणालय की संसदीय शाखा में मुद्रित।